खण्ड-376, अंक-10
मंगलवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(18 मार्च, 1986 ई0)

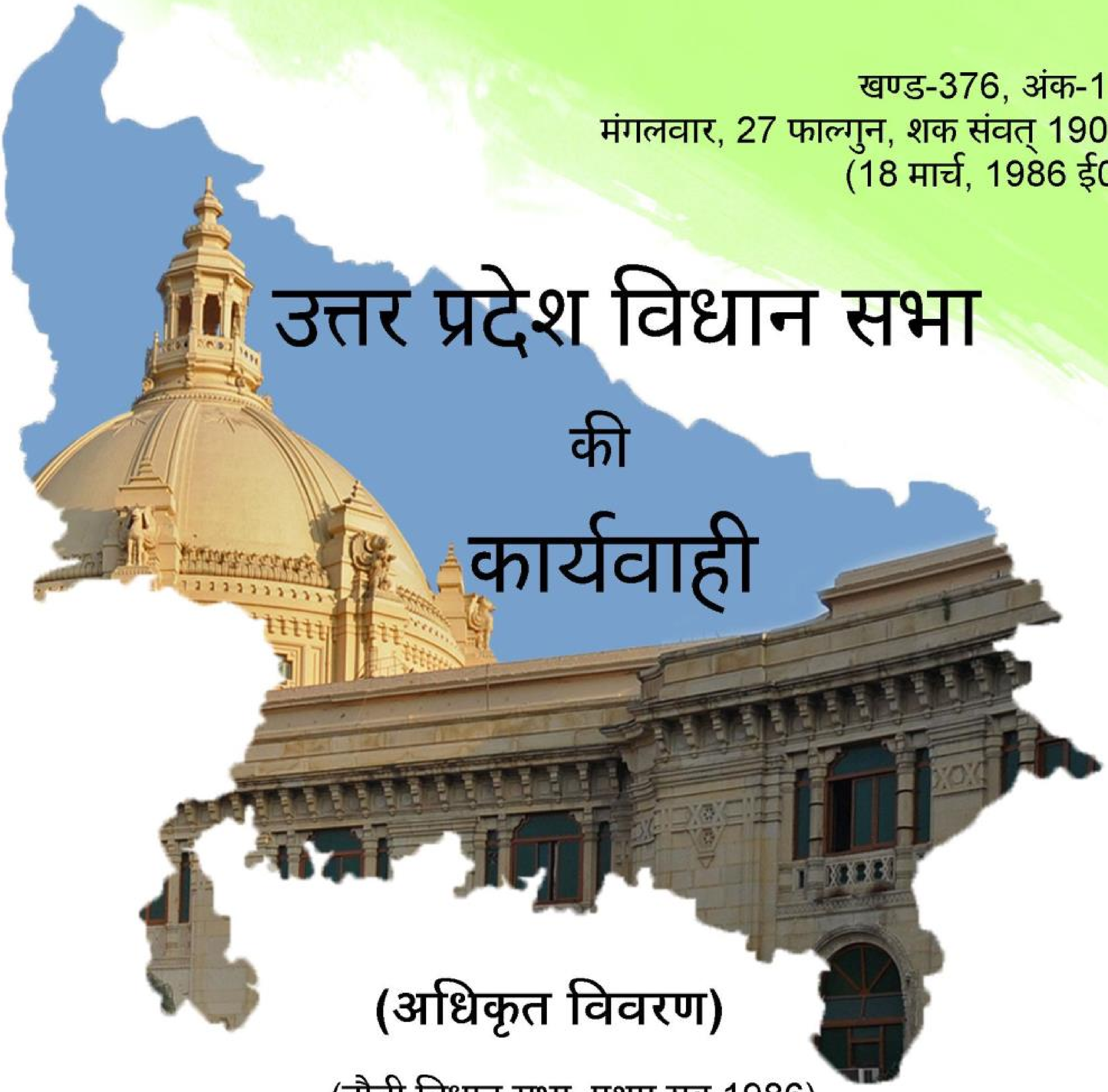

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

काय-स्थगन प्रस्तावों-की सूचनाएं 83–90

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग, अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक उद्यम विभाग (जारी) 90–119

नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सदन में भाषण पूर्ण करने के पहले उसकी प्रतिलिपियां पत्रकारों में एवं सदन के बाहर वितरित किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 120–122

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—गृह विभाग नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग, अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक उद्यम विभाग (जारी) 123–141

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना 141

श्री ओम प्रकाश ब्लाक प्रमुख तथा श्री रामवृक्ष, खण्ड विकास अधिकारी, चरगावां, गोरखपुर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कातिलाना हमला किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 141–142

इटावा में लोकदल कार्यकर्ता श्रीमती कमला देवी की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 143

तिथियां 144–154

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
अफसर यू0 अहमद, श्री	बस्ती	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	राम सजीवन, श्री	बांदा
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती	रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	रेवती रमण सिंह, कुंवर,	इलाहाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	शिव बख्श सिंह राठौर, श्री	मैनपुरी
फजले मसूद, श्री	देवरिया	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
बालेश्वर, श्री	देवरिया	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
बैजनाथ, श्री	देवरिया	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
भगवती प्रसाद चौधरी, श्री	मिर्जापुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
रणजीत, श्री	देवरिया	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर		

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे प्रदेश में राजकीय बसों की निशुल्क सुविधा दिये जाने पर विचार

**1—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गुजरात और पंजाब की भांति अपने प्रदेश में भी स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को राज्य भर में बस द्वारा यात्रा मुफ्त करने हेतु प्राविधान करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक यह सुविधा प्रदान कर दी जायेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूरे प्रदेश में राजकीय बसों में यात्रा की नि:शुल्क सुविधा प्रदान करने के बारे में विचार किया गया था किन्तु इस प्रस्ताव में वित्तीय भार अधिक निहित होने के कारण यह सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव न हो सका।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वित्तीय भार अधिक होने के कारण, यह सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगा, तो मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं इसमें कितना वित्तीय भार अपेक्षित है जो वहन करने में असम्भव मालूम पड़ रहा है?

श्री राम नरेश शुक्ल—

1 करोड़, 20 लाख रु0 अधिक देने पड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी वित्तीय साधनों की असमर्थता का बहाना लेकर नकारात्मक उत्तर दे रहे हैं। इस-लिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि जिस स्थान पर यह स्वतंत्रता संग्राम सैनानी रहते हैं, वह केवल उसी जगह नि:शुल्क बस यात्रा कर सकते हैं, परन्तु अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सैनानी उस स्थान या जिले को छोड़कर कहीं दूसरी जगह सेटिल हो गये हैं, तो क्या सरकार यह सुविधा उन्हें वहां भी उपलब्ध करायेगी और दूसरा सुझाव, मान्यवर, मेरा यह है कि अगर पूरे प्रदेश में आप नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करना नहीं चाहते तो क्या कम से कम 2 हजार कि0मी0 की यात्रा के कूपन्स दिये जाने पर आप विचार करेंगे, जिससे उनकी कुछ जरूरत पूरी हो सके?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, यदि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आयेगा, तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जैसा कि अभी मा0 गुप्ता जी ने दो बातें इनकी सुविधा से सम्ब-न्धित कही और मा0 मंत्री जी0 ने उस पर यह आश्वासन दिया कि यदि ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र आयेगा तो विचार किया जायेगा। मान्यवर, ज्यादातर स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के काम दिल्ली और प्रदेश की राजधानी से पड़ते हैं,

और लखनऊ तो कम से कम एकाध मर्तबा आना ही पड़ता है, तो मा0 मंत्री जी यदि पूरे प्रदेश की निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो क्या कम से कम निःशुल्क लखनऊ आने की सुविधा पर तो विचार कर, इसे प्रदान कराने की कृपा करेंगे?

श्री राम नरेश शुक्ल–

स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को केवल सम्मेलनों में आने की सुविधा है। राजधानी लखनऊ में आने के लिए अभी कोई ऐसी सुविधा देने के लिए विचार नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा अभी प्रश्न किया गया कि मुख्य रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए चूंकि लखनऊ आना पड़ता है, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वह जब लखनऊ आवें, तो उनको निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाए ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

इस पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की रूपरेखा तथा आवंटित धनराशि

**2–श्री अजीत सिंह सेठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना तैयार की है उसमें क्या गाजियाबाद तथा मेरठ जनपद को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो योजना की सम्पूर्ण रूपरेखा तथा आकार क्या है? इस योजना के लिए आज तक केन्द्र से कितना धन आवंटित किया गया है?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

जी हां।

योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करना तथा ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय व अनुश्रवण एवं भू-उपयोग नियंत्रण हेतु सुगम नीतियों का प्रतिपादन कराना है जिससे उस क्षेत्र में तितर-बितर विकास रोका जा सके और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र, जनपद मेरठ, बुलन्दशहर तथा गाजियाबाद, हरियाणा राज्य के जनपद गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, करनाला जनपद की तहसील पानीपत तथा जनपद महेन्द्रगढ़ की रेवाड़ी तहसील एवं राजस्थान राज्य के अलवर जनपद की तहसील बहरोर, मडावर, किशनगढ़ एवं तिजारा तथा अलवर तहसील का भाग सम्मिलित है।

इस योजना के अन्तर्गत अब तक रुपये 623.00 लाख की धनराशि मेरठ नगर तथा रु0 114.00 लाख की धनराशि हापुड़ नगर के विकास हेतु केन्द्र से प्राप्त हुई है।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गाजियाबाद और मेरठ के लिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार की गयी है, इस योजना के अंतर्गत किन-किन मुद्दों पर विकास होगा? यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

इसके लिए उच्च स्तरीय बोर्ड के निर्देश पर नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

द्वारा वर्ष 1973 में नेशनल कपिटल रीजन की प्रारूप योजना तैयार की गयी, जिसे उच्च स्तरीय बोर्ड ने 17 दिसम्बर, 1973 को अनुमोदित किया। इस प्रारूप योजना के अंतर्गत केन्द्र शासित दिल्ली का सम्पूर्ण क्षेत्र, उ0 प्र0 का मेरठ व बुलन्दशहर जनपद, हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव तथा पानीपत जनपद की करनाल तहसील व महेन्द्रगढ़ जनपद की रेवाड़ी तहसील तथा राजस्थान के अलवर जिले की बहरोर, मंडावर, किशनगढ़, तिजारा व अलवर तहसीलों को सम्मिलित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र की जनसंख्या को सीमित करना है ताकि नगरीय जनसंख्या को वांछित सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना संभव हो सके। इस हेतु दिल्ली नगर के लगभग 100 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों को विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली केन्द्र शासित स्टेट को सीमित करना है। जो दिल्ली की जनसंख्या इस तादाद से तेजी से बढ़ती चली जा रही है, यह अनुमानित किया गया है कि 2001 तक 132 लाख हो जायगी। प्रयास यह किया जा रहा है कि 100 किलो मीटर के रेडियस में जो शहर आते हैं, उनको इस दिल्ली के स्तर का कर दिया जाय ताकि जो आबादी है, वह दिल्ली की तरफ न भागे।

इसलिए यह चाहते हैं कि 112 लाख या 111 लाख से आबादी दिल्ली की न बढ़ने पाये। इसके अंतर्गत मान्यवर, कई शहरों को लिया गया था और इसमें जो बोर्ड ने स्वीकृत किया है उसमें मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, मोदीनगर और खुरजा हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न फिर वही है कि यह इतनी महत्वपूर्ण योजना राजधानी विकास की है उनमें से कौन-कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश के लगते हैं? अब उन्हें 623.00 लाख रु0 किन मुद्दों के लिए दिया गया ? उस रुपये से किन-किन मुद्दों का विकास होगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह आवासीय विकास योजनायें तैयार करने तथा ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय व अनुश्रवण एवं भू-उपयोग नियंत्रण हेतु सुगम नीति का प्रतिपादन कराना है जिससे उस क्षेत्र में तितर-बितर विकास रोका जा सके और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने यह दिया है जिसमें सड़कें हैं और आवास हैं, पेय जल हैं और इन चीजों के लिए यह डेवलपमेंट हो, वह दिल्ली के स्तर का हो, इसके लिए धनराशि दी गई है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब यह योजना तैयार हुई तो सबको मालूम है कि वहां के किसानों को उजाड़ने के लिए यह योजना तैयार की गई, तो उस समय क्या प्रदेश की सरकार ने कोई आपत्ति की थी ? यदि नहीं की थी, तो क्यों नहीं की ? दूसरे इस पर एफेक्टिव कन्ट्रोल, केन्द्र का रहेगा या प्रदेश सरकार का।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसकी एक अथारिटी अलग बनाई गई है और यह देश के विकास के लिए बनाया गया है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अनूप शहर और जहांगीराबाद को भी इस क्षेत्र में लिया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं, मान्यवर।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में 100 किलोमीटर की परिधि में, वहां की जन-संख्या को आबाद करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की 100 किलोमीटर की परिधि में उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव या शहर आयेंगे उनको उत्तर प्रदेश सरकार अपने शासन में रखेगी या दिल्ली की सरकार के शासन में रखेगी? इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, विकास के लिए प्राधिकरण अलग से बन रहा है और इस वक्त सिर्फ मेरठ और हापुड़ को लिया गया है और इतना धन नहीं है कि सबको एक साथ लिया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, नेशनल केपिटल रीजन की पहली बैठक प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुई और दूसरी, सब कमेटी की बैठक गाजियाबाद में कमल किशन पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सिकन्दराबाद, हापुड़, गाजियाबाद . . . .

श्री गजराज सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों प्रश्न करने के बाद सदन में नहीं आते, एक दिन ऐसा आयेगा कि कोई भी सदस्य सदन में नहीं होगा। इस पर व्यवस्था दें कि. . .

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ में पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठी चार्ज की जांच

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा
श्री सूर्य प्रताप शाही–
(अनुपस्थित)

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3 जनवरी, 1986 को लखनऊ में पुलिस द्वारा वकीलों पर लाठी चार्ज करने के औचित्य की कोई जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की व्यापक जांच कराने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

इस मामले में जांच हेतु शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री आर0 सी0 देव शर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया गया है।

पुलिस उप अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस बल लेकर संडीला कस्बा अंतर्गत मोहल्लों में मारपीट

*2–श्री कामेश्वर उपाध्याय–
(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना संडीला अंतर्गत दि0 16 जनवरी, 86 को लगभग 8

बजे रात्रि में पुलिस उप अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक ने पुलिस बल लेकर संडीला कस्बा अंतर्गत समस्त मोहल्लों में घुसकर कई परिवारों में छापा डालकर निर्दोष 30-32 महिलाओं तथा लगभग 9 व्यक्तियों को यह कहकर कि वे वैश्यावृत्ति करती हैं पुलिस द्वारा मारपीट कर थाने में बंद कर दिया गया? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं ? क्या क्या यह सही है कि वे वेश्या परिवार में जन्मी परन्तु उक्त महिलायें वैवाहिक जीवन गुजार रही हैं जिनके उन महिलाओं के पास वैवाहिक प्रमाण-पत्र भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सारे तथ्य सदन के पटल पर रखेगी तथा दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-1-86 को श्री पवन कुमार पाण्डेय उद्धार अधिकारी की सूचना पर क्षेत्राधिकारी, संडीला, उक्त श्री पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक, संडीला व अन्य पुलिस बल व गवाहान के साथ कस्बा संडीला के मोहल्ला बजाजा महतवान व अशरफ टोला पहुंचे और वहां पर वेश्यावृत्ति में लिप्त पाये जाने पर 33 वेश्याओं तथा 8 पुरुषों को अंतर्गत धारा 5/8 एस0 आई0 टी0 एक्ट में बंदी बनाकर उसी समय एस0 डी0 एम0 संडीला से रिमाण्ड पर लेकर वेश्याओं को सुधार गृह, लखनऊ तथा पुरुषों को जिला कारागार, हरदोई भेजा गया । मुकदमा अ0 सं0-21 धारा 5/8 एस0 आई0 टी0 एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना जारी है । यह सही नहीं पाया गया कि उन्हें मारपीट कर बन्दी बनाया गया । यह भी सही नहीं है कि वे अपना वैवाहिक जीवन गुजार रही हैं । किसी भी महिला द्वारा कार्यवाही के समय वैवाहिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद के थाना खंडासा की पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए श्री सुरेश कुमार मिश्रा की मृत्यु

*3—श्री अवधेश प्रसाद, श्री मित्रसेन, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह एवं श्री राज किशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना खंडासा की पुलिस ने श्री सुरेश कुमार मिश्रा नामक नवयुवक को जो बेगुनाह था उसे बरबा गांव थाना खंडासा से दिनांक 22-12-85 को हिरासत में लिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई जिसके संबंध में मृतक के बाप ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को दि0 23-12-85 अथवा 24-12-85 को प्रार्थना-पत्र दिया जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं और अब तक सुरेश हत्या कांड के संबंध में पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-12-85 को श्री सुरेश कुमार मिश्रा को थाना खंडासा पुलिस ने पूंछताछ हेतु हिरासत में लिया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में वह जल गया तथा सदर अस्पताल, फैजाबाद में दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई ।

मृतक के पिता ने दिनांक 23-12-85 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को

प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर दिनांक 24-12-85 को अभियोग अपराध संख्या 135ए/85 धारा 302 भा0 द0 वि0 थाना खंडासा पर पंजीकृत हुआ । तथ्यों की जानकारी हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

विवेचना के दौरान का0 रामतूल मिश्रा को निलंबित किया गया तथा उसे दिनांक 2-1-1986 को गिरफ्तार करके दिनांक 3-1-1986 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । पूरे प्रकरण की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग से कराई जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 144 पर)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर को देखने का कष्ट करें । इसमें लिखा है प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-12-85 को श्री सुरेश कुमार मिश्रा को थाना खंडासा पुलिस ने पूंछताछ हेतु हिरासत में लिया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में वह जल गया तथा सदर अस्पताल, फैजाबाद में दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई ।

मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि पुलिस हिरासत में लेने के कौन-कौन से संगीन अपराध थे, जिसकी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया? दूसरा, किसी कमरे में बन्द था या पेड़ में बंधा था । जलने के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, कैसे जला ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

कान्सटेबिल रामतूल मिश्रा उसको पकड़ कर अपने घर ले गया और उसको घर में बन्द करके बाहर बैठ गया, उसने मिट्टी के तेल की कट्टी से मिट्टी का तेल डालकर, स्वयं जल गया ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर कौन से अपराधिक आरोप थे, जिसके कारण पुलिस ने कमरे में बन्द किया था?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

उसके भाई ने साइकिल चोरी की थी, उसके भाई को पकड़ने के लिए गए थे, जब वह नहीं मिला तो पूछताछ के लिए इसको पकड़ लिया, यह उसकी गलती थी जिसकी सजा उसको दी गई है, वह निलंबित कर दिया गया है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए बताया कि वह पुलिस हिरासत में था, अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सिपाही अपने घर ले गया था ।

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह पुलिस की हिरासत में था, तो वह किसी भी प्रकार से कैसे किसी मकान में ले जाया गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसी गलती के लिए उसे निलम्बित किया गया, 302 का मुल्जिम बनाया गया, गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, इसमें थाने के इंचार्ज की गलती थी, जिसने उसे वहां से जाने दिया। जब वह हिरासत में था तो कैसे किसी अन्य घर में ले जाया जा सका । मैं जानना चाहता हूं कि उसने अपराधिक कार्य किया, जो उसे ले गया । उस पर 302 का मुकदमा कायम हुआ, लेकिन प्रश्न यह है कि जब वह पुलिस की हिरासत में था, तो वहां जो पुलिस थी, वह उसके लिए जिम्मेदार है कि वह हिरासत में से कैसे किसी भी घर में ले जाया जा सका?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसीलिए तो उसे निलम्बित किया गया ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

उसका निलम्बन तो इसलिए किया कि

वह घर ले गया था लेकिन इसमें पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

वह थाने से नहीं, सीधे ही उस घर में ले गया था ।

श्री मित्रसेन–

वह पुलिस की हिरासत में था, किसी भी घर में नहीं ले जाया गया। बाजार में सरे आम एक कमरे में उसको बन्द कर दिया गया । उस समय उसके हाथ बंधे हुए थे । जिस समय जलते हुए, उसे मकान से निकाला गया, उसके हाथ बंधे हुए थे । वहां पर एक दूसरा व्यक्ति भी बन्द था, उसके हाथ भी बंधे हुए थे। प्रश्न यह है कि जब उसके हाथ बंधे हुए थे, तो क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब वहां दूसरे आदमी के भी हाथ बंधे हुए थे, तो वह कैसे खुद आग लगाकर चला गया ? यह आग पुलिस ने लगाई थी । जब उसके हाथ बंधे थे तो किन परिस्थितियों में वह जलता हुआ निकाला गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के समक्ष का है जिसमें उसने कहा है कि वह स्वयं आत्मग्लानि से मिट्टी का तेल डाल कर जल गया ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उसके हाथ बंधे हुए थे, या नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, मैजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ, इसमें तिथि पड़ी है ।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो तो पढ़ दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें सबसे ज्यादा रेलीवेन्ट पोर्शन डाइंग डिक्लेरेशन है ।

श्री अध्यक्ष–

आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ढूंढ़ लीजिए । बाद में दे दीजिएगा । मिल जायेगी, तो इसको मैं फिर ले लूंगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

इसको स्थगित करने से लाभ नहीं है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । सदन कुछ नियम के अन्तर्गत चलता है । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष –

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में आपसे आग्रह किया था, वह मिल गयी हो तो बता दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, यह 15 साल का मासूम बच्चा था जिसको जिन्दा जलाया गया । यह पुलिस के और सरकार के माथे पर दाग है कि एक मासूम बच्चे को जलाया गया । इसको थाने के अन्दर जलाया गया । माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है और इस संबंध

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में जो अतुल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है उसको किस धारा में गिरफ्तार किया गया है ? सुरेश कुमार मिश्रा जिसको जिंदा जलाकर मारा गया है उसका यह फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष –

फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है आप प्रश्न पूछें ।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, इसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है बताने की कृपा करें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है ।

मंगलवार 18 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जल संस्थान के महाप्रबंधक के पद पर श्री पी0 के0 चोपड़ा की प्रति नियुक्ति

*1–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान के महाप्रबन्धक, श्री पी0 के0 चोपड़ा की प्रतिनियुक्ति शासनादेशों के विरुद्ध अवैधानिक तरीके से की गयी है और इस नियुक्ति को लेकर जल-कल अभियन्ताओं में असंतोष व्याप्त है जिसके कारण उ0 प्र0 जल सम्पूर्ति अभियन्ता संघ ने जल आपूर्ति व्यवस्था को किसी भी समय ठप्प करने की चेतावनी दी है ? क्या इस संबंध में संघ का कोई प्रतिनिधि मंडल अक्टूबर, 85 के मध्य में माननीय मुख्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री से मिला था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्री पी0 के0 चोपड़ा, जिनका पैतृक विभाग जल निगम है, की जल संस्थानों में महाप्रबन्धक के पद पर तैनाती शासन के अनुमोदन से हुई थी । इस तैनाती को लेकर समय-समय पर जल सम्पूर्ति अभियन्ता संघ द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा श्री चोपड़ा को वापस करने की मांग की गयी। अभिलेखों के आधार पर इस सिलसिले में मा0 मुख्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री से प्रश्नगत अवधि में कथित संघ के प्रतिनिधि मण्डल के मिलने की कोई सूचना नहीं है । अन्तोगत्वा श्री पी0 के0 चोपड़ा को शासन के आदेश दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 द्वारा उनके पैतृक विभाग जल निगम में वापस कर दिया गया है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी –

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन के अनुमोदन से जो उनकी प्रतिनियुक्ति हुई, वह अनुमोदन किस तिथि को हुआ तथा उसकी संख्या क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, शासन के आदेश दिनांक 5-12-85 द्वारा उन्हें उनके पैतृक विभाग जल निगम में वापस कर दिया गया है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी –

मान्यवर, यह तो मूल उत्तर में भी दिया हुआ है । मेरा प्रश्न यह है कि जल संस्थान में महाप्रबन्धक के पद पर तैनाती, जो शासन के अनुमोदन से हुई थी, वह किस तिथि को हुआ था और उसकी संख्या क्या है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, अनुमोदन संख्या तो इस समय उपलब्ध नहीं है। सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

बारबंकी जनपद के पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

*2–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धौखेंरिया, तह0 फतेहपुर,

जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा दायर एक फर्जी मुकदमे को वापस करने के सरकारी आदेश के बावजूद संबंधित पुलिस कर्मियों के बाराबंकी जनपद में ही तैनात होने के कारण उनके द्वारा जिला स्तर पर उसकी वापसी में बाधा पैदा करने तथा उक्त गांव के लोगों को धमकाने, आतंकित करने तथा झूठे मामलों में फंसवा देने का षडयंत्र करने की सूचना देते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों को तत्काल जिले से बाहर स्थानान्तरित करने की मांग प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दि0 29 जुलाई, 85 द्वारा की थी? यदि हां, तो क्या संबंधित पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण जिले से बाहर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी हां ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष दो अन्य उप-निरीक्षक तथा दो कान्सटेबिलों को जिले से बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखें। मान्यवर, कितनी हास्यास्पद बात है कि वहां के जो सरकारी वकील पी0 ओ0 और ए0 पी0 ओ0 हैं, उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है, पुलिस कर्मियों का ट्रान्सफर नहीं हुआ । मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों के ट्रान्सफर के जो आदेश किये गये हैं, क्या उक्त आदेश का क्रियान्वयन हो गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

क्रियान्वयन कर दिया गया है । स्थानान्तरण आदेश हो चुके हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

यह आदेश कब किये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

अभी हाल ही में किये गये हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कब किये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, कल कर दिये गये हैं ।

श्रीमती यशोदा देवी, निवासी गली नं0 4, निशातगंज, लखनऊ द्वारा गिराये मकान हेतु मुआवजे की मांग

*3–श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती यशोदा देवी, निवासी गली नं–4 निशातगंज, लखनऊ ने ग्राम उजरियांव, चिनहट लखनऊ में अपना मकान गिराये जाने के कारण मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में दिनांक 27-6-84 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अभी तक उस पर कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी उक्त महिला को मुआवजा व प्लाट देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्रीमती यशोदा देवी, का प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, बल्कि इस सम्बन्ध में अन्य पत्र प्राप्त हुये हैं । श्रीमती यशोदा देवी को भूमि का प्रतिकर दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड का आवंटन कर दिया गया है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रगति का उल्लेख उन्होंने अपने उत्तर में किया है वह प्रगति कैसी है और मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? जो भू-खण्ड आवंटित किया गया है, वह किन शर्तों के तहत किया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मुआवजे की कार्यवाही चल रही है। विशाल खण्ड में उन्हें भू-खण्ड का आवंटन किया गया है । अभी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि अभी उन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। पैसा जमा करने के लिए उन्हें नोटिस दे दिया गया है ज्योंही पैसा जमा हो जायेगा, जमीन पर कब्जा दिला दिया जायेगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

धन जमा करने के लिए जो नोटिस दिया गया है, वह कितने रुपये का है और मुआवजा किस रेट से दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

*4–श्री सरदार सिंह–

[दिनांक 11-2-86 के अता0 प्र0 सं0 118–119 द्वारा उत्तरित]

*5–श्री जयदीप सिंह बरार–

[पुनर्विचार पर निरस्त]

गन्ना विकास और चीनी उद्योग की तकनीक और विकास की जानकारी हेतु विदेश जाने वाले अधिकारियों की संख्या तथा व्यय

*6–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गन्ना विकास और चीनी उद्योग की तकनीक और विकास का अध्ययन करने हेतु सितम्बर, 85 में उत्तर प्रदेश के किसानों का एक दल आस्ट्रेलिया और फिलीपीन जा रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन लोग जा रहे हैं? क्या यह सही है कि इसमें काफी बड़ी संख्या अधिकारियों की है जिनका सारा खर्चा विभाग वहन कर रहा है ? यदि हां, तो वह कौन लोग हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ के तत्वावधान में दिनांक 14-9-85 से 3-10-85 तक एक अध्ययन दल आस्ट्रेलिया एवं फिलीपीन्स की विदेश यात्रा पर गया था। इस अध्ययन दल में 11 कृषक, 3 सरकारी अधिकारी, 3 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी तथा उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम एवं उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के एक-एक अधिकारी सम्मिलित किये गये थे ।

उक्त अध्ययन दल में भाग लेने वाले अधिकारियों पर होने वाला व्यय, विभाग द्वारा वहन नहीं किया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[दिनांक 28-2-86 को अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में महापालिका कर्मचारियों की भांति नगरपालिका कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने की मांग

*8–कंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या महापालिकाओं की (केन्द्रीयत) सेवा में आने वाले सभी कर्मचारी उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 33 के द्वितीय प्रतिबंध के अनुसार सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् संबंधित महापालिकाओं से पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो नगर-

पालिकाओं को (केन्द्रीयित) सेवा में आने वाले कर्मचारियों को जो कि उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा लागू होने के दिन (9 जुलाई, 1966) से 4 सितम्बर, 1981 के बीच सेवा निवृत्त हुए हैं पेंशन लाभ से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्या शासन इन्हें भी पेंशन लाभ दिये जाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

दिनांक 9-7-66 को जिन महापालिकाओं में अपने पेंशन नियम लागू थे, केवल इनके ही ऐसे कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिल रहा है। उक्त तिथि को नगरपालिकाओं में अपने कोई पेंशन नियम लागू नहीं थे। उसलिए नगर पालिकाओं के उन कर्मचारियों को, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1981 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गए, पेंशन लाभ प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मिल मालिकों द्वारा गन्ना कृषकों को ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव

*9–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिकों द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान एक महीने के भीतर न किये जाने पर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान किये जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन कब तक निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री आम प्रकाश रिछारिया)–

यह विवादास्पद है कि ब्याज भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य पर देय होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य पर। इस बिन्दु का विधिक दृष्टि से परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक स्थिति के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट है कि भारत सरकार किसानों के बकाये गन्ना मूल्य को ब्याज सहित भुगतान करना चाहती है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुझाव रखा है कि राज्य सरकार द्वारा परामर्शित मूल्य होता है, उस पर ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इस समय जो ब्याज का प्राविधान है, धारा-3 (क) के अनुसार न्यूनतम मूल्य गन्ने का जो होता है, उस पर देय है। 1966 का शुगर केन कन्ट्रोल एक्ट का जो खण्ड 2 (ज) है उसमें न्यूनतम मूल्य और एग्रीड मूल्य इन दोनों को आधार माना है। इनमें से किसी एक पर ब्याज देने का प्राविधान है। क्या यह परामर्शित मूल्य है, इस पर ब्याज दिया जाय या नहीं, इसके बारे में ला डिपार्टमेंट से पूछा गया है। श्रीमन्, इस संबंध में मिलों से जब कहा गया तो उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार का जो न्यूनतम मूल्य के एक्ट में प्राविधान है, उस पर ब्याज देने का प्राविधान है। भार्गव फार्मूला के अनुसार जब सारी चीनी बिक जाय और यदि उसके बाद उसका प्राफिट आता है, तब उसका वह प्राफिट बांटेंगे। लेकिन प्राफिट का इन्तजार नहीं होता है और इसका इन्तजार नहीं किया जाता है कि सारी चीनी बिक जाय, उसको एडवान्स दिला दिया जाता है। मिल वाले कहते हैं कि 6

या 7 रु0 का ही तो अन्तर होता है न्यूनतम गन्ना मूल्य से, इसलिये ब्याज का सवाल नहीं उठता । इसकी विधिक परीक्षा करायी जा रही है, जैसे ही परीक्षण पूरा हो जायगा, निर्णय लेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो रहा है कि सिद्धान्ततः यह सहमत है कि गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का ब्याज सहित भुगतान किया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि विधि विभाग को परीक्षण के लिये इसे कब भेजा गया है ? परीक्षण कब तक हो जायगा तथा यह अपना निर्णय कब तक ले लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

वर्ष 1980 में यह विवाद प्रारम्भ हुआ था जब शामली शुगर मिल से कहा गया था कि न्यूनतम गन्ना मूल्य पर ब्याज देना चाहिए । तभी विभाग को भेजा गया था । उन्होंने एक-दो बार कुछ 'क्वेरीज' की थीं, जिनका उत्तर दे दिया गया था, लेकिन अभी स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने न्यूनतम मूल्य और परामर्शित मूल्य का हवाला दिया। क्या मा0 मंत्री जी को इस बात की जानकारी भी है कि न्यूनतम मूल्य 8·5 प्रतिशत रिकवरी के लिए निर्धारित किया जाता है ? भारत सरकार की तरफ से जो परामर्शित मूल्य है, वह प्रदेश और इस क्षेत्र की चीनी मिलों के लिये है, इसलिये दो भागों में बांटा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कम से कम भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जो 8·5 प्रतिशत रिकवरी पर निर्धारित है, अगर उसका भी भुगतान चीनी मिलें समय से नहीं करती हैं, तो किस बात की दुविधा है कि जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, उसका भुगतान करने में कौन सा कानून आड़े आ रहा है कि जो विधि विभाग से परामर्श की जरूरत पड़ गयी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह सही है कि जो गन्ना मूल्य निर्धारित हुआ है वह 8·5 प्रतिशत रिकवरी पर हुआ है । जो मा0 सदस्य ने कहा कि न्यूनतम मूल्य पर क्यों नहीं ब्याज दिलाया जाता है, प्राइज तो वह मानी जाती है, जो व्यावहारिक होती है, प्राइज, न्यूनतम मूल्य और परामर्शित मूल्य को मिलाकर तय की जाती है । मिलों का कहना है कि भार्गव फार्मूले के हिसाब से दे देते हैं । वे कहते हैं कि जब ज्यादा पेमेण्ट कराते हैं तो ब्याज का क्या सवाल है । इसीलिये लां डिपार्टमेंट को भेजा गया है कि इस पर क्या करना चाहिये ? वैसे यह एक्ट में है कि दिलाया जाना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ब्याज के सम्बन्ध में शासन सहमत है । प्रश्न यह है कि भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है, उस पर ब्याज देंगे या उत्तर प्रदेश द्वारा जो परामर्शित मूल्य है, उस पर ब्याज दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न को विधि विभाग को भेजे कितना समय हो गया है और अभी कितना समय और लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह तो परीक्षण पर है, कुछ न कुछ प्वाइंट्स निकल आते हैं, वैसे यह तो

डिबेटेबिल इशू है । भारत सरकार ने भी पूछा है, उनको भी अधिकृत उत्तर दिया जाना है, भारत सरकार इसका परीक्षण भी कर रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन से पूछा है, उनका रिमाइण्डर भी आया है । कार्यवाही करायी जा रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चीनी मिल यह प्ली ले रही है कि परामर्शित मूल्य अधिक दिला दिया जाता है । ब्याज देने का प्रश्न तब उठता है जब चीनी मिलें भुगतान कर दें लेकिन चीनी मिलें तो भुगतान करती ही नहीं है तो फिर भार्गव फार्मूले के अनुसार एडवान्स देने का प्रश्न कहां उठता है ? आखिर सरकार को ब्याज देने में क्या कठिनाई है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

1984-85 में किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया था 329.29 करोड़ रुपया जिसमें से 327.68 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है । अब जो शेष रह गया है इसमें से अधिकांश ऐसा है जिसका कोई पेमेन्ट लेने वाला नहीं है । तो पैसे का भुगतान तो किया ही जा रहा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि चीनी मिलें पैसे का भुगतान कर रही हैं लेकिन किसान भुगतान लेने के लिए तैयार नहीं हैं । इस संबन्ध में मैं मंत्री जी जी से यह जानना चाहता हूं कि बाल्टरगंज चीनी मिल की क्या स्थिति है ? वहां किसान अपने पेमेन्ट नहीं ले रहे हैं या चीनी मिलें उनको पैसे का भुगतान नहीं कर रही हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मैंने यह नहीं कहा कि पूरी तरह से भुगतान किया ही जा रहा है । बाल्टरगंज चीनी मिल की कोई दिक्कत हो सकती है । मैंने तो यहां पोजीशन बयान की है कि यह पोजीशन चल रही है, चीनी मिलों की ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत पर निर्धारित होता है जबकि औसत 11 प्रतिशत तक चीनी मिलों को रिकवरी जाती है । जिन सालों में चीनी मिलों को कोई कठिनाई आयी है उत्तर प्रदेश सरकार ने परचेज टैक्स माफ करके उनको सब्सिडी की शक्ल में सहायता दी है करोड़ों रुपयों की । तो क्या कारण है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं कि चीनी मिलों के मालिकान एतराज करेंगे कोर्ट में ? मंत्री जी क्यों नहीं उनको ब्याज दिलाने के लिये आर्डर करते हैं ? यदि वे कोर्ट में जायेंगे तो सरकार उनको देख भी सकती है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

पूरा सदन जानता है कि चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं लेकिन फिर भी चीनी बिक जाने के बाद जो प्राफिट होगा उसको बांटने का प्रयत्न किया जायेगा, परामर्शित मूल्य के आधार पर।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मंत्री जी जैसा कर रहे हैं कि चीनी मिलों पर कुछ किसानों का पैसा बकाया है । जिन किसानों का चीनी मिलों पर भुगतान शेष है और उन्हीं पर खाद, बीज और पानी का सरकार का पैसा भी बकाया है । तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिन

चीनी मिलों पर पैसा बकाया है क्योंकि वे गन्ना किसान को पैसे का भुगतान नहीं कर रही हैं, लेकिन उन पर जो सरकार का पैसा है उसको सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा है, उनसे । तो मेरा निवेदन है कि क्या सरकार उस पैसे को माईनेस करने पर विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, पर्चियों के आधार पर वसूली सहूलियत से की जाती है । दोनों के हेड अलग-अलग हैं, इसलिये दोनों को जोड़ना संभव नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका विवाद पांच वर्षों से है, तो वह किन पक्षों के बीच में है और किस निर्धारित अवधि तक इसका निबटारा करके किसानों को ब्याज सहित भुगतान करने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जो न्याय विभाग है, उसकी राय ली गयी है और समय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है । इसमें बहुत से लीगल प्वाइन्ट हैं, लेकिन इसको अति शीघ्र करा दिया जायेगा ।।

हरदोई जनपद के संडीला थानान्तर्गत रानी खेड़ा गांव के शिवराम मुराऊ की हत्या की जांच

*10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के संडीला थानान्तर्गत रानी खेड़ा गांव के निवासी शिवराम मुराऊ की हत्या 29 जनवरी, 85 को योजनाबद्ध तरीके से कर दी गयी थी ? क्या यह भी सत्य है कि हत्या के ठीक 20 दिन पहले उसने गृह राज्य मंत्री श्री राम सिंह सैनी से मिलकर हत्यारों से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी और 10 दिसम्बर, 84 को उसने पुलिस महा निदेशक को भी एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान की रक्षा किये जाने की मांग की थी ? यदि हां, तो उसकी प्राण रक्षा के लिए पुलिस विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिवराम मुराऊ की दिनांक 29-1-85 को हत्या के संबंध में अपराध अन्तर्गत धारा 147/148/149/302 भा0 दं0वि0 पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 13-2-85 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। मृतक द्वारा तत्कालीन मा0 गृह राज्य मंत्री जी से मिलने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। दिनांक 10-12-84 को मृतक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, संडीला द्वारा की गई थी । जांच के समय दोनों पक्षों के मध्य सुलहनामे की बात चल रही थी और हत्या की संभावना नहीं पाई गई थी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो पुलिस महानिदेशक को शिकायत की गयी थी, वह क्या थी और क्षेत्राधिकारी ने जो जांच की थी, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उसमें यह था कि इसका नाली को लेकर अभियुक्तों से झगड़ा चल रहा था और उस शिकायती पत्र में यह प्रार्थना की गयी थी कि उनका झगड़ा चल रहा है

और नाली का विवाद है और उसने प्रार्थना पत्र में कहा था कि हमारी जान की सुरक्षा की जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो जांच क्षेत्राधिकारी ने की थी, वह क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह लम्बी है, क्या पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष–

बहुत लम्बी है, थोड़े में बता दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जांच में यह है कि फिलहाल कोई झगड़ा नहीं है, और उस समय इस प्रकार की कोई संभवाना नहीं थी कि कत्ल कर दिया जायेगा । कोई "इम्मीनेंट डेन्जर आफ डेथ" नहीं था ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्राधिकारी को यह जांच सौंपी गयी थीं, उसी की साठ गांठ से यह हत्या हुई है और जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि उसी की साठ गांठ से यह हत्या हुई है । इसको माननीय मंत्री जी ने घुमा फिरा कर कहा है, तो ऐसी दशा में क्या आप पूरे प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मामले में आरोप पत्र लगाया जा चुका है, और न्यायालय में विचाराधीन है । तो ऐसी हालत में सी0आई0डी0 से जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष–

जब मामला न्यायालय में है, तो इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली जनपद के कस्बा रिठौरा थाना हाफिजगंज में झब्बू की गला घोंट कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*11–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 27-10-84 को बरेली जनपद के कस्बा रिठौरा थाना हाफिजगंज में झब्बू नाम के किसी व्यक्ति की हत्या गला घोंट कर की गई थी? यदि हां, तो क्या उसकी कोई रिपोर्ट थाने में लिखाई गई थी ? यदि नहीं, तो मृतक के पुत्र शमशाद को किन साक्ष्यों पर अभियुक्त बनाया गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-10-84 को 5 बजे शाम श्री झब्बू गायब हो गया और उसकी लाश दिनांक 28-10-84 को कस्बा रिठौरा में एक अरहर के खेत में पड़ी मिली । लाश के पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण गला घोंटना पाया गया ।

जी हां, मृतक की पत्नी श्रीमती हमीदन की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या–211, धारा 302 भा0 दं0 वि0 थाना हाफिजगंज पर पंजीकृत किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या झब्बू की पत्नी ने कोई नामजद रिपोर्ट लिखायी है और जो नामजद अभियुक्त हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो गयी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह नामजद नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब नामजद रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी तो झब्बू के पुत्र श्री शमशाद को गिरफ्तार करके उसको अभियुक्त बनाने का क्या कारण था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उसने अपना जुडिशियल कनफेसन भी कर लिया और दौरान तफसीश भी उसने इस बात को माना । इन साक्ष्यों के आधार पर उसका चालान किया गया और गिरफ्तार किया गया ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है और इसीलिए यह सवाल किया गया था । झब्बू के सगे पुत्र शमशाद को जानबूझकर कुछ लोगों ने इस मुकदमे में फसवाया था । उसकी मां ने भी अपने पुत्र का नाम नहीं लिया है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने इसकी जांच करायी कि किन कारणों से फंसाया गया अगर नहीं करायी तो क्या इस निर्देश को छुड़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह आपने बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न किया है कि बाप ने बेटे को क्यों मार दिया । मान्यवर, बाप ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किये थे । एक बेटा इसका दिल्ली में था, उसको एक हिस्सा दिया था और एक हिस्सा इसको दिया था और एक अपने पास रखा था । यह शमशाद जो बहुत ही करप्ट आदतों का व्यक्ति था इसने अपने हिस्से को बेच दिया और यह चाहता था कि उसको मार दें ताकि उसका हिस्सा भी जो दिल्ली वाले लड़के को दिया है, वह मिल जायेगा । इस कारण उसने अपने पिता को मारने का षड़यंत्र किया, और सभी साक्ष्य भी उपलब्ध हुए ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं इसकी तफसीश रिपोर्ट जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने अगर इसकी जांच करायी हो तो ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, तफसीश हुई ।

मुजफ्फरनगर के ग्राम सभा भूड़ को नगर पालिका खतौली में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

*12–श्री हरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि ग्राम भूड़ जनपद मुजफ्फरनगर का नगरपालिका खतौली की सीमा में होते हुए भी उसे नगर क्षेत्र घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं जब कि ग्राम सभा भूड़ के ग्राम वासियों द्वारा बार-बार इस आशय की मांग शासन से की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पटेलनगर (भूड़) नगरपालिका खतौली की सीमा से मिला हुआ है। केवल रेलवे लाइन बीच में है। शासन द्वारा विचारोपरान्त नगरपालिका खतौली की सीमा-वृद्धि का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है।

सुल्तानपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-1 के कार्यालय में टेण्डर के बिक्री को लेकर दो पक्षों में तनाव

*13–श्री शिव नारायण मिश्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-10-85 समय 3 बजे दिन शुक्रवार सुल्तानपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-1 के कार्यालय में ठेके लेने के सम्बन्ध में अराजक तत्वों द्वारा आपस में गोली चली ? यदि हां

तो प्रशासन द्वारा किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? क्या मुकदमा अंकित किया गया है ? यदि कार्यवाही की गयी है तो उन अराजक तत्वों का नाम क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में टेंडर की बिक्री दिनांक 4-10-1985 को लेकर उभय पक्ष, में कहासुनी एवं गरमागरमी की बात हुई थी। दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये उभय पक्षों के व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 5.10.85 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 107/116 जा0 फौ0 की प्रेषित की गई, जो क्रमशः वाद संख्या-269/85 सरकार बनाम रमेश सिंह आदि तथा वाद संख्या-271/85 सरकार बनाम शमशुद्दीन उर्फ बब्बू आदि नगर मजिस्ट्रेट जनपद सुल्तानपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं । दोनों पक्षों के व्यक्तियों के नाम संलग्न हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 145 पर)

श्री शिव नारायण मिश्र

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रथम पक्ष के नामांकित व्यक्तियों का कोई आपराधिक इतिहास है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें अपराधिक इतिहास कोई उपलब्ध नहीं है।

श्री शिव नारायण मिश्र

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गोली काण्ड में घायल किसी व्यक्ति की किसी अस्पताल में दाखिल किये जाने की जानकारी उनके पास है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह संज्ञान में नहीं है।

लखनऊ में पटरी दुकानदार यूनियन द्वारा विधान सभा पर प्रदर्शन

*14–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12 जुलाई, 85 को पटरी दुकानदार यूनियन की ओर से विधान सभा पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन के दौरान 134 व्यापारी गिरफ्तार किए गए थे? यदि हां, तो उक्त प्रदर्शन की मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाये जा रहे नारों से ज्ञात हुआ कि उनकी मांग "मुझे निश्चित स्थान दिया जावे" से संबंधित थी।

महापालिका, लखनऊ की सूचना के अनुसार कोई मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः इस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाये गये नारों से शासन को यह जानकारी हो गई थी कि वह क्या मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, कोई मांग-पत्र तो मिला नहीं । मांग-पत्र दे दें, निश्चित रूप से जो उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जिला लखनऊ पटरी दुकानदार यूनियन के अध्यक्ष श्री मल्होत्रा और महामंत्री रज्जन लाल की ओर से ज्ञापन मंत्री जी को दिया गया और जो समस्या उस समय पैदा हुई थी उनकी दुकानों को उजाड़ने की, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को उस समय महापालिका द्वारा उजाड़ा गया था उनके ऊपर जुर्माना किया गया ?यदि हां, तो कम से कम कितना और अधिक से अधिक कितना जुर्माना किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, कितना जुर्माना किया गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो पटरी दुकानदार हैं उनकी समस्या को हल करने के लिये कोई आवश्यक व्यवस्था सरकार करना चाहती है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष–

इससे कोई सम्बन्ध सवाल का नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिन पटरी दुकानदारों को उजाड़ा गया था उनमें कुछ ऐसी भी दुकाने थीं जिन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान देकर लगवाया गया था ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि जब माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारियों के नारों से उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि दुकानदार उन्हें निश्चित स्थान दिये जाने की मांग कर रहे थे, उसका जवाब मंत्री जी ने कुछ नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस जानकारी के बावजूद क्या माननीय मंत्री जी उनको किसी नई जगह पर बसायेंगे या कोई अन्य व्यवस्था करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि कोई ज्ञापन नहीं मिला। ज्ञापन मिले तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पटरी दुकानदार जो खोखा या खोमचा लगाकर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें नगरपालिका द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है और प्रतीक के रूप में लखनऊ के बारे में सवाल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है कि जो पटरी दुकानदार खोखो लगाकर या खोमचा लगाकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं उनको पुनर्वासित करने के लिये आप क्या व्यवस्था कर रही हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, प्रश्न दुहरा दें।

श्री अध्यक्ष–

उनको बसाने के लिये आपकी क्या नीति है? अवश्य शासन की नीति यह होगी कि कहीं न कहीं उनको बसाया जाय।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जैसे ही स्थान उपलब्ध होता है, उनको बसाने की चेष्टा की जाती है।

उरई नगर में राठ रोड पर नगरपालिका की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*15–कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अन्यत्र स्थान बनाकर देने के वायदे पर शहर उरई, जिला जालौन के पान, लकड़ी, किराना के और पटरी पर सामान बेचने वाले सैकड़ों की तादात में दुकानदारों को स्थानीय नगर पालिका ने विगत जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच उजाड़ा जिससे लगभग 8000 मर्द, औरतों और बच्चों की रोजी रोटी छिनी और अब प्रति दुकानदार और प्रति स्थान क्रमश 30 हजार रुपया पगड़ी और 300 रु0 किराया उनसे मांगा जा रहा है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत छोटे दुकानदारों की राहत के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नगरपालिका उरई द्वारा कोई भी पान, लकड़ी अथवा किराने के पटरी दुकानदार को अन्यत्र स्थान देने के वादे पर नहीं हटाया गया। वास्तविकता यह है कि उरई नगर में राठ रोड पर अनधिकृत रूप से नगरपालिका की भूमि पर कब्जा कर बैठने वाले कुल 166 पटरी-दुकानदारों को हटाया गया था। अनधिकृत कब्जे से मुक्त हुई उक्त भूमि पर नगरपालिका, नियमानुसार दुकानों के प्रीमियम की सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्राप्त धन से एक बाजार का निर्माण करा रही है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उपर्युक्त अतिक्रमणकारी 166 पटरी दुकानदारों में से न्यूनतम आय वाले 35 गरीब व्यक्तियों को, बिना नीलामी के, रियायती दर से प्रीमियम लेकर, दुकानें आवंटित करने का प्राविधान भी नगर-पालिका द्वारा किया गया है।

*16–श्री काजी कलीमुररहमान–

[दिनांक 25-2-86 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

*17–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[10 वें शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम निमड़ी, थाना इनायत नगर, फैजाबाद के अन्तर्गत श्री बनवारी हरिजन के निजी ट्यूबवेल को लूटने, आग लगाने की घटना

*18–श्री मित्रसेन–

क्या गृहमंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29/30 मई की रात ग्राम निमड़ी, थाना इनायतनगर फैजाबाद के अन्तर्गत श्री बनवारी हरिजन के निजी ट्यूबवेल को लूटने, आग लगाने संबंधी घटना की सूचना तार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी, फैजाबाद को जून, 85 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट अंकित कराकर अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी हां। इस संबंध में थाना कैन्ट में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/436/430 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना जारी है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने असंतोषजनक उत्तर दिया। माननीय मंत्री जी ने

395, 436, 430 की धारायें बताईं। यह नहीं बताया कि अभियुक्त के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? मैंने पूछा है कि अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यह कहते हैं, विवेचना जारी है। यह मोरल टरपिट्यूट का केस है क्या इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इसमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इस अभियोग में पहले फाइनल रिपोर्ट लगी थी इसी कारण देर हुई। चूंकि कोई साक्ष्य समक्ष नहीं आये इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दुबारा से इसमें तफतीश के आदेश जारी हुये इस कारण अभियोग प्रकाश में आया।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह हरिजन उत्पीड़न की घटना है। एक हरिजन का ट्यूबवेल जला दिया, लूट लिया और उसे मारा भी गया। इस केस को मई में साल भर हो रहा है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ धाराओं में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। वह कौन-कौन सी धारायें हैं जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगी है और किन परिस्थितियों में लगी? इसमें क्या चार्जशीट मांगी गयी थी। क्या किसी ने इसकी जांच की? दुबारा जो जांच हुई है वह किन परिस्थितियों में हुई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मामला विवेचनाधीन है। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर इस वक्त देना क्या मुनासिब होगा? और सभी सूचनायें इस वक्त उपलब्ध कराई भी नहीं जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मित्रसेन–

क्या यह भी गोपनीय है? मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ।

गोरखपुर में नजूल भूमि पर स्थित बंगला नं0 23 में आवासीय उद्देश्य के विपरीत उद्योग की स्थापना

*19–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि गोरखपुर में नजूल भूमि पर स्थित बंगला नम्बर 23 आवासीय उद्देश्य से आवंटित किया गया है फिर भी एक उद्योगपति ने उसके दक्षिणी भाग का क्रय करके नियम विरुद्ध आवासीय उद्देश्य के विपरीत किसी उद्योग की स्थापनी कर ली है? यदि हां, तो प्रशासन की ओर से उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

यह सही है कि सम्बन्धित सम्पत्ति, मूल पट्टे के अनुसार आवासीय प्रयोजन के लिये पट्टेदार को दी गयी थी। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार इसके एक भाग का प्रयोग प्रेस तथा उसके कार्यालय के रूप में हो रहा है। सम्बन्धित प्रेस के विरुद्ध अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद दायर हो चुका है जो विचाराधीन है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह मुकदमा कब दायर हुआ? किस न्यायालय में हुआ और किस संबंध में है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह बंगला बेगम कुम्स के नाम है; उसमें लगी 4.96 एकड़ भूमि

है जो पट्टे पर दी गयी थी। पट्टे की मुख्य शर्त यह थी कि प्रश्नगत भूमि पर निर्माण बिना सरकारी अनुमति के कोई निर्माण नहीं होगा और यह सरकारी अधिकारियों के रहने के लिए सुरक्षित होगा। आवासीय भवन और बाहरी भवन में कोई परिवर्तन या बढ़ोत्री या भूमि के किसी हिस्से पर कोई नया मकान कलेक्टर की बिना लिखित अनुमति के नहीं बनाया जायेगा। उन्होंने 1922 में बंगला नं0 23 और उसकी भूमि का बैनामा जोखना कुंवर और कुंवर बीबी के नाम कर दिया। इसके बाद कुंवर बीबी ने बंगला नं0 23 व भूमि पट्टेदार द्वारा श्री गोपाल लाल और श्री मुकुन्द लाल को हिब्बा कर दिया। इसके लिए शासन से या कलेक्टर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी, उसके विरुद्ध सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमारोपण गोरखपुर के यहां मुकदमा चल रहा है। 14 फरवरी, 1984 को उन्हें विक्रय की अनुमति दे दी है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि नजूल की जमीन को दैनिक जागरण प्रेस के मालिक ने 2 लाख रुपये में खरीदा और 5 हजार रुपये का स्टैम्प जिलाधिकारी के यहां जमा किया और जिलाधिकारी ने आपत्ति किया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसमें मुकदमा चल रहा है, जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है, कृपया उत्तर दिलवा दें। मैंने पूछा है कि क्या नजूल की जमीन को खरीदने और बेचने का अधिकार है? नजूल की जमीन को दैनिक जागरण प्रेस के मालिक ने दो लाख रुपये में खरीदने का प्रयास किया, इसकी जानकारी क्या मुख्य मंत्री जी को है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैंने तो उत्तर दिया है कि मुकदमा चल रहा है, जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह भूमि दैनिक जागरण प्रेस को एलाट की गयी है या किसी व्यक्ति विशेष के नाम एलाट की गयी है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह मामला सब-जुडिस है, इसलिये इन सभी चीजों पर विचार हो रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जमीन किस उद्योगपति के नाम एलाट की गयी थी और किस सन् में उद्योग स्थापित किया गया था?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, दैनिक जागरण प्रेस ने इस बंगले की भूमि पर एक विस्तृत टीन शेड का निर्माण कराया है जो अनधिकृत है। इसलिये दैनिक जागरण प्रेस के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो विचाराधीन है। इसलिये जो निर्णय होगा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

देवरिया जनपद के अंतर्गत ग्राम भरौली, सलेमपुर टाउन एरिया के श्री रमजान मियां के मकान का अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़

*20–श्री कामेश्वर उपाध्याय (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के सहत ग्राम भरौली, टाउन

एरिया सलेमपुर के निवासी रमजान मियाँ का मकान दिनांक 11-8-85 की सुबह चार बजे हथियारों से लैस होकर जीप मोटर साइकिलों के साथ पहुंच कर तथा सामान तोड़कर जमीन पर गिरा दिया गया तथा उन्हें रस्सी से आततायियों ने दूसरे के दरवाजे पर बांध रखा था ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुये तथा कौन-कौन सा सामान बरामद हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 11-8-85 को वादी की सूचना पर थाना सलेमपुर में अभियोग संख्या 125/85 अंतर्गत धारा 147/148/149/ 342/323 / 427/504 /506 भा0 द0 वि0 पंजीकृत होकर विवेचना द्वारा आरोप सिद्ध होने पर सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-78 दिनांक 30-11-85 को न्यायालय भेजा गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। तीन नामजद अभियुक्त दिनांक 11-8-85 को गिरफ्तार किए गए व एक ने उसी दिन न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 40 के अन्तर्गत मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित तारांकित प्रश्न]

कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री श्री संतोष द्विवेदी की कानपुर पुलिस द्वारा बर्बरता से पिटाई

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 3 जून, 85 को कानपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के महामंत्री श्री संतोष द्विवेदी को कानपुर की पुलिस ने करनैलगंज थाने के हवालात में बंद कर बर्बरता से पिटाई की और उनकी घड़ी व पैसे छीन लिये जिसके संबंध में कानपुर नगर के सभी प्रमुख नेताओं एवं युवा संगठनों ने अपने-अपने अलग-अलग ज्ञापन देकर पुलिस के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की तथा छात्र संगठनों ने क्रमिक अनशन भी किये जिसकी वजह से 7 जून, 85 को कोतवाली कानपुर नगर में मामले के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज की गई एवं उक्त मामले में दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रदेश के गृह सचिव से 26-6-85 को एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला? यदि हां, तो उक्त मामले में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 3-6-85 को सर्वश्री संतोष द्विवेदी, महामंत्री, छात्रसंघ एवं सुधीर सिंह द्वारा निगार टाकीज, कानपुर नगर में शान्ति व्यवस्था हेतु डियूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से मार-पीट की गई। कर्मचारियों द्वारा मौके पर उपस्थित जनता की मदद से दोनों को बंदी बनाया गया, और थाने पर लाकर अभियोग अंतर्गत धारा 332/353/186/189 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया। विवेचनोपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री संतोष द्विवेदी की घड़ी व पैसे पुलिस द्वारा छीन लिये जाने का आरोप सही नहीं है।

छात्र नेताओं द्वारा ज्ञापन देकर पुलिस के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग की गई तथा क्रमिक अनशन भी किए गए। श्री संतोष द्विवेदी द्वारा

दिनांक 7-6-85 को पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक अभियोग अंतर्गत धारा 394 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया जिसमें विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

गृह सचिव को प्रस्तुत ज्ञापन की जांच कराई गई, जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री संतोष द्विवेदी, महामंत्री छात्र संघ कानपुर विश्वविद्यालय ने थाना कर्नलगंज में दिनांक 7-6-85 को पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जो एफ0आई0आर0 धारा 394 की लाज की थी, उसकी जांच किसने की और कानपुर विश्वविद्यालय तथा कानपुर के अन्य तमाम युवा संगठनों के नेताओं ने गृह सचिव को जो ज्ञापन दिया था, उसकी जांच किसने की, जिससे यह पाया गया कि यह आरोप निराधार है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

क्षेत्राधिकारी ने ।

श्री गोपाल दास यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि निगार सिनेमा में जो संतोष द्विवेदी, महामंत्री को पकड़ा गया, उसमें झगड़े का क्या कारण था? और जो जनता के लोग पुलिस की मदद कर रहे थे, उनका पेशा क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह पिक्चर में घुस रहे थे, पुलिस वालों ने इनकी तलाशी लेनी चाही। इस आधार पर झगड़ा हो गया और श्री संतोष द्विवेदी और इनके साथियों ने पुलिस के साथ मार-पीट की। उसने अपना बचाव किया और उसमें मार-पीट हुई, यह आधार है झगड़े का।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आपने जो क्षेत्राधिकारी से जांच कराने की बात कही है, तो आप उस रिपोर्ट को पढ़ दें? दूसरे, जो आपने यह कहा कि वह लोग पिक्चर हाल में घुस रहे थे और पुलिस वालों ने तलाशी लेनी चाही। तो ऐसी कौन सी बात थी कि पुलिस वालों ने कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री की तलाशी लेनी चाही ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

उस समय कानपुर में टेरोरिस्ट यानी उग्रवादियों, आतंकवादियों की एक्टीविटीज बहुत तेज चल रही थीं। इसीलिए पुलिस ने तलाशी लेनी चाही थी। इस पर छात्र नेताओं ने पुलिस कर्मियों की बुरी तरह पिटाई की।

श्री शारदा नंद अंचल–

मंत्री जी ने उग्रवाद की चर्चा की है, तो क्या जिला प्रशासन द्वारा वहां के थाने को उग्रवाद की स्थिति से निपटने के लिए कोई सूचना दी गई थी? यदि दी गई थी, तो वह सूचना क्या थी?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि संतोष द्विवेदी को जनता के कुछ लोगों की सहायता से पकड़ा गया। मैं जानना चाहता हूं कि जनता के वह लोग कौन थे? उनके नाम क्या थे और उसमें कितने लोग पुलिस के मुकदमों में सरकारी गवाह थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पुलिस के मुकदमों में सरकारी गवाह हो।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, छात्र नेता की तलाशी लेने के दौरान संघर्ष हुआ तो मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि पुलिस कर्मियों को क्या-क्या चोटें आयीं हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

दोनों तरफ के लोगों के सिम्पिल इंजरीज आयीं हैं। साधारण चोटें हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आप रिपोर्ट पढ़कर बता दें कि क्या-क्या चोटें हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया है कि साधारण चोटें हैं। साधारण नीला निशान, साधारण खरोंच के निशान, कपड़े भी फटे हैं। तो यह सब चीजें हैं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

क्या माननीय मंत्री जी इस सारे मामले की जांच सी0आई0डी0 से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

सी0आई0डी0 की जांच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बताएंकिया प्रश्न

प्रशासक को दिये गये नगर महापालिका, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

1–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशाकर्ता का पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1985 प्राप्त हुआ है जिसकी प्रशासक नगर महापालिका लखनऊ ने अपने पत्रांक 556 एक दिनांक 30 सितम्बर, 85 से प्राप्ति स्वीकार की है ? क्या उस पर जांच करा कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जांच कराने पर कोई दोषी नहीं पाया गया अतः किसी को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नगरपालिका, लखनऊ कर अधीक्षक जोन–3 का गुणाचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने की मांग

2–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ में कर अधीक्षक जोन–3 जनपद लखनऊ में कब से कार्यरत हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद के लिए किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि इनकी कुल चल तथा अचल सम्पत्ति कितनी है तथा इसकी जांच किसी खुफिया एजेन्सी से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर महापालिका, लखनऊ में वर्तमान कर अधीक्षक, जोन–3, दिनांक 26-4-1980 से कार्यरत हैं ।

अगले सामान्य स्थानान्तरण के समय गुण दोष के आधार पर आवश्यक समझा गया तो किया जायेगा ।

प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ की आख्यानुसार इनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है तथा एक स्कूटर चल सम्पत्ति में उल्लेखनीय है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के मुहल्ला बगलिया डालीगंज में गुरुद्वारा रोड डेला हाउस से लेकर डालीगंज पुल तक निर्माण के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण

3–श्री यदुनाथ सिंह

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि लखनऊ स्थित मुहल्ला बरौलिया डालीगंज में गुरुद्वारा रोड डेला हाउस से लेकर डालीगंज पुल तक का निर्माण कार्य कब कराया गया ? इस मार्ग पर अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य वर्ष 1980 से अब तक कितनी बार कराया गया तथा कितनी धनराशि खर्च हुई? क्या इस मार्ग का निरीक्षण किसी अधिकारी द्वारा किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह कदीमी सड़क है निर्माण का सही समय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार गैंग द्वारा किया जाता है विशेष मरम्मत 9000 रु0 की लागत से 150 मीटर की लम्बाई में कराई गई । इस समय 9700 रु0 के अनुमान की नालियों की मरम्मत प्रगति पर है।

निरीक्षण समय-समय पर अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं गत निरीक्षण 5-3-86 को अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियंता द्वारा किया गया ।

लखनऊ के मार्गों पर बने अवैध कब्जे के हटाये जाने की मांग

4–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के डालीगंज पुल से आई0 टी0 कालेज चौराहे तक तथा सीतापुर रोड क्रासिंग तक के मार्गों पर बने अवैध कब्जों को हटाये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा सड़कों और फुटपाथों पर किये गये अस्थायी कब्जों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर हटाने की व्यवस्था पहले से है।

संदर्भित मार्गों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये महापालिका को निर्देश दे दिये गये हैं ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में विधि अधिकारियों की पदोन्नति

5–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में विधि अधिकारी, का पद 18 वर्षों से चला आ रहा है ? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

विधि अधिकारियों की पदोन्नति हेतु सम्प्रति किसी उच्च पद का प्राविधान नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत विधि अधिकारियों का सुपरविजन

6–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण विभाग में कार्यरत विधि अधिकारियों के कार्यों को सुपरवाईज करने की क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या इस कार्य हेतु कोई पद सृजित करने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत विधि अधिकारियों के कार्यों का सुपरवीजन मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) एवं प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया जाता है।

विधि अधिकारियों के कार्यों को समुचित ढंग से सुपरवाइज करने की व्यवस्था हेतु पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र के दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण

7—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र के कार्यालय में दैनिक मजदूरी (मस्टर रोल) पर कार्यरत कर्मचारियों को क्या दैनिक मजदूरी दी जाती है ? यदि हां तो कितने कर्मचारी 240 दिन से अधिक समय तक काम कर चुके हैं ? इन कर्मचारियों को नियमित कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र के कार्यालय में दैनिक मजदूरी (मस्टर रोल) पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। इसलिए दैनिक मजदूरी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त रा0 मा0 कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति

8—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 16वां वृत्त रा0 मा0 कानपुर में वर्ष 1982 में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कोई विभागीय परीक्षा ली गयी थी ? यदि हां तो इसमें कितने कर्मचारी बैठे थे कितने कर्मचारी उत्तीर्ण हुए थे ? इनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को रखा गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आठ कर्मचारी ।

परीक्षा में भाग लेने वाले सभी कर्मचारी उत्तीर्ण हुए थे। इनमें से अनुसूचित जाति के 2 कर्मचारियों को रखा गया ।

लखनऊ के मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र में कार्यरत आशुलिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच

9—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र में कार्यरत आशुलिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच तत्कालीन राज्य मंत्री सा0नि0वि0 के पत्रांक डी0 आई0 पी0/30 रा0 म0/सा0 नि0 वि0/84 दिनांक 25-2-84 के अनुपालन में पूर्ण कर ली गयी है? यदि हां तो उस पर अन्तिम निर्णय लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इसमें हुए विलम्ब के कारण शासनादेश संख्या 7/3/77 कार्मिक-i/79 दिनांक 21-12-79 के पैरा-3 के (1) (2) में तथा संख्या 7/8-1972 कार्मिक-i दिनांक 30 जुलाई 1977 के पैरा 3 के अनुपालन में संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जांच अधिकारी की संस्तुति के अनुसार सम्बन्धित आशुलिपिक को दण्डित करने की कार्यवाही की जा रही है।

जांच आख्या विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद झांसी में 19 वां वृत्त सा0 नि0 वि0 में आशुलिपिकों की भर्ती

10—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में 19 वां

वृत्त सा0 नि0 वि0 में 2 व3 जुलाई को आशुलिपिकों की भर्ती हेतु कोई परीक्षा ली गयी थी ? यदि हां, तो इसमें कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के लिए थे ? क्या इन श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन किया गया? इस श्रेणी के प्रत्येक वर्ग के कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और उनमें से कितनों का चयन किया गया ? क्या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की शिकायत पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधीक्षण अभियन्ता मध्य क्षेत्र के कैम्प में पूर्व कार्यरत तथा वर्तमान कार्यरत आशुलिपिक के वेतनमान में भिन्नता

11–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता ने अपने पत्रांक 10088 व्यख/307 व्यख/82 दिनांक 8-4-85 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता मध्य क्षेत्र के कैम्प में एक आशुलिपिक के तैनाती के आदेश वेतनमान 515-860 में दिये गये हैं ? यदि हां, तो इससे पूर्व कार्यरत आशुलिपिक को वेतनमान 470-735 क्यों दिया गया ? क्या उक्त कर्मचारी को इसका लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इससे पूर्व कार्यरत आशुलिपिक खण्डीय संवर्ग का था जिसका वेतनमान रु0 470-735 था । यह अस्थायी तौर पर मध्य क्षेत्र में सम्बद्ध किया गया था ।

नहीं ।

चूंकि वह खण्डीय संवर्ग का है और कार्यहित में मध्य क्षेत्र में अस्थायी तौर पर सम्बद्ध था अतः नियमानुसार उसे प्रश्नगत लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

खिम्भावली डिस्टलरी, गाजियाबाद में सीरे के पानी से मच्छरों का प्रकोप

12–श्री कनक सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिम्भावली डिस्टलरी जिला गाजियाबाद में सीरे का पानी जो कि 50 एकड़ में हर समय भरा रहता है से मलेरिया का मच्छर पैदा होता है और आस पास में बीमारी फैलती है? यदि हां, तो सरकार क्या इस गन्दे पानी को व्यवस्थित करने हेतु पक्के टैंक जो ढक सकें अथवा उनमें मच्छर मार दवा डालने के लिये फैक्ट्री को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिम्भावली डिस्टलरी का उत्प्रवाह कच्चे लैगून्स में शुद्धिकरण हेतु भरा जाता है । प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस उत्प्रवाह से मलेरिया का मच्छर पैदा होता है।

उद्योग से उत्पन्न उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की समुचित व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 25/26 के अन्तर्गत उद्योग को दिनांक 21-1-1985 को निर्देश दिये जा चुके हैं । लागू नहीं होता ।

सिम्भावली शुगर फैक्ट्री, गाजियाबाद के केन यार्ड में कृषकों एवं जानवरों हेतु व्यवस्था की मांग

13—श्री कनक सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिम्भावली शुगर फैक्ट्री जिला गाजियाबाद में लगभग 2000 गाड़ियां प्रतिदिन मिल गेट पर आती हैं परन्तु केन यार्ड में कृषकों एवं जानवरों के लिए धूप वर्षा अथवा ओला आदि से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों एवं उनके जानवरों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कठिनाई से बचने के लिए कोई समुचित उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली नगर महापालिका की आय के सम्बन्ध में जानकारी

14—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बरेली महानगर की चुंगी से कितनी आमदनी हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महापालिका को और महापालिकाओं की तुलना में चुंगियों से आमदनी कम क्यों है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका, बरेली की वर्ष 1984-85 में चुंगी से रु0 98,88,532 की आय हुई ।

अन्य महापालिकाओं की तुलना म नगर महापालिका बरेली की चुंगी से आय में भिन्नता का कारण उनकी विशिष्ट औद्योगिक स्थिति, जनसंख्या, व्यवसाय, क्षेत्रफल तथा स्थानीय परिस्थितियों का होना है ।

वाराणसी में जी0 टी0 रोड से भुल्लनपुर ग्राम तक जाने वाली सड़क के रख-रखाव के सम्बन्ध में जानकारी

15—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में जी0 टी0 रोड के भुल्लनपुर चौराहे से भुल्लनपुर ग्राम जाने वाली सड़क के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी0 टी0 रोड से भुल्लनपुर ग्राम (नेपाली कोठी) तक जाने वाली प्रश्नगत सड़क का निर्माण जिला परिषद्, वाराणसी द्वारा किया गया है और इसका रख रखाव भी उसके द्वारा ही किया जाता है ।

अमौसी हवाई अड्डे, लखनऊ एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट द्वारा केटरिंग सप्लाई पर सेल्स टैक्स में छूट

16—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमौसी हवाई अड्डे (लखनऊ) पर एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट द्वारा इंडियन एअर लाइन्स के वायुयानों में केटरिंग सप्लाई पर सेल्स टैक्स में कोई छूट दी जाती है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 सेल्स टैक्स अधिनियम के किस सेक्शन के अंतर्गत ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन समाज कल्याण निदेशालय के सचिवालय सेवा में प्रतिनियुक्ति चपरासियों की सेवाएं सचिवालय सम्वर्ग में समायोजित करने की मांग

17—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभिन्न

विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें सचिवालय सम्वर्ग में की गयी है? यदि हां, तो हरिजन समाज कल्याण निदेशालय के जिन चपरासियों को सचिवालय की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आये लगभग 8 वर्ष हो चुका है उनकी सेवायें सचिवालय सम्वर्ग में समायोजित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, कुछ कर्मचारियों की सेवायें सचिवालय संवर्ग में समायोजित की गई हैं । हरिजन समाज कल्याण निदेशालय का कोई भी चपरासी इस समय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय समूह "घ" सेवा नियमावली, 1983 में अब चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती से भरे जाने का प्राविधान है ।

श्री जे0 सी0 बेलवाल सहायक अभियन्ता सा0 नि0 वि0 की कुमायूं मण्डल विकास निगम, नैनीताल में प्रतिनियुक्ति

18–श्री काशी सिंह एरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 सी0 बेलवाल सहायक अभियन्ता सा0 नि0 वि0 को प्रतिनियुक्ति में कब कुमायूं मण्डल विकास निगम नैनीताल में भेजा गया था ? इन्हें बिना कमेटी द्वारा साक्षत्कार के प्रश्न प्रबन्धक वेतनमान (2000-2500) कब से किस आधार पर किस अधिकारी की संस्तुति/आदेश से कब से दिया गया है? क्या यह भी सही है कि सा0 नि0 वि0 के सचिव के अनुभाग-5 के पत्रांक 2605/ह जी/23-सा0 नि0 अनु0-5-68 125/78 दिनांक 11-7-85 द्वारा श्री बेलवाल को सा0 नि0 वि0 में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के बाद भी इन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस गंभीर अनियमितता के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल को कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल में दिनांक 19 जुलाई, 1980 को प्रतिनियुक्ति पर सा0 नि0 वि0 से भेजा गया था ।

श्री बेलवाल को प्रधान प्रबन्धक के रूप में रु0 2,000-2,500 का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ।

शासन के सा0 नि0 वि0 के आदेश संख्या-यू0 ओ 281 ई0 जी/23 सा0 नि0 दि0 अनुभाग-5 दिनांक 23 सितम्बर, 1985 द्वारा उन्हें पुनः एक वर्ष के लिए निगम में प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नैनीताल स्थित रज्जू मार्ग पर हुए कार्य, व्यय तथा भुगतान के संबंध में जानकारी

19–श्री काशी सिंह एरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल स्थित रज्जू मार्ग (रोप वेज) में मूल अनुमानित व्यय कितना आंकलित किया गया था ? इसमें इतनी व्यय की वृद्धि किस-किस आधार पर हुयी ? क्या यह सही है कि इस कार्य को सम्पादित करने वालों में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लि0 इलाहाबाद को अब भी भुगतान करना बाकी है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य का तथा इस कार्य हेतु भुगतान करने की क्या प्रकिया अपनायी गयी थी कि धन का अपव्यय न हो सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मूल अनुमानित व्यय 137.11 लाख रुपये आंकलित किया गया था।

व्यय वृद्धि का आधार सब सोयल सर्वे, राक एन्कोरिंग तथा सामग्री एवं मजदूरी की लागत में वृद्धि है।

जी हां।

इरेक्शन एवं कमीशनिंग, राक एन्कोरिंग एवं मशीनों के लिए आयातित स्पेयर्स अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार भारत सरकार के प्रतिष्ठान मै0 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि0 को उनके द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध बिल प्रस्तुत किये गये एवं विश्लेषण के पश्चात पी0एल0ए0 चैक से भुगतान किये गये।

20–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में निर्मित रज्जु मार्ग (रोप वेज) में कौन-कौन सा कार्य कुमायूं विकास निगम ने स्वयं अपने अधिकारियों से कराया था ? क्या यह सही है कि इस संबंध में सारा सिविल कार्य कुमायूं विकास निगम ने किया था ? यदि हां तो क्या इस कार्य का भुगतान रज्जु मार्ग निर्माता त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि0 इलाहाबाद को किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रज्जु मार्ग से संबंधित सभी सिविल अभियन्त्रण कार्य निगम के निर्माण कक्ष द्वारा सम्पादित कराये गये हैं।

जी हां।

जी हां।

कुमायूं मण्डल विकास निगम के लिये क्रय किये गये फर्नीचरों तथा फर्मों का वर्षवार विवरण

21–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल विकास निगम के लिये विगत पांच वर्षों में वर्षवार कितना फर्नीचर किन-किन फर्मों से क्रय किया गया ? क्या इस हेतु टेण्डर मांगे गये थे ? यदि हां तो कब-कब ? क्या सरकार को इस निगम में सामग्री क्रय हेतु गंभीर अनियमितताओं की जानकारी है ? यदि हां तो इसकी जांच हेतु उच्च समिति बैठायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

निगम के लिए विगत 5 वर्षों में वर्षवार निम्न प्रकार फर्नीचर क्रय किया गया जो मुख्यतः निगम के पर्यटक आवास गृहों के उपयोग हेतु था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 1981–

मैसर्स श्याम मोहन ब्रदर्स बरेली तथा भारत फर्नीचर हाउस बरेली से क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर क्रमशः 0.71 लाख एवं 0.28 लाख रु0 तथा हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट, नैनीताल से न्यूनतम कोटेशन के आधार पर दो हजार रुपये का फर्नीचर क्रय किया गया।

वर्ष 1982–

मैसर्स श्याम मोहन ब्रदर्स बरेली, भारत फर्नीचर हाउस बरेली से क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर क्रमशः 0.34 लाख, 0.48 लाख रु0 का न्यूनतम कोटेशन के आधार पर मैसर्स गोयल फर्नीचर हाउस दिल्ली तथा मैसर्स के0एस0 स्टील, बरेली से क्रमशः 0.21 लाख रुपये तथा 0.08 लाख का फर्नीचर क्रय किया गया।

वर्ष 1983–

मैसर्स भारत फर्नीचर हाउस बरेली के क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर 0.24 लाख तथा न्यूनतम कोटेशन के आधार पर मेसर्स हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट हल्द्वानी तथा मैसर्स गोयल फर्नीचर हाउस दिल्ली से क्रमशः 0.01 लाख रुपये तथा

0.12 लाख रुपये का फर्नीचर क्रय किया गया इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठान मैसर्स मृग नयनी इम्पोरियम दिल्ली से 2.15 लाख रुपये का फर्नीचर क्रय किया गया ।

वर्ष 1984–

न्यूनतम कोटेशन के आधार पर मैसर्स जागनाथ शाहमिल एण्ड फर्नीचर उद्योग बागेश्वर से 0.56 लाख रुपये का फर्नीचर क्रय किया गया तथा निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा मैसर्स भारतीय फर्नीचर, मोदीनगर के 0.03 लाख का फर्नीचर क्रय किया गया ।

वर्ष 1985–

निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा 0.06 लाख का फर्नीचर क्रय किया गया ।

जी हां । मई 81, नवम्बर, 81, मई 82, दिसम्बर, 82, फरवरी 83, जुलाई 84 में टेण्डर आमंत्रित किये । इसके अतिरिक्त आयुक्त, कुमायूं मंडल जो इस निगम के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे, द्वारा फर्नीचर क्रय करने हेतु एक क्रय समिति वर्ष 80 में गठित की गई थी।

कोई अनियमितता नहीं की गई । प्रश्न नहीं उठता है ।

पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाले मेलों के सम्बन्ध में जानकारी

22–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में किस-किस स्थान पर एक/दो/तीन दिन या रात के मेले क्रमशः किन-किन स्थानों पर आयोजित होते हैं ? सरकार ने इन स्थानों में मंडल स्तर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में एक/दो/तीन दिन या रात के मेले निम्न स्थानों पर आयोजित किये जाते हैं :–

रामेश्वर घाट, पंचकेश्वर, थल, ध्वज, थल केदार, व्यास (गुंजीग्राम, व्यास घाटी), पारमांदम्, नन्दादेवी, मोस्टमानू चंडाल, ध्वल, हिलयात्रा कुमौड़गांव, सोसाग्राम ।

उक्त मेले अधिकतर आंचलिक महत्व के हैं तथा क्षेत्र विशेष से बाहर के अथवा मण्डल के दूसरे जिलों से यात्रियों/पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये ये मेले कोई विशिष्ट आकर्षण प्रस्तुत नहीं करते हैं। उक्त वर्णित मेले में से केवल थल मेले के आयोजन तथा उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदान विगत कुछ वर्षों से दिया जाता रहा है ।

जनपद पिथौरागढ़ में पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल नमूनों का परीक्षण

23–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में की गयी पेयजल सुविधा के क्रमशः कितने-कितने पेयजल नमूनों का किन-किन परीक्षण केन्द्रों में वर्षवार परीक्षण किया गया? इन वर्षों में कुल कितने पेयजल के नमूनों को पीने के अयोग्य घोषित किया गया ? अयोग्य घोषित पेयजल को पीने से बन्द करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी शोध संस्थान की स्थापना

24—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में कोई हर्बल (वनौषधि) संस्थान स्थापित करने का विचार है ?यदि हां, तो किस स्थान पर कितने क्षेत्रफल में संस्थान खुलेगा ? इस हेतु कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी शोध संस्थान के स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। संस्थान किस स्थान पर, कितने क्षेत्रफल में खोला जाय और उसके कार्यशील होने में कितना न्यूनतम आवश्यक समय लगेगा आदि सुसंगत बिन्दुओं पर निर्णय यथा समय लिया जायेगा ।

ग्राम धामी गांव, पिथौरागढ़ की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कार्यवाही

25—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के ग्राम गांव (जनपद पिथौरागढ़) की समस्याओं पर दिनांक 16-5-85 के पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य के प्रश्नगत पत्र दिनांक 16-5-85 के साथ धामी गांव निवासियों का प्रत्यावेदन दिनांक 26-3-85 प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम सभा अठखेत में खड़ंजा व पेयजल, ग्राम सभा बलतेर को योजनाओं से वंचित रखे जाने, धामी गांव में विद्युतीकरण, बागेश्वर-थल-डीडीहाट पिथौरागढ़ मार्ग से संलग्न भूमि ग्रान्ट पर दिये जाने के कारण ग्रामीण भूमि की क्षति, गेखड़ वाली भूमि से बजड़ी व बोल्डर निकालने के फलस्वरूप रामगंगा नदी के बहाव से शिव मन्दिर को क्षति से बचाने संबंधी बिन्दुओं का उल्लेख था । उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को दिनांक 12 जुलाई, 1985 को निर्देश जारी कर दिये गये थे, तथा मा0 सदस्य को इस संबंध में 12 जुलाई, 1985 को पत्र भेजा गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन 16वां वृत्त में अमीनों के वेतनमान में असंगति

26—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सा0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्व0 नि0 विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन 16वां वृत में 1972 के वेतनमान 200—320 दिया गया था जब कि 12वां वृत्त पिथौरागढ़ में समान योग्यता और कार्य वाले अमीनों को किस आधार/नियम/मानक पर रु0 185—265 का वेतनमान दिया जाता रहा ? इस मूल असंगति के रहते हुए भी 1979 के वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य सभी वृत्तों के अमीनों को रु0 354—550 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद पिथौरागढ़ वाले अमीनों को किस वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है?सरकार ने इस असंगति को 1972 से ही हटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सार्वजनिक निर्माण विभाग में भूमि अध्यापित के कार्यों में प्रगति लाने के लिए शासनादेश दिनांक 23-10-72 द्वारा

विभागों के 16 कार्यकारी वृत्तों में भूमि अध्याप्ति वृत्तों की स्थापना की गयी थी तथा प्रत्येक वृत्त के लिए अमीनों के 5 पद सृजित किये गए थे। उक्त 16 वृत्तों में से एक प्रश्नगत पिथौरागढ़ का वृत्त भी है। अमीनों के उक्त पद रु0 80–140 के वेतनमान में सृजित किये गये थे जब कि विभाग के नियमित कार्य प्रभावित अमीन का वेतनमान रु0 75–115 था। उक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा यह नीति अपनायी गयी थी कि इन्हें राजस्व विभाग के प्रतिनियुक्ति पर लेकर योग्य लेखपालों द्वारा भरा जाए। किन्तु पिथौरागढ़ वृत्त में राजस्व विभाग के अमीन उपलब्ध न हो पाने की दशा में विभाग के ही कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत प्रशिक्षित अमीनों की नियुक्ति रुपये 80–140 के स्वीकृत वेतनमान के स्थान पर रुपये 75–115 के वेतनमान, जो कि विभाग के नियमित कार्यप्रभारित अमीन का वेतनमान था, में की गयी।

प्रथम वेतन आयोग (1971-73) जिसकी संस्तुतियां दिनांक 1-8-72 से लागू मानी गयीं, ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अमीन के पद के दोनों पुराने वेतनमानों (रु0 75–115 तथा 80–140) के लिए 185–265 का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया जिसे द्वितीय वेतन आयोग (1979-80) द्वारा रुपये 330–495 के वेतनमान में दिनांक 1-7-79 से पुनरीक्षित किया गया। राजस्व विभाग के अमीन का वेतनमान प्रथम तथा द्वितीय वेतन आयोगों द्वारा क्रमशः 200–320 तथा रु0 354–550 स्वीकृत किया गया है। किन्तु पिथौरागढ़ के वृत्त को छोड़कर अन्य वृत्तों में वृत्तों के अन्य अमीनों को त्रुटि-वश रु0 185–265/330–495 के स्थान पर रु0 200–320/354–550 के वेतनमान राजस्व विभाग के अमीन के वेतनमान के साक्ष्य पर दे दिए गये हैं। इस त्रुटि के निराकरण के लिए उक्त वृत्तों में कार्यरत अमीनों का मूल वेतन रु0 330–495 के वेतनमान में सुरक्षित करने के आदेश वित्त विभाग के परामर्श से प्रमुख अभियन्ता को दिनांक 15-2-86 को जारी कर दिए गये हैं। इस प्रकार पिथौरागढ़ वृत्त के अमीनों को स्वीकृत वेतनमान रु0 185–265/330–495 उचित है।

27–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय जनपद तथा सीमान्त जनपदों में विकास दर का माप

28–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपद तथा सीमान्त जनपदों में विकास दर का मापन किस प्रकार किया जाता है? विगत पांच पंचवर्षीय योजनाओं के क्रमशः प्रारम्भ होने व समाप्त होने पर जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा का विकास दर क्रमशः कितना था? इन्हीं समय क्रमशः उत्तर प्रदेश व भारत वर्ष का विकास दर कितना आंकलित किया गया था? सरकार ने सप्तम पंचवर्षीय योजना में कथित जनपदों में विकास दर के और तीव्र करने के लिए क्रमशः क्या-क्या विशेष कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसी भी जनपद में आर्थिक विकास दर का मापन उस जनपद की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत स्थायी भावों पर आय में हुई वृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। यही प्रक्रिया पर्वतीय एवं

सीमान्त जनपदों के लिये भी अपनाई जाती है ।

उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन खण्डों (कृषि एवं पशुपालन, वन, उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मत्स्य उद्योग, खनन एवं पत्थर निकलना, विनिर्माण) में जिलावार शुद्ध घरेलू उत्पादन के योजना, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तथा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों की अवधि में अल्मोड़ा की वार्षिक विकास दर क्रमशः 8.9 प्रतिशत 0.1 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत थी। चतुर्थ योजना में पिथौरागढ़ जनपद के लिये अलग से अनुमान तैयार नहीं किये जाने के कारण यह अल्मोड़ा जनपद में सम्मिलित थे । पाचवीं पंचवर्षीय योजना तथा छठीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में पिथौरागढ़ की वार्षिक विकास दर क्रमशः 4.9 प्रतिशत एवं 2.8 प्रतिशत रही । चतुर्थ, पंचम तथा छठी योजना की अवधियों में तत्सम्बादी वस्तु उत्पादक खण्डों से सम्बन्धित अर्थ व्यवस्था की वार्षिक विकास दर उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1.2 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत थी, जबकि भारतवर्ष में यह क्रमशः 3.4 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत एवं 1.4 प्रतिशत रही।

सातवीं योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन और आय में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है जिसमें अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिले भी सम्मिलित हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्पादक मदों पर अधिक विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । पर्वतीय क्षेत्र के कुल आयोजनागत परिव्यय में उत्पादक मदों/इनका जनरेटिंग सेक्टरों में छठीं योजना में लगभग 45 प्रतिशत हुये आयोजनागत व्यय के विपरीत सातवीं योजना में लगभग 53 प्रतिशत परिव्यय आवंटित किया गया है । स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि के लिये रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सरल लैण्डलेस एम्पलायमेण्ट गारन्टी योजना, लघु एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता आदि कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गयी है ।

39—श्री काशी सिंह ऐरी—

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनीताल क्षेत्र की झीलों के पर्यावरणीय सुधार हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन, बैठक सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट

30—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल क्षेत्र की झीलों के पर्यावरणीय सुधार हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति शासनादेश संख्या यू0 ओ0 0260/45-5/105/ पर्या/ 84 दिनांक 23 मार्च, 85 को कुमायूं मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गयी? यदि हां, तो इसमें अन्य कौन-कौन से सदस्य थे? इनमें से कौन-कौन सदस्य झील के पर्यावरण में विशेषज्ञ व पूर्व में अनुभव प्राप्त थे? इस समिति पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस समिति में निम्न सदस्य थे:—

1—आयुक्त, कुमायूं मंडल, नैनीताल

2—डा0 के0एस0 वल्दिया, विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल।

3—डा0 जे0एस0 सिंह, वनस्पति विज्ञान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस।

4—डा0 जी0 पी0 मिश्रा, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, सागर वि0 वि0 सागर।

5—डा0 एम0सी0 पंत, जंतु विज्ञान, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

6—प्रो0 वी0 कौल, बायो साइन्सज विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू।

7—डा0 वीरेन्द्र कुमार, कन्सलटेंट, पर्वतीय क्षेत्र परियोजना, योजना भवन, नई दिल्ली।

8—अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

9—जिलाधिकारी, नैनीताल।

10—श्री मुकुन सनवाल, विशेष सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन लखनऊ।

11—डाइरेक्टर, सेंट्रल स्वायल कंजरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून।

12—मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, लखनऊ।

13—निदेशक, पर्यावरण, लखनऊ।

14—डा0 आर0के0 सरदाना, वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण, लखनऊ।

इसमें निम्नलिखित सदस्य झील के पर्यावरण विशेषज्ञ व पूर्व में अनुभव प्राप्त थे:—

1—डा0 के0एस0 वल्दिया, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

2—डा0 जे0एस0 सिंह, प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, बनारस हिन्दू, विश्वविद्यालय बनारस।

3—डा0 जी0पी0 मिश्रा, विभागाध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, सागर विश्वविद्यालय, सागर।

4—डा0 एस0सी0 पन्त, जन्तु विज्ञान, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

5—प्रो0 वी0 कौल, बायो साइंसेज विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू।

6—डा0 वीरेन्द्र कुमार, कन्सलटेन्ट्स, पर्वतीय क्षेत्र परियोजना, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।

7—निदेशक, पर्यावरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अब तक इस समिति पर कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है।

3.1—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल क्षेत्र की झीलों के पर्यावरणीय सुधार हेतु शासनादेश संख्या यू0 ओ0 0260/45-5/05/पर्या0/84 दिनांक 23 मार्च, 1985 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक किन-किन तिथियों को हुयी? इन्होंने किन-किन झीलों का किस-किस तिथि को सर्वेक्षण किया? इस समिति की रिपोर्ट कब सरकार को दी गयी? इस समिति की मुख्य-मुख्य संस्तुति क्या-क्या थी? इन संस्तुतियों पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

समिति की अभी तक एक बैठक दिनांक 10 मई, 1985 को सम्पन्न हुई। इन झीलों का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। अतः अभी तक कोई अंतिम संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई जिन पर कोई अग्रिम कार्यवाही की जा सकती।

ग्राम सभा बतन, पिथौरागढ़ के अंतर्गत लीजम स्थान पर बाढ़ सुरक्षा के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

32—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने इन्हें अपने पत्र दिनांक 1-7-85 द्वारा (मा0प0वि0 राज्य मंत्री को पत्रांक वी0 आई0 पी0/191/85 दिनांक 16-7-85 द्वारा प्राप्त) ग्राम सभा बतन जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत लीजम नामक स्थान में बाढ़ रोकने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो सीमान्त क्षेत्र की जन आकांक्षाओं के संदर्भ में सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। लीजम नामक स्थान पर बाढ़ रोकने के लिए प्रथम बार ग्राम प्रधान, ग्राम सभा लीजम ने अनुरोध किया था।

लीजम स्थान बतन गाड़ के दाएं किनारे पर स्थित है। यहां पर भूस्खलन अथवा गधेरे से कटाव की समस्या नहीं है। यह क्षेत्र समतल है तथा वर्षा ऋतु में गधेरे का पानी अधिक मात्रा में होने के कारण काफी बड़े क्षेत्र में फैलकर बहता है। प्रभावित क्षेत्र जिसमें पानी फैलकर बहता है लगभग 5 हेक्टेयर है, यह बेनाप है। वर्तमान में इससे किसी क्षति की संभावना नहीं है। भविष्य के लिए इस प्रभावित क्षेत्र को संभावित बाढ़ से बचाने के लिए इस विकास क्षेत्र की बाढ़ से बचाव वाली प्रस्तावित क्षेत्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

33—श्री काशी सिंह ऐरी—

[7वें सोमवार के अता0प्र0सं0 96 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट क्षेत्र में खनिज गवेषण लि0 द्वारा तांबा, सीसा व जस्ता की शुद्धीकरण योजना

34—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य के सहयोग से पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट क्षेत्र समान्वसी खनिकर्म (एक्सप्लरोटरी माइनिंग) से तांबा, सीसा और जस्ता की शुद्धीकरण योजना कब से प्रारम्भ की गयी? इसमें अब तक वर्षवार कितना खर्च किया जा चुका है? उपरोक्त स्थल पर उपरोक्त खनिजों के अवयस्कों की कितनी मात्रा मिली है? सरकार कब तक यहां खनिज प्राप्ति हेतु खनन प्रारम्भ कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में खनिज गवेषण लिमिटेड द्वारा तांबा, सीसा व जस्ता की शुद्धीकरण योजना माह फरवरी, 1985 से प्रारम्भ की गई है। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से अब तक प्रारम्भिक कार्य एवं खनन अंडर ग्राउंड कार्य पर लगभग 58 लाख रुपया व्यय हो चुका है। उपरोक्त खनिजों की अवयस्कों की मात्रा अभी बताया जाना संभव नहीं है क्योंकि खनिजों का खनन अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। चूंकि खनन अंडर ग्राउन्ड कार्य अभी चल रहा है और खनिज प्राप्ति हेतु प्रयास जारी है। अभी इस कार्य में और समय लगने की संभावना है।

जनपद टिहरी में अंगारा शक्ति प्रजनन केन्द्र द्वारा उत्पादन तथा वितरण के लक्ष्य का निर्धारण

35—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद टिहरी में

अंगोरा शशक प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो कब? इस केन्द्र से प्रति वर्ष कितने शशकों का उत्पादन तथा वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

वर्ष 1984-85 में इस प्रक्षेत्र पर 100 मादा तथा 20 अंगोरा शशक प्रजनन के लिए रखे जाएंगे, जिससे प्रतिवर्ष 1500 शशकों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

पर्वतीय विकास क्षेत्र में स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के संबंध में जानकारी

36–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास क्षेत्र में स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की कहां-कहां स्थापना की गयी है? इस मद में अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? इस योजना के प्रारम्भ से अब तक कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया जा चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कलस्टर केन्द्र एवं उड कार्विंग ट्रेनिंग एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना योजना

37–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलस्टर केन्द्र एवं उड कार्विंग ट्रेनिंग एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने केन्द्र स्थापित किये गये? कितनी धनराशि की सामग्री का उत्पादन किया गया? यह योजना कब से प्रारम्भ की गयी ? योजना प्रारम्भ से अब तक इसमें वर्षवार कितना खर्च किया जा चुका है? इस योजना में कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

हस्तकला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का वर्षवार विवरण

38–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी में कलात्मक वस्तुयें बनाने के लिये हस्तकला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कहा-कहां पर? इन केन्द्रों में विगत 5 वित्तीय वर्षों में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ और कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद उत्तरकाशी में एक ऐसा केन्द्र खोला गया है। इस केन्द्र का विगत 5 वित्तीय वर्षों का उत्पादन एवं प्रशिक्षित लोगों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन (रुपये)	प्रशिक्षित लोगों की संख्या (ट्राइसम योजना द्वारा)
1980-81	6158·90	7
1981-82	9867·90	7
1982-83	4483·00	7
1983-84	15498·00	7
1984-85	23585·50	3
योग–	59,593·30	31

जनपद अल्मोड़ा में अंगोरा शशक पाइनियर इकाई की स्थापना

39—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में स्थित अंगोरा शशक पाइनियर इकाई की स्थापना कब की गयी है? इसमें अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है? इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने उद्यमियों को प्रशिक्षित व लाभान्वित किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चमोली जनपद ग्वालदम स्थित बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र योजना

40—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जनपद ग्वालदम में स्थित अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र में अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? इस योजना द्वारा कुल कितनी बकरियों का उत्पादन तथा वितरण हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रु0 9,11,643·23 पै0।

योजनान्तर्गत उत्पादन तथा वितरण की संख्या

	बकरियां	बकरे
उत्पादन	1360	1406
वितरण	—	1224

इटली सरकार के सहयोग से जैतून, अखरोट, बादाम, खुबानी आदि शीतोष्ण फलों की परियोजना

41—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटली सरकार के सहयोग से जैतून, अखरोट, बादाम, खुबानी, नीबू विकास योजना कितनी धनराशि से कितने वर्षों तक चलायी जायेगी? इस योजना के अंतर्गत किन-किन जनपदों के किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने की योजना निर्धारित है? इस हेतु स्थान चयन के न्यूनतम मानक क्या रखे गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इटली सरकार के सहयोग से जैतून, अखरोट, बादाम खुबानी आदि शीतोष्ण फलों की परियोजना 2·41 करोड़ रुपये की लागत से 5 वर्षों तक चलायी जायेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त पर्वतीय जनपदों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत स्थान चयन के न्यूनतम मानक निम्न प्रकार हैं:—

क्रमांक फल	समुद्र तट से ऊंचाई (फुटों में)	भूमि	जलवायु
1—जैतून	1500—4000	दोमट	
2—अखरोट	5000—7000	तदैव	
3—बादाम	2550—6000	तदैव	कम वर्षा
4—नीबू	—4500	तदैव	
5—खुबानी	4500—6500	तदैव	

रानीखेत, अल्मोड़ा स्थित चौबटिया शोध केन्द्र में नये किस्म के गुलाब आदि फूलों पर अनुसंधान कार्य

42—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत स्थित चौबटिया शोध केन्द्र में नये किस्म के गुलाब आदि फूलों पर अनुसंधान कार्य विगत कई वर्षों से चल रहा है? यदि हां, तो इन शोध कार्यों द्वारा कौन-कौन से फूलों की किन-किन नयी किस्मों का अन्वेषण किया गया है? इन विकसित नये किस्म के फूलों के पौध का बाजार में विक्रय किस दर से कहां-कहां पर किया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में स्थित चौबटिया शोध केन्द्र पर किये जा रहे शोध कार्यों द्वारा ग्लैडियोलस की 5 नई प्रजातियों यथा (1) चौबटिया-6/4(2), चौबटिया-21/8(3) चौबटिया 21/13(4), चौबटिया- 14/23/तथा (5) चौबटिया-19/1 का अन्वेषण किया गया है तथा गुलाब, गुलदावदी एवं कारनेशन फूलों की नई प्रजातियां विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस शोध केन्द्र द्वारा विकसित की गई नई प्रजातियों का अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन कराया जा रहा है जिसके पश्चात् ही इन प्रजातियों को व्यापारिक स्तर पर संस्तुत किया जायेगा।

43—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दिनांक 17-3-86 को अता0 प्र0 सं0 153 द्वारा उत्तरित]

"शान-ए-सहारा" पत्र, पिथौरागढ़ को मान्यता दिलाये जाने की मांग

44—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा जनपदीय स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने के क्या मानक हैं? इसी संदर्भ में शान-ए-सहारा की जनपद पिथौरागढ़ में वितरण संख्या 500 से ऊपर होने पर भी उल्लिखित पत्र व जिला सूचना अधिकारी द्वारा संस्तुति किये जाने पर भी दिनेश जोशी को जनपद स्तरीय मान्यता न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री प्रमोद कुमार—

उत्तर प्रदेश प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियम 1978 यथासंशोधित में जिला-मुख्यालय तथा जिले के प्रमुख स्थानों में मान्यता के जो नियम हैं उसका उद्धरण संलग्न है। इस उद्धरण के नियम 31(ड,) में यह प्राविधान है कि प्रदेश के ऐसे साप्ताहिक पत्र जिनका प्रसार 5000 से अधिक हो, के एक प्रतिनिधि को मंडलों के मुख्यालय तथा कानपुर में ही मान्यता दी जा सकती है। चूंकि शान-ए-सहारा इस प्राविधान को पूरा नहीं करता है, ऐसी दशा में इसे मान्यता नहीं दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 146—147 पर।)

श्री रमेश चन्द्र पन्त को मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 मई, 85 का पत्र मिला? इस पत्र में उल्लिखित श्री रमेश चन्द्र पन्त पुत्र श्री लीलाधर पन्त मोती लाल

नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में पर्वतीय कोष्ठ हेतु सुरक्षित 38 सीटों में 28वीं वरीयता होने पर भी, मेडिकल परीक्षण हो जाने एवं प्रवेश शुल्क जमा करने पर भी प्रवेश नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी उच्च स्तरीय जांच की मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश निर्गत कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ। यह सही है कि वर्ष 1984 में मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों आरक्षित 38 सीटों के लिए श्री रमेश चन्द्र पन्त का वरीयता क्रम में 28वां स्थान था। श्री पन्त ने जीव विज्ञान विषय के साथ इन्टरमीडिएट पास किया था और ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश पन्त प्रौद्योगिक महाविद्यालय में केवल कृषि अभियन्त्रण पाठ्यक्रम में ही हो सकता था। जीव विज्ञान विषय से इन्टरमीडियट पास पर्वतीय क्षेत्र के कोटे के अभ्यर्थियों के लिए कृषि अभियन्त्रण पाठ्यक्रम में केवल एक ही सीट आरक्षित थी जिसके विरुद्ध दसवीं वरीयताक्रम वाले अभ्यर्थी को प्रवेश मिल गया और श्री पन्त को, जिनका वरीयताक्रम में 28वां स्थान था, प्रवेश नहीं मिल सका। वर्णित परिस्थितियों में किसी के दोषी होने अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में हाई स्कूल कक्षाओं में विज्ञान प्रयोगशालायें खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

46–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने हाइस्कूल दिनांक 15-8-85 तक थे? इनमें कितने विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालायें (पूर्ण सज्जायुक्त) स्थापित हो गयी हैं? हाई स्कूल कक्षाओं में आवश्यक विज्ञान विषय होने के कारण जनपद में स्थापित सभी हाई स्कूलों में कब तक विज्ञान प्रयोगशालायें खोल दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 15-8-85 तक कुल 43 हाई स्कूल थे। इनमें से 24 विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं (पूर्ण सज्जा-युक्त) स्थापित हैं। शेष में से 16 विद्यालयों के लिये अनिवार्य विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक शिक्षण की अस्थायी व्यवस्था की गयी है। शेष 3 विद्यालयों के लिये भी अस्थायी व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सभी विद्यालयों के लिये विज्ञान प्रयोगशालाएं (पूर्ण सज्जा-युक्त) की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

नैनीताल में भारतीय मार्ग कांग्रेस की बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्ग बनाये जाने की संस्तुति

47–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 7 जुलाई, 85 को नैनीताल में भारतीय मार्ग कांग्रेस

की त्रिदिवसीय बैठक का उद्घाटन किया था ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्ग बनाने हेतु क्रमशः क्या-क्या संस्तुतियां उपरोक्त संस्था द्वारा की गयी हैं? सरकार इन बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में मार्गों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा किया गया विचार-विमर्श भारतीय सड़क कांग्रेस के विचाराधीन है तथा इस संबंध में उक्त संस्था से अभी कोई संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के पशु सेवा केन्द्रों में उन्नतशील नस्ल हेतु नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना

48–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः कितने पशु सेवा केन्द्रों में वर्ष 83-84 व 84-85 में उन्नतशील नस्ल के लिये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? प्रत्येक पशु सेवा केन्द्र में कब तक अभिजनन केन्द्र स्थापित हो जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोई नहीं।

इन जनपदों में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली से प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, प्रत्येक केन्द्र पर नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पिथौरगढ़ व अल्मोड़ा में पशु सेवा केन्द्र तथा पशु विकास सहायकों के रिक्त पद

49–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः कुल कितने पशु सेवा केन्द्र हैं? इनमें से कितनों में पशु विकास सहायकों के पद क्रमशः कब से रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अद्यावधिक सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के पशु सेवा केन्द्रों के निजी भवन तथा किराया के मानक

50–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन पशु सेवा केन्द्रों का अपना विभागीय भवन नहीं है? इन भवनों का कुल कितना किराया किन मानकों के आधार पर दिया जाता है ? इनमें शासन कब तक अपना विभागीय भवन बना लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डीडीहाट, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मवानी स्थान के चिड़िया खान स्थान में वास्केट बाल में सम्मानित श्री हरिदत्त कापड़ी को रोजगार व सम्मान देने की मांग

51—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या खेल मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत मवानी स्थान के पास चिड़िया खान नामक सान में 1969 में वास्केट बाल खेल में राष्ट्र के सर्वोच्च खेल अलंकरण अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री हरिदत्त कापड़ी अत्यन्त ही कुंठित व अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रोजगार व सम्मान देने की नीति के अनुरूप कम से कम प्रान्तीय स्तर का प्रशिक्षक नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। श्री कापड़ी प्रशिक्षक की महत्तायें पूर्ण नही करते । अतः उन्हें प्रशिक्षक नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

टनकपुर पुण्यागिरि मार्ग के निर्माण में कार्यरत ठेकेदारों को जुर्माना

52—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर पुण्यागिरी मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 33-84 में केन्द्र द्वारा पारित वन अधिनियम के कारण रोका गया ? यदि हां, तो उक्त मार्ग में कार्यरत ठेकेदारों को बांड में 10 प्रतिशत जुर्माना किया गया? यदि हां, तो क्यों ? किन-किन ठेकेदारों (स्थायी पते सहित) को कितना-कितना जुर्माना किया गया ? क्या वह जुर्माना ठेकेदारों को वापस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, हां ।

प्रश्नगत मार्ग पर कार्यरत ठेकेदारों में से मात्र तीन ठेकेदारों पर कार्य को अधूरा छोड़ने के कारण 10 प्रतिशत जुर्माना किया गया तथा एक ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ न करने के कारण 2 प्रतिशत जमानत जब्त की गयी । श्री भुवन चन्द्र, ठेकेदार पर 7899 रु0, श्री बल्लभ तिवारी, ठेकेदार पर 10,219·70 रु0 तथा श्री केशव दत्त पाण्डे, ठेकेदार पर 19,261·50 रु0 का जुर्माना कार्य को अधूरा छोड़ने के कारण किया गया एवं श्री केशव दत्त पुजारी, जिन्होंने कार्य आरम्भ ही नहीं किया था, से जमानत के 1,800 रु0 जब्त किये गये । उक्त ठेकेदारों के स्थाई पतों के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है। केन्द्र द्वारा पारित प्रश्नगत अधिनियम के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा मार्च, 1984 में कार्य बन्द कराया गया था। उक्त चार ठेकेदारों में से तीन ठेकेदारों ने मार्च, 1983 तक कुछ कार्य करके स्वयं ही कार्य बन्द कर दिया था तथा एक ठेकेदार ने कार्य आरम्भ ही नहीं किया था । उक्त ठेकेदार यदि कार्य करते तो वन विभाग द्वारा रोक लगाये जाने के पूर्व ही कार्य पूर्ण हो जाता तथा यदि कुछ कार्य शेष भी रह जाता और तब वन विभाग द्वारा बन्द करा दिया जाता तो इन पर कोई जुर्माना आदि नहीं लगाया जाता । ऐसी स्थिति में लगाया गया जुर्माना तथा जब्त की गई जमानत की धनराशि वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि कार्य को अधूरा छोड़ने तथा न प्रारम्भ करने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर ऐसा किया गया है।

जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा देहरादून में चाय बागानों का क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण

53—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि स्वतंत्रता से पूर्व जनपद अल्मोड़ा (कौसानी क्षेत्र) पिथौरागढ़ (लोहाघाट, चम्पावत चौकड़ी बैरीनाग क्षेत्र) देहरादून में चाय के बड़े-बड़े बगीचे थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

उपर्युक्त स्थानों में चाय बागानों का क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण निम्नलिखित है :—

स्थान	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		गत पांच वर्षों में औसत उत्पादन
	स्वतन्त्रता से पूर्व	दिनांक 1-6-85 को	
1—कौसानी	838		
2—लोहाघाट	45	30	
3—चम्पावत	80	14	
4—चौकोडी अज्ञात (बैरोनाग क्षेत्र)।	..	90	20 क्विटल प्रति वर्ष
5—देहरादून	986	968	2420 क्विटल प्रति वर्ष।

इन बागानों के जीर्णोद्धार करने के संबंध में शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी थी कि ऐसे बागान के जीर्णोद्धार के लिये टी बोर्ड या उसकी कोई सब्सिडियरी कम्पनी संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने हेतु तैयार हो तो राज्य सरकार उसमें योगदान देने पर विचार कर सकती है। निजी चाय उत्पादक स्वयं अपने बाग के जीर्णोद्धार के लिये टी बोर्ड से उपलब्ध सुविधायें प्राप्त कर सकता है। निजी चाय बागानों के जीर्णोद्धार करने एवं चाय की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु चाय उत्पादकों को अधिक यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में दिनांक 1-6-85 तक क्रमशः कितने क्षेत्रफल में चाय के बगीचे रह गये हैं ? क्रमशः इन क्षेत्रों में पूर्व में प्रमाणित अभिलेखों के अनुसार कितने क्षेत्रफल में चाय बागान थे? इनमें क्रमशः कितनी चाय पिछले पांच वर्षों में उत्पादित की गयी ? इन बागानों के जीर्णोद्धार के लिये अब तक क्या-क्या प्रयास सरकार ने किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये टी बोर्ड प्रयत्नशील है।

राजकीय फल अनुसंधान केन्द्र चौपटिया (रानीखेत) अल्मोड़ा में केसर आदि पौधों की प्रजातियों को पर्वतीय क्षेत्र में लगाने हेतु शोध कार्य

54—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय फल अनुसंधान केन्द्र चौपटिया (रानीखेत) जनपद अल्मोड़ा में

केसर, अदरख, मसाला पौधों की प्रजातियों को पर्वतीय क्षेत्र (उत्तराखंड) में लगाने हेतु कोई शोध कार्य 1972 से लगातार चल रहा है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या सफलता मिली है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु ऐसी योजना बनाकर शीघ्र कार्यान्वित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । केसर की खेती के लिए यहां की भूमि एवं जलवायु उपयुक्त नहीं पायी गई क्योंकि यहां की भूमि में अम्लीयता अधिक है तथा केशर के फूलने के समय (अगस्त माह में) अधिक वर्षा होती है । यह दोनों बातें इसकी सफल खेती में बाधक हैं । मसाला की प्रजातियों में अदरख एवं हल्दी को शोध हेतु चुना गया, जिस पर बोने के समय, किस्मों एवं उर्वरक, बीज की मात्रा, आकार आदि के विषय में विभिन्न परीक्षण किये गये । इनसे प्राप्त परिणाम प्रभावकारी रहे हैं । सातवीं योजना में इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाने का प्रस्ताव है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ के कटाव को रोकने की व्यवस्था का विवरण

55–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड में तराई क्षेत्र को छोड़कर शेष पहाड़ी भाग में छोटी, मध्यम बड़ी नदियों से प्रति वर्ष हजारों एकड़ भूमि कट जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ प्रकोप रोकने के लिये अब कोई विशेष कार्य किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों/नालों का ढाल अधिक होने के कारण बाढ़ का विशेष प्रकोप नहीं होता है । यह जरूर है कि नदियों द्वारा स्थानीय तौर पर छोटे-छोटे भागों में भूमि का कटाव होता है ।

आवश्यकता के अनुसार भूमि का कटाव रोकने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा छोटी-छोटी योजनायें बनाकर कार्य किये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक करवाये गये कटाव निरोधक बाढ़ कार्यों की जनपदवार संख्या तथा व्यय की गई धनराशि निम्न प्रकार है :–

पर्वतीय क्षेत्र:—

	निर्मित बाढ़ कार्यों संख्या	व्यय कीगयी धनराशि
अल्मोड़ा	17	38.21 लाख
पिथौरागढ़	9	54.37 लाख
चमोली	20	92.57 लाख
पौड़ी	1	2.64 लाख
टिहरी	4	9.52 लाख
उत्तरकाशी	24	176.13 लाख
तराई भावर क्षेत्र :—		
नैनीताल	81	321.52 लाख
पौड़ी	20	23.04 लाख
देहरादून	64	354.85 लाख

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के बिक्री कर जमा करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या तथा जमा धनराशि

56—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में ऐसे कौन-कौन से व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने विगत पांच वर्षों से 10 हजार रुपये से अधिक वार्षिक बिक्रीकर के रूप में जमा किया है? विगत तीन वर्षों में इन संस्थाओं पर क्रमशः कितनी वार्षिक राशि बिक्रीकर के रूप में आंकलित की गयी और इन्होंने क्रमशः कितनी राशि जमा की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल में 190, जनपद-अल्मोड़ा में 11, व जनपद पिथौरागढ़ में 6 व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्होंने विगत 5 वर्षों में 10,000/- रुपये से अधिक वार्षिक बिक्रीकर के रूप में जमा किया। ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची, इन प्रतिष्ठानों पर गत तीन वर्षों से आंकलित की गई वार्षिक बिक्रीकर की राशि एवं प्रतिष्ठानों द्वारा जमा की गई धनराशि की सूचना संलग्न है†।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में ऊन बैंक की स्थापना तथा ऊन विक्रय का प्रबन्ध

57—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि सरकार ने जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में उनके द्वारा चल रहे लघु उद्योगों को जीवित रखने तथा सशक्त बनाने के लिए अल्मोड़ा में ऊन बैंक की स्थापना की है ? यदि हां, तो इसकी प्रधान केन्द्र की शाखायें सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के प्रत्येक विकास खण्ड में तुरन्त खोलते हुये वहां नियमित ऊन विक्रय के लिए क्या-क्या प्रबन्ध सुनिश्चित किये हैं। ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट में नारायण नगर पेयजल योजना द्वारा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस चौकी को पेयजल दिये जाने के संबंध में जानकारी

58—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट अन्तर्गत वि0 खं0 डीडीहाट में नारायणनगर पेयजल योजना मूल रूप से नारायण नगर क्षेत्र की जनता के लिए बनी थी? यदि हां, तो इस मूल योजना का निर्माण कार्य कब कितनी धनराशि से पूरा हुआ है? इस योजना में मेथीं (नारायण नगर के पास) स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस चौकी को पेयजल दिये जाने हेतु अनुबंध कब किस अधिकारी के द्वारा संस्तुति व स्वीकृत किया गया? इसके अन्तर्गत मूल नागरिकों को पानी न दिये जाने और उपरोक्त चौकी को कितना पानी दैनिक रूप से दिये जाने का प्राविधान है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही नहीं है कि नारायण नगर पेयजल योजना केवल नारायणनगर निवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनी थी। यह योजना अगस्त, 1977 में 9.262 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण हुई और इसके निर्माण हेतु 6.485 लाख रुपये की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई थी। अतः

---

†छापी नहीं गई।

स्पष्टत: इस योजना में भारत सरकार के संगठन को पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है जिसके तहत नारायण नगर क्षेत्र के ग्रामों को पेयजल सुविधा के अलावा 1,35,000 लीटर प्रतिदिन पेयजल भारत तिब्बत सीमा पुलिस चौकी को उपलब्ध कराया जा रहा है।

59—श्री काशी सिंह ऐरी—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

पिथौरागढ़ के सोनपट्टी क्षेत्र में गुलदार हिंसक जानवर का आतंक, हत्या तथा मुआवजा

60—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सोनपट्टी क्षेत्र में विगत दो वर्षों से स्यूर नामक जानवर का अत्यन्त आतंक है? इस जंगली जानवर द्वारा विगत दो वर्षों में उपरोक्त क्षेत्र में कितने पशुओं की हत्या की गयी? कितने नर नारियों पर आक्रमण किया गया? उपरोक्त हानि के लिए सरकार ने किन मानकों के आधार पर क्रमश: कितनी धनराशि किन-किन तिथियों को भुगतान की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सोनपट्टी क्षेत्र में विगत दो वर्षों से स्यूर नामक जानवर का आतंक न होकर गुलदार का आतंक था, परन्तु अब कोई आतंक नहीं है। गुलदार द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में विगत दो वर्षों में 28 मवेशी मारे गये हैं। गुलदार द्वारा एक लड़की श्रीमती जसुदेवी पुत्री दलीपराम तथा एक लड़का श्री नरेन्द्र राम पर अकस्मात आक्रमण किया गया। घायल होने पर श्रीमती जसुदेवी को उपचार हेतु रु0 1,000 (एक हजार रु0) की सहायता दिनांक 2-11-1985 को दी गई। श्री नरेन्द्र राम को घायल करने पर मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है। मारे गये मवेशी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि गुलदार या शेर द्वारा मारे गये किसी मवेशी के लिए कोई मुआवजा उसी दशा में देय है, जबकि मवेशी को किसी पशु बिहार की सीमा से 5 किमी0 अन्दर व 5 किमी0 बाहर की दूरी वाले क्षेत्र में मारा गया हो। चूंकि सोनपट्टी क्षेत्र जनपद पिथौरागढ़ में कोई पशु बिहार नहीं है अत: इस क्षेत्र में मारे गये मवेशियों के लिए मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जल संस्थान के अभियन्ताओं को जल आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर क्रय करने को अधिकार की मांग

61—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जल संस्थान के सहायक/अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ताओं को आपातकालीन परिस्थितियों में भी जल आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर क्रय करने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार जल आपूर्ति को नियमित रूप से चलाने हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यक सामग्री क्रय करने के सीमित आर्थिक अधिकार उक्त स्तर के अधिकारियों को तुरन्त प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। सामान्यतया जल संस्थानों के सहायक/अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ताओं

को आपातकालीन परिस्थितियों में जल आपूर्ति बनाये रखने के लिए स्थानीय स्तर पर क्रय के अधिकार नियमानुसार प्राप्त हैं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

कुमायूं जल संस्थान सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में अवर अभियन्ताओं के रिक्त पद

62—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में जल संस्थान विभाग के अन्तर्गत अक्तूबर, 1985 तक अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता के कितने पद रिक्त पड़े थे? इन पदों की पूर्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुमायूं जल संस्थान के अन्तर्गत सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में अक्तूबर, 1985 तक अवर अभियन्ता के 6 पद रिक्त थे। सहायक अभियन्ता का कोई भी पद रिक्त नहीं था।

अवर अभियन्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पिथौरागढ़ में विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत राभाड़ पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने, मरम्मत व प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने की मांग

63—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में वि0 ख0 धारचूला के अन्तर्गत राभाड़ पेयजल योजना मई, 1984 में क्षतिग्रस्त हुई थी? यदि हां, तो इस क्षति की सूचना सरकार को कब प्राप्त हुयी? इस जल योजना से प्रभावित जनता को तुरन्त राहत दिये जाने हेतु उपरोक्त क्षति की मरम्मत अब तक न किये जाने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं? कब तक यह पेयजल योजना पूर्ववत चालू हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जल संस्थान पिथौरागढ़ को उक्त योजना के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। जल संस्थान के पास सीमित संसाधन होने के कारण अब तक मरम्मत नहीं करायी जा सकी।

माह अप्रैल, 1986 तक मरम्मत कार्य कराकर पेयजल सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनाकोट में सौनगांव, जलतूड़ी पेयजल योजना से नियमित जल आपूर्ति की मांग

64—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वि0 खं0 मूनाकोट के अन्तर्गत सौनगांव, जलतूडी पेयजल योजना कब कितनी धनराशि से कितने गांवों के लाभार्थ बनायी गयी थी ? इस योजना में अब तक नियमित पेयजल आपूर्ति न किये जाने का क्या कारण है ? इन कठिनाइयों को इतने लम्बे समय तक लम्बित रखने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? कब तक इस योजना में नियमित रूप से जल आपूर्ति करनी प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस विकास खण्ड के अंतर्गत (1) सौनगांव पेयजल योजना अनुमानित लागत

4.22 लाख रु0 पर एक राजस्व ग्राम सौनगांव के लिये जून 1985 में बनायी गयी थी । (2) जलतूडी पेयजल योजना अनुमानित 20.45 लाख रु0 की लागत पर 9 राजस्व ग्रामों के लिये वर्ष 1977-78 में बनायी गयी थी ।

सौनगांव पेयजल योजना नियमित रूप से चालू है । जलतूडी पेयजल के अन्तर्गत एक गांव बडारी में 2 माह पूर्व व्यवधान आ गया था जिसे दूर कर दिया गया । वर्तमान में यह योजना पूर्णतयः चालू है। इसको दृष्टिगत रखते हुए किसी अधिकारी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम्य स्तरीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

65—श्री काशी सिंह एरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम्य स्तरीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान में ग्राम सभा को इकाई माना जाता है ? जबकि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त क्षेत्र में ग्राम सभाओं का क्षेत्रफल व जनसंख्या बिल्कुल असमान होती है ? क्या सरकार उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठ भूमि में सीमान्त क्षेत्रों में ग्राम सभाई विकास योजनाओं हेतु ग्राम सभा की जनसंख्या, परिवार संख्या व क्षेत्रफल को मानक मानकर कार्यान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम्य स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन के विकास के लिये वर्तमान में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के तहत जनपद योजना (जिला सेक्टर) की योजना की संरचना के लिये जनपद को इकाई माना गया है, जिसमें योजना संरचना के लिए प्रस्तावित निर्देशों में जनपद के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की असमानताओं तथा असंतुलन दूर किये जाने हेतु योजना संरचना एवं कार्यान्वयन पर बल दिया गया है । जिला योजना संरचना के लिये जिला/मंडलीय समिति, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी है, में क्षेत्र के सभी आवश्यक-आवश्यकताओं को देखे जाने की व्यवस्था है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधा हेतु संयुक्त निदेशक (पर्वतीय क्षेत्र) पर्यटन की नियुक्ति

66—श्री काशी सिंह एरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रियों, पर्यटकों की सुविधा के लिए वहां की विशिष्ट भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां के रात्रि विश्राम गृह, होटल, धर्मशालाओं का पंजीकरण आवश्यक कर उन्हें वहां की उपरोक्त विशिष्टताओं के आधार पर स्तरित कर यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधायें दिये जाने हेतु पूर्ण निगरानी रखने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

संयुक्त निदेशक (पर्वतीय क्षेत्र) पर्यटन की नियुक्ति की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के धर्मशालाओं, रात्रि विश्राम गृह तथा होटलों का विवरण

67—श्री काशी सिंह एरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में चम्पावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, थल, बेरीनाग,

पिथौरागढ़, गंगोली हाट में क्रमशः कितनी धर्मशालायें तथा व्यक्तिगत रात्रि विश्राम-गृह या होटल हैं जहां यात्रियों के ठहरने का प्रबंध है ? क्या सरकार ने इन स्थानों पर पड़ने वाले रात्रि किराये के निर्धारण व आवश्यक सुविधा दिये जाने हेतु निगरानी के लिए कोई प्रबंध किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में चम्पावत, होलाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, थल, बेरीनाग, गंगोलीहाट में कुल 2 धर्मशालायें तथा 18 व्यक्तिगत रात्रि विश्राम गृह या होटल हैं, जिनका अलग-अलग विवरण निम्न प्रकार है:–

स्थान	धर्मशालाएं	व्यक्तिगत रात्रि विश्राम गृह या होटल
1—चम्पावत	..	..
2—लोहाघाट	..	2
3—पिथौरागढ़	..	12
4—धारचूला	..	..
5—मुनस्यारी	..	1
6—थल	1	..
7—बेरीनाग	..	1
8—गंगोली हाट	1	2
	2	18

जी हां ।

सराय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही प्रस्तावित है ताकि उनके ऊपर नियंत्रण संभव हो सके ।

जनपद नैनीताल में मोटर मार्ग से लगे स्थानों पर धर्मशालाओं, रात्रि विश्राम गृहों तथा होटलों की व्यवस्था का विवरण

68–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद नैनीताल में मोटर मार्ग से लगे किन-किन स्थानों में रात्रि विश्राम हेतु क्रमशः कितने-कितने धर्मशालायें, रात्रि विश्राम गृह या होटलों की व्यवस्था है? इन स्थानों पर पड़ने वाले रात्रि किराये के निर्धारण व आवश्यक सुविधा दिये जाने की निगरानी के लिए कोई प्रबंध किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल में मोटर मार्ग से लगे निम्न स्थानों पर धर्मशालाओं, रात्रि विश्राम गृहों या होटलों की व्यवस्था है—

स्थान	धर्मशालाएं	रात्रि विश्राम गृह या होटल
1—नैनीताल	7	63
2—भुवाली	1	2
3—ज्योलीकोट	—	1
4—रानीबाग	1	—
5—काठगोदाम	1	1
6—हल्द्वानी	7	9
7—रुद्रपुर	4	2
8—किच्छा	1	—
9—नानकमत्ता	1	—
10—खटीमा	—	1
11—टनकपुर	1	2
12—रामनगर	2	6
13—काशीपुर	10	3
14—ओखला कांडा	1	—
	36	90

जी हां ।

सराय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही प्रस्तावित है ताकि उनके ऊपर नियंत्रण संभव हो सके ।

जनपद अल्मोड़ा में मोटर मार्ग से लगे स्थानों पर धर्मशालाओं, रात्रि विश्राम गृहों तथा होटलों की व्यवस्था का विवरण

69—श्री काशी सिंह एरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा में मोटर मार्ग से लगे किन-किन स्थानों से यात्रियों के रात्रि विश्राम हेतु क्रमशः कितनी-कितनी धर्मशालायें रात्रि विश्राम गृह या होटलों की व्यवस्था है ? इन स्थानों पर पड़ने वाले रात्रि किराये के निर्धारण व आवश्यक सुविधा दिये जाने की निगरानी के लिए कोई प्रबंध किया गया है? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद अल्मोड़ा में मोटर मार्ग से लगे निम्न स्थानों पर धर्मशालायें, रात्रि विश्राम गृह या होटलों की व्यवस्था है:–

स्थान	धर्मशालाएं	रात्रि विश्राम गृह या होटलें
1—अल्मोड़ा	2	12
2—पनुवानौल	1	..
3—जागेश्वर	2	..
4—रानीखेत	2	8
5—द्वाराहाट	1	1
6—चौखुटिया (गनाई)	..	1
7—कालिका	..	1
8—मजखाली	..	1
9—शीतलाखेत	1	..
10—कौसाड़ी	..	5
11—गरुड़ (बैजनाथ)	1	..
12—बागेश्वर	2	3
13—विन्सर	..	1
	12	33

जी हां।

सराय एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही प्रस्तावित है ताकि उनके ऊपर नियंत्रण संभव हो सके।

70—श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व कैलाश यात्रा मार्ग में धर्मशालाओं व सरकारी व्यवस्था के संबंध में जानकारी

71—श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री व कैलाश यात्रा मार्ग में क्रमशः किन-किन स्थानों पर कितनी धर्मशालायें हैं ? इन धर्मशालाओं में कुल शयन क्षमता कितनी है ? इनकी सुव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या प्रबंध किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान में केदारनाथ में 12, बद्रीनाथ में 18, गंगोत्री में 4, यमुनोत्री में 1 धर्मशालायें हैं। कैलाश-मानसरोवर मार्ग में क्रमशः टनकपुर-पिथौरागढ़ यात्रा मार्ग पर 6, पिथौरागढ़ तवाघाट मार्ग पर 5, तवाघाट लिपूलेख मार्ग पर 8 धर्मशालायें हैं। उपरोक्त धर्मशालाओं की शयन क्षमता

4,060 है । इन सभी धर्मशालाओं की सुव्यवस्था हेतु सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

वृन्दावन, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी व इलाहाबाद में धर्मशालाओं की संख्या तथा सरकारी व्यवस्था

72—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में वृन्दावन, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी, व इलाहाबाद में क्रमशः कितनी धर्मशालायें हैं इन धर्मशालाओं में कुल शयन क्षमता कितनी है ? इनकी सुव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

वर्तमान में वृन्दावन-मथुरा में 58, अयोध्या में 23, हरिद्वार में 52, वाराणसी में 34 व इलाहाबाद में 65 धर्मशालायें हैं ।

इन धर्मशालाओं में कुल 35,893 शयन क्षमता है ।

चूंकि धर्मशालायें सामान्यतः न्यास द्वारा संचालित होती हैं । अतः सरकार की ओर से इनके प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं की जाती है ।

गढ़वाल जिले में तहसील टिहरी पट्टी गोसाई गांव खमेला के जल निगम द्वारा पेयजल योजना

73—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि टिहरी गढ़वाल जिले में तह0 टिहरी पट्टी गोसाई गांव खमेला के लिये जल निगम के माध्यम से कोई पेयजल योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब तक कितनी धनराशि में पूर्ण हो जाना था ? इस योजना का कितना भाग अब तक कितनी धनराशि व्यय कर पूरा कर लिया गया है ? इस योजना द्वारा प्रस्तावित गांवों को पेयजल कब से नियमित रूप से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस योजना की अनुमानित लागत 6·213 लाख रु0 थी और मार्च, 1985 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य था ।

इस योजना में सम्मिलित दो ग्रामों खमोली व धमाड़ी में से ग्राम खमोली को मार्च, 1985 में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया था । ग्राम खमोली की पाइप लाइन अधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी लेकिन ग्राम वासियों के वाद-विवाद के कारण पाइप लाइन की मरम्मत नहीं करायी जा सकी है तथा ग्राम धमाड़ी की वितरण प्रणाली नहीं डाली जा सकी है । फरवरी, 86 तक इस पर रु0 6·23 लाख का व्यय हो चुका था । श्रोत का डिस्चार्ज कम होने के कारण एक अन्य श्रोत को भी इस योजना से जोड़ कर योजना पुनरीक्षित की जा रही है ।

दोनों ग्रामों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 1986-87 में उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

74—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

लागू नहीं है ।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट के अन्तर्गत भूमि या थल जौरासी पैदल मार्ग में चर्मा नदी पर निर्मित इस्कबर

75—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि तह0 डीडीहाट (पिथौरागढ़) में वि0 खं0 डीडीहाट अंतर्गत भूमि या थल-जौरासी पैदल मार्ग में चर्मा नदी पर ग्राम जाखधोलते के पास सन् 1983 में दो इस्कबर बने थे ? यदि हां, तो कितनी धनराशि से ? क्या यह सही है कि इन इस्कबरों के बनने के बाद की पहली वर्षा ऋतु में ही ये बह गये थे ? यदि हां, तो इसे स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत मनिभागर नगरखान लिंक मार्ग बनाये जाने की मांग

76—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत मनिभागर नगरखाना लिंक मार्ग बनाने की मांग वर्षों से उस क्षेत्र की जनता करती आ रही है ? यदि हां, तो स्वतंत्रता पूर्व में ही बनी जिला परिषद् की 6 फुट चौड़ी समतल सड़क को आधार मानकर इस मांग को सरकार कब तक स्वीकृत व क्रियान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड भैंसियाछाना के अंतर्गत कतिपय गांवों में नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

77—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में वि0 खं0 भैंसियाछाया के अंतर्गत ग्राम सभा डालाकोट दशों, चनौली तथा वि0 खं0 धौला देवी के अंतर्गत ग्राम सभा नाकोट, गिरचौला, सेवा के ग्रामवासी पिछले 10 वर्षों से बरसात में भी पीने के पानी से वंचित हैं ? यदि हां, तो उक्त गांवों की पेयजल योजनाओं को नियमित रूप से चलाये जाने तथा शेष में पेयजल योजना बनाने के लिए सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्रामवार स्थिति निम्न प्रकार है:—

ग्राम डालाकोटा:—

अन्य विभाग की पूर्व निर्मित योजना से लाभान्वित किया गया था जो इस समय निष्क्रिय हो गई है । इस गांव को अन्य योजना में सम्मिलित करके योजना पुनर्गठित की जा रही है ।

ग्राम दशों:—

यह गांव दशों ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है जिसे पूर्ण करके जल संस्थान को हस्तान्तरित किया जा चुका है तथा गांव में पेयजल सुविधा उपलब्ध है ।

ग्राम चनौली:—

चनौली ग्राम समूह पेयजल योजना में यह गांव सम्मिलित है । योजना का कार्य प्रगति में है तथा मई, 1986 तक पेयजल सुविधा कराये जाने का लक्ष्य है ।

ग्राम नाकोटः—

इस गांव की पेयजल योजना मार्च, 1984 में पूर्ण करके जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दी गई है और यह आंशिक रूप से चालू है। त्रुटियों का निराकरण करके मई, 1986 तक पेय-जल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम गिरचीलाः—

यह ग्राम निर्माणाधीन चनौली ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है। इस मई, 1986 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

ग्राम सैलाः—

इस ग्राम को मार्च, 1985 में पेय-जल से लाभान्वित किया जा चुका है।

मनुस्यारी, पिथौरागढ़ के ग्राम मल्लादुभर में स्व0 हरि सिंह जंगपांगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुण्य स्मृति में विद्यालय खोले जाने की मांग

78—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तह0 मनुस्यारी में ग्राम मल्ला दुम्मर (मुनस्यारी) में स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी स्व0 श्री हरि सिंह जंगपांगी की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष कार्तिक 21 गत तद्नुसार 6, 7 नवम्बर को प्रदर्शनी व मेले का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सीमान्त जनजाति क्षेत्र को राष्ट्रीय चेतना व एकता से भरपूर रखने के लिए स्व0 श्री हरि सिंह जंगपांगी की पुण्य स्मृति में कोई स्थायी बहुउद्देशीय विद्यालय का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मनुस्यारी के ग्राम मल्लादुगर में स्व0 श्री हरि सिंह जगपांगी की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष 21 गत कार्तिक तद्नुसार 6, 7 नवम्बर को हरि प्रदर्शनी नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्र में 7वीं योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित कराये जाने संबंधी कोई योजना नहीं है।

पिथौरागढ़ में विकास खण्डवार पालतू जानवरों की नस्ल वृद्धि हेतु जानवरों की मांग तथा आपूर्ति

79—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में अच्छी नस्लों के पालतू जानवरों की नस्ल वृद्धि के लिए विकास खंडवार किन-किन जानवरों की कुल कितनी मांग दिनांक 1-10-85 तक सरकार से की गयी है? कब तक इन जानवरों की आपूर्ति वांछित स्थानों में कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय व सीमान्त क्षेत्रों के गांवों में पशुओं के नस्ल सुधार की व्यवस्था की मांग

80—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी तराई, पर्वतीय व सीमान्त क्षेत्रों के गांवों में अच्छी गौवंश वृद्धि हेतु सांड, भैंसा, भेड़ा, बकरा को ग्राम सभाओं को या पशु सेवा केन्द्रों को किन मानकों के आधार पर आवंटित किया जाता है? क्या सरकार सीमान्त

की विषम भगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए सीमान्त जनपदों में अच्छी नस्ल के उक्त जानवरों को अधिक संख्या में शीघ्र दिये जाने हेतु विशेष छूट देगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पिथौरागढ़ में चंडाक स्थित मैग्नीसाइट फैक्ट्री के चारों ओर स्वास्थ्य पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण योजना का कार्यान्वयन

81–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में चंडाक स्थित मैग्नीसाइट फैक्ट्री के चारों ओर स्वास्थ्य पर्यावरण बनाये रखने के लिए क्या इस कम्पनी की ओर से वर्ष 1982 तथा उसके बाद कोई वृक्षारोपण योजना कार्यान्वित की गयी ? यदि हां, तो इस वृक्षारोपण को बचाने व बड़ा करने के लिए क्रमशः क्या-क्या नीति सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

पर्यावरण की दृष्टि से उद्योग के स्थल की सहमति भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 2-6-1982 को दी गई थी । उस समय वृक्षारोपण की योजना कार्यान्वित कराये जाने की मार्ग निर्देशिका विद्यमान न होने के कारण उद्योग को वृक्षारोपण निर्देश नहीं दिये गये । इस उद्योग से उत्पादन वर्ष 1987 में होना सम्भावित है अतएव अब इस उद्योग को वायु प्रदूषण के नियंत्रण की व्यवस्था हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वृक्षारोपण करने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं।

82–डा0 विनोद तिवारी,
श्री राम औतार मिश्र तथा
श्री अहिवरन लाल वर्मा–
[मा0 सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

83–श्री सिकन्दर अली खां,
श्री चेतराम तथा
डा0 विनोद तिवारी–
[मा0 सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

84–श्री सिकन्दर अली खां,
श्री चेतराम तथा
डा0 विनोद तिवारी–
[मा0 सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

85–डा0 विनोद तिवारी तथा
श्री चेतराम–
[मा0 सदस्यों द्वारा वापस लिया गया]

श्री श्रीविलास तिवारी, सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

86–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री श्रीविलास तिवारी, सहायक राज्य सम्पति अधिकारी, उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध किन-किन सदस्यों ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें वर्ष 1985 में की थी तथा इस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सर्वश्री अकबर हुसैन बाबर तथा मान बहादुर सिंह सदस्यों के क्रमशः दिनांक 29-5-1985 तथा दिनांक 11-6-1985 के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे । इन पर जांच की जा रही है ।

87—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

[दिनांक 11-3-86 को अता0 प्र0 सं0 144 द्वारा उत्तरित]

जौनपुर के तहसील शाहगंज में नव निर्मित सड़क नौलीकलापुर गभिरन के निर्माण में भ्रष्टाचार

88—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तह0 शाहगंज में नव निर्माण सड़क नौलीकलापुर गभिरन जिस पर साढ़े बारह लाख रुपया खर्च किया गया है अभियन्ताओं के मिली भगत से सड़क की सफाई किए बिना छरीं व तारकोल डाल कर कई दिन बाद रोलर चलाया गया था ? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सन्दर्भाधीन मार्ग जिला परिषद् जौनपुर से संबंधित है । अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर देना सम्भव नहीं है।

89—डा0 विनोद तिवारी तथा श्री चेतराम—

[मा0 सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया]

अस्थाई खण्ड नं0 1 सा0 नि0 वि0 बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही

90—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अस्थाई खण्ड नं0—1 सार्व0 नि0 वि0 बस्ती के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा 83-84, 84-85 में कुल कितने शिकायती पत्र शासन तथा अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता (श्री हीरालाल चौधरी) के भ्रष्टाचार के आरोप में रिवर्ट हो गए थे ? यदि हां, तो इनके साथ कौन-कौन सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता कार्यरत होकर भ्रष्टाचार में शामिल थे ? उन लोगों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायतों की छानबीन कराई जा रही है ।

यह सही नहीं है कि श्री हीरा लाल चौधरी, अधिशासी अभियन्ता भ्रष्टाचार के आरोप में रिवर्ट हो गए । श्री चौधरी तदर्थ स्थानापन्न रूप से अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे और उन्हें अक्षमता के कारण सहायक अभियन्ता के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है । शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

राज्य सेतु निगम द्वारा पनामा वहरीन में खोले गए विकासीय कार्यालय में उपलब्ध निवास तथा वातानुकूलित वाहन सुविधाओं के संबंध में जानकारी

91—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेतु निगम द्वारा पनामा वहरीन में एक विकासीय कार्यालय (डेवलपमेंट्स) आफिस खोला गया तथा इस कार्यालय के लिए मैनेजर डेवलपमेंट की नियुक्ति की गई तथा वहां पर उन्हें वातानुकूलित कार्यालय वातानुकूलित निवास तथा वातानुकूलित वाहन (कार) आदि की सुविधाएं भी सुलभ कराई गई ? यदि हां, तो यह कार्यालय कितने दिन रहा, इस पर कुल कितना व्यय हुआ तथा इससे निगम को कितने रुपए के अतिरिक्त कार्य मिले ? इस कार्यालय को निगम द्वारा प्रदान की गई (खरीदी गई) वातानुकूलित कार अब कहां है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

कार्यालय निवास तथा वातानुकूलित वाहन आदि की सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

यह कार्यालय जून, 82 से अक्टूबर, 83 तक रहा ।

इस पर कुल रु0 10,70,418.74 पैसे का व्यय हुआ ।

अतिरिक्त कार्य नहीं मिले । लेकिन बहरीन, आबूधाबी, साऊदी अरेबिया में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) व पूर्व-योग्यता (प्री क्वालीफिकेशन) का कार्य किया गया तथा कई कार्यों की निविदाएं दी गईं।

यह कार इस समय ईराक में किए जा रहे कार्यों हेतु प्रयोग की जा रही है ।

सरकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा, बरेली में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

92–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में पिछले वर्ष से ही चालू हुई सेमीखेड़ा चीनी मिल में बरेली जनपद के कितने लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है और बाहरी जिलों से आए नियुक्त लोगों के अनुपात की संख्या कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा, बरेली में चीनी मिल स्तर पर तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है:–

श्रेणी एवं नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या	नियुक्त कर्मचारियों में जनपद बरेली के कर्मचारी		नियुक्त कर्मचारियों में बाहरी जनपद के कर्मचारी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
गैरतकनीकी–358	215	60.05	143	39.95
तकनीकी––233	26	11.16	207	88.84

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि गैर तकनीकी पदों पर अधिकतम कर्मचारी जनपद बरेली के ही नियुक्त किए गए हैं । तकनीकी पदों पर चयन अभ्यर्थियों की विशेष तकनीकी योग्यता एवं दक्षता पर आधारित है ।

नगरपालिका सीतापुर में विचाराधीन दाखिल-खारिज के मामलों की संख्या

93–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर में दाखिल खारिज के ऐसे कितने मामले विचाराधीन है जो कि 5 वर्ष की अवधि से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

केवल 232 मामले विचाराधीन हैं ।

आजमगढ़ जनपद के डामर स्तर तक कतिपय मार्गों के निर्माण में विलम्ब

94–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में इब्राहित पट्टी चेमडाड मार्ग तथा सोनादीह दुबारी, किशुनपुर मार्ग निर्माण हेतु बहुत पहले से स्वीकृत है ? यदि हां, तो डामर स्तर तक

पूरा करने में कितना समय लगेगा ? अब तक विलम्ब के कौन-कौन से प्रमुख कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग केवल खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत है ।

डामर स्तर तक स्वीकृत नहीं है अतः इस स्तर तक पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में दुलारी गांव के पुराने मार्ग तथा नाली का निर्माण

95–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में दुबारी गांव के पुराने मार्ग का डामर स्तर का निर्माण तथा नाली निर्माण हेतु प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता, उ0 प्र0 के पत्रांक 44/82 ए0 जी0/10082/134-82 दिनांक 23-4-1982 के उत्तर के संबंध में भेजा गया था ? यदि हां, तो अब तक इसे स्वीकार कर धन का आवंटन क्यों नहीं कराया गया ? डामर व नाली स्तर तक निर्माण कब तक करा लिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । परन्तु जनपद आजमगढ़ में दुबारी गांव के बीच के पुराने मार्ग के निर्माण के संबंध में आख्या एवं आगणन भेजने हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 441 पी0 एल0 ए0 जी0/100 पी0 एल0/134/82, दिनांक 23 अप्रैल, 1982 में अधीक्षण अभियन्ता, 15वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ को लिखा गया था ।

प्रश्नगत मार्ग प्रदेश में 1000 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण (खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक) की योजना के अन्तर्गत 1.5 किलोमीटर की लम्बाई में 2.70 लाख रुपए की लागत पर "दुबारी गांव को मधुबन–दुबारी मार्ग से जोड़ना" के नाम से स्वीकृत किया गया तथा कार्य भी पूर्ण हो गया है ।

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण मार्गों की श्रेणी में आता है । ग्रामीण मार्गों के किनारे नालियों के निर्माण की कोई योजना फिलहाल स्वीकृत नहीं है ।

राजकीय पालीटेक्निक महिला, लखनऊ में व्याप्त विवादों की जांच का संक्षिप्त ब्यौरा

96–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक महिला, लखनऊ में व्याप्त विवादों की जांच जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा वर्ष 1984 में कराई गई है ? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आए और शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से इस प्रकरण में कोई जांच नहीं कराई गई थी वरन् जिलाधिकारी, लखनऊ ने स्वयं अपने स्तर से वर्ष 1984 में जांच कराई थी ।

संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न है ।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर तत्कालीन प्रधानाचार्या का राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 148 पर)

आजमगढ़ के करधरा शंकर निवासी श्री रमाशंकर पाण्डेय का राजनैतिक पेन्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

97—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें रमाशंकर पाण्डेय, निवासी करधरा शंकर, जिला आजमगढ़ का पत्र दिनांक 7-6-84 राजनैतिक पेन्शन दिए जाने के संबंध में मिला था ? यदि हां, तो उन्हें पेन्शन दिए जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, श्री राज कुमार राय, एडवोकेट ने दिनांक 7-6-84 को श्री रमाशंकर पाण्डे का दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र तत्कालीन राजनैतिक पेन्शन मंत्री महोदय को भेजा था । परन्तु चूंकि श्री पाण्डे का प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था और न कोई प्रमाण-पत्र ही संलग्न किया गया था अतः श्री पाण्डे से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन-पत्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया था । परन्तु उक्त संबंध में अब तक उनसे कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हो सका है ।

आजमगढ़ जनपद के मधुबन दोहरी घाट मार्ग के मरम्मत की मांग

98—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मधुबन दोहरी घाट मार्ग के मरम्मत हेतु प्रान्तीय खण्ड आजमगढ़ ने कई बार लिखा ? क्या यह भी सही है कि उस सड़क की स्थिति इस समय एकदम खराब हो गई है ? यदि हां, तो अब तक धन आवंटित कर सड़क मरम्मत न किए जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त सड़क की मरम्मत कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद में चकडथ असनारोड के पूरी सड़क का पुलिया सहित निर्माण

99—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में चकडथ असनारोड के अवशेष भाग की स्वीकृति सार्व0 नि0 विभाग को दी जा चुकी है? यदि हां, तो पूरी सड़क (पुलिया सहित) कब बन कर तैयार हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उ0 प्र0 कारागार विभाग द्वारा बन्दियों के लिये खरीदे गये कम्बल, दरियां तथा कपड़े

100—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारागार विभाग द्वारा वर्ष 80 से 84 तक कितनी धनराशि के कम्बल खरीदे गये और कितने रुपयों की दरी बन्दियों के उपयोग के लिए खरीदी गयी तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनका उपयोग कितने वर्षों में होगा? क्या यह सच है कि कारागार विभाग अपने उपयोग के लिए दरी व कम्बल बनाने में सक्षम है और इस आवश्यक खरीद के कारण कारागार विभाग की दरी व कम्बल निर्मित करने की इकाइयों की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रुपये 1,06,29,000 के कम्बल तथा रु0 10,52,000 की दरियां क्रय की गयीं ।

अनुमान है कि दरी एवं कम्बल दोनों का आगामी एक वर्ष के अन्दर उपयोग हो जायेगा।

जी हां।

यह सही नहीं है कि इस खरीद के कारण कारागार विभाग की दरी तथा कम्बल निर्मित करने वाली इकाइयों की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है।

101—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1980 से 1984 के मध्य कितने रुपये की दूसूती कपड़ा बन्दियों के उपयोग के लिए खरीदा गया है? इसका उपयोग कितने वर्षों में हो पायेगा? क्या यह सही है कि इस अनावश्यक खरीद के कारण कारागार विभाग की दूसूती निर्मित करने की इकाइयां बन्द कर दी गयीं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रु0 54,74,000.00 का दूसूती कपड़ा खरीदा गया।

अनुमान है कि आगामी लगभग डेढ़ वर्ष के भीतर पूरा उपयोग हो जायेगा।

दूसूती निर्मित करने की अलग इकाइयां नहीं हैं। जिन करघों पर अन्य वस्त्र बुने जाते हैं उन्हीं पर दूसूती भी बुनी जाती है। ऐसे करघे बन्द नहीं हुए हैं।

उ0 प्र0 कारागार विभाग द्वारा कतिपय उद्योगों के कार्यान्वयन में व्यय तथा लाभ

102—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारागार उद्योग निदेशक के निर्देशन में कारागार विभाग ने सन् 1982 से प्रारम्भ कर रेशम, मूर्ति, बिस्तरबन्द, स्कूल बैग, खेलकूद के सामान, पीतल के फूलदान आदि निर्मित करने के उद्योग लगाये थे इनमें से कितने कार्यरत हैं? उपरोक्त उद्योगों में विभाग का कितना धन व्यय हुआ और कितने श्रम दिवस लगे तथा कुल कितनी धनराशि का उत्पादन हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

कोई नहीं।

स्थापित उद्योगों पर रु0 59,650-42 व्यय हुआ एवं 1945 श्रम दिवस लगे तथा रु0 65,266-57 का उत्पादन हुआ।

तहसील सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्वीकृति तथा स्थापना

103—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ तह0 मुख्यालय पर गत 5 वर्षों से स्वीकृत मुंसिफ न्यायालय की स्थापना अब तक न करने का क्या कारण है और इसकी स्थापना कब तक हो पायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद अलीगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

नगर पालिका, बहेड़ी, बरेली के चुंगी एवं वाटर वर्क्स कर्मचारियों की संख्या तथा उनके ओवर टाइम का भुगतान

104—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार से इस बात की शिकायत की गई थी कि नगर पालिका बहेड़ी, जनपद बरेली में कार्यरत चुंगी एवं वाटर वर्क्स के कर्मचारियों

से 12 घंटे प्रतिदिन काम लिया जा रहा है? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और कब से यह काम लिया जा रहा है ? क्या सरकार ओवर टाइम कार्य का दूना वेतन भुगतान कराने पर विचार कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

चुंगी विभाग–23 कर्मचारी–फरवरी, 1981 से, जलकल विभाग–2 कर्मचारी जनवरी, 1986 से ।

जी नहीं ।

निर्माण खण्ड आजमगढ़ में जल निगम के अधिशासी अभियन्ता श्री अरविन्द राय के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

105–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण खण्ड आजमगढ़ में जल निगम के अधिशासी अभियन्ता श्री अरविन्द राय के विरुद्ध गम्भीर आरोपों से संबंधित प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दि0 25 अक्तूबर, 85 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा जांच में क्या पाया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री अवध बिहारी मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता, सप्तदश मण्डल, गोरखपुर द्वारा जांच कराई गई। जांच आख्या हाल ही में प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री हरीराज सिंह त्यागी, ग्राम जमुना खास, थाना नौगावां सादात, मुरादाबाद के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

106–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरी राज सिंह त्यागी, ग्राम जमुना खास, थाना नौगावां सादात, जिला मुरादाबाद ने कोई प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दि0 17-12-85 का अपने 29-1-84 के कांड के विषय में दिया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम जमुना खास, थाना नौगावां सादात, मुरादाबाद पर किये कातिलाना हमले की जांच

107–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमुना खास, थाना नौगावा सादात, जिला मुरादाबाद के हरी राज सिंह त्यागी पर 29-11-84 को कातिलाना हमला हुआ था और उस मामले की जांच गुप्तचर विभाग कर रहा है ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-84 को 12-30 बजे दिन वादी हरी राज सिंह त्यागी, निवासी जमुना-खास, थाना नौगावां सादात, जनपद मुरादाबाद ने लिखित तहरीर इस आशय की दी कि दिनांक 29-1-84 को 11 बजे रात्रि जब वह अपने साले सूरबीर सिंह के साथ अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा था कि उस समय गांव के जगतवीर सिंह, राजवीर सिंह, सुरेश, वीरेश तथा टीकाराम त्यागी वहां आये और जगतवीर सिंह व राजवीर सिंह ने उसके साले सूरबीर सिंह के ऊपर अपनी

बन्दूक से फायर करके उन्हें घायल कर दिया।

उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 12, धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत जगतवीर सिंह, राजवीर सिंह, सुरेश, वीरेश तथा टीका राम त्यागी, निवासीगण जमुनाखास के विरुद्ध थाना नौगावा सादात पर पंजीकृत हुआ तथा विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारम्भ हुई।

इस अभियोग की विवेचना दिनांक 30-10-84 से अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गई है। जांच प्रचलित है। जांच से यही निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरान्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बारे में विचार किया जायेगा।

श्रीमती मासूमन पत्नी स्व0 सुबराती निवासी महानगर, लखनऊ के भवन का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गिराये जाने के आदेश

108—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 84 के 1ले सोम के ता0 प्र0 सं0-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस भूमि का एक्वीजिशन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया उसका मुआवजा किस, कितना और कब दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव शहर में ड्रेनेज प्रणाली की व्यवस्था की मांग

109—श्री मनोहर लाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव शहर में ड्रेनेज प्रणाली है? यदि नहीं, तो अब तक व्यवस्था न किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उन्नाव शहर में कोई नियमित ड्रेनेज प्रणाली नहीं है।

धनाभाव के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकी है। धन उपलब्ध होने पर आवश्यक व्यवस्था सम्भव हो सकेगी।

इलाहाबाद में एक प्रेक्षागृह के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया ज्ञापन तथा कृत कार्यवाही

110—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 सितम्बर, 85 को प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री को इलाहाबाद में एक प्रेक्षागृह के निर्माण सम्बन्धी एक ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री को इलाहाबाद में एक प्रेक्षागृह के निर्माण सम्बन्धी ज्ञापन दिया गया था, जिसके अनुसार यह मांग की गयी थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रेक्षागृह इलाहाबाद से लखनऊ को स्थानान्तरित न किया जाय। इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही शासन के आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

स्वतंत्रता आन्दोलन में स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालयों से निष्कासित व्यक्तियों को पेंशन देने की मांग

111—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनी हुई कोटि में ऐसे लोगों को भी सेनानी मानने को तैयार है जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में विद्यार्थी की हैसियत से भाग लिया और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों से आन्दोलन में हिस्सा लेने के नाते निष्कासित कर दिए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन/अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली में ऐसे व्यक्तियों को सम्मलित नहीं किया गया है जो स्कूल, कालेजों या विश्वविद्यालयों से निष्कासित किये गये थे।

नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के मुख्यालय पर सरकारी धन के गबन की जांच कराने की मांग

112—श्री शारदा प्रताप—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के मुख्यालय पर 84-85 में सरकारी धन का बड़े पैमाने पर गबन हुआ था? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि इस मामले से सम्बन्धित रिकार्ड आदि कई बार सील किये गये और आवश्यकतानुसार इसे बार-बार खोला व बन्द (सील) किया जाता रहा? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच विजिलेन्स विभाग द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच का मामला नहीं बना है।

जनपद गोरखपुर के पुलिस में भर्ती अभ्यर्थियों की योग्यता तथा विभाग

113—श्रीमती शारदा देवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में माह अप्रैल, 1979 में जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें कितने इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लिये गये थे ? इनमें से कितने व्यक्ति नागरिक पुलिस में रखे गये तथा कितने सशस्त्र पुलिस में रखे गये हैं जो सशस्त्र पुलिस में रखे गये हैं उन्हें नागरिक पुलिस में न रखे जाने का क्या कारण है ? यदि रखा जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोरखपुर में माह अप्रैल, 1979 (दि0 17-4-79 को) में कुल 40 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी जिसमें 19 अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट पास थे । 19 इण्टरमीडिएट पास अभ्यर्थियों में से 12 रिक्रूट जनपद गोरखपुर के निवासी होने के कारण अन्य जनपदों में स्थानान्तरित कर दिये गये थे । शेष 7 आरक्षी में से 4 आरक्षियों को पुलिस उप-महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र के आदेशानुसार सशस्त्र पुलिस से नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित किया जा चुका है एवं 3 आरक्षी अभी सशस्त्र पुलिस में कार्यरत हैं। सशस्त्र पुलिस में रिक्तियां

प्राथमिकता से भरी जायें, यह अनिवार्य है। सशस्त्र पुलिस की रिक्तियां भरने के लिये अन्य अभ्यर्थी या कनिष्ठ आरक्षी उपलब्ध होने पर इण्टरमीडिएट पास सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों को नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित करने हेतु विचार किया जायेगा ।

लोक सेवा के विभिन्न अधिकरण द्वारा निस्तारण वादों का विवरण

114—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सेवा अधिकरण में वर्ष 1985 के अन्त तक कुल कितने क्लेम्स पिटीशन विचाराधीन हैं? क्या लोक सेवा अधिकरण के पास वर्ष 1985 के अन्त में दीवानी क्षेत्राधिकारी से स्थानान्तरित कोई मुकदमा विचाराधीन है तथा लोक सेवा अधिकरण सं0 1, 2, 3, 4 और 5 में वर्ष 83-84, वर्ष 84-85 तथा वर्ष 85-86 में कुल कितने मुकदमें निस्तारित किये गये?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985 के अन्त तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरणों में कुल 9243 वाद विचाराधीन थे। इनमें से 113 मुकद्दमें दीवानी क्षेत्राधिकारी से स्थानान्तरित एवं विचाराधीन थे। वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 में लोक सेवा अधिकरण-1, 2, 3, 4, व 5 द्वारा निस्तारित किए गए वादों का विवरण निम्न प्रकार है:—

अधिकरण संख्या		वर्ष 1983	वर्ष 1984	वर्ष 1985
1	..	733	391	619
2	..	340	078	426
3	..	236	141	602
4	..	301	177	436
5	..	298	391	704
योग	..	1908	1178	2787

लखनऊ नगर के विस्तार के लिये बनी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

115—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के विस्तार के लिए शासन के पास 1985 तक कुल कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं और इन योजनाओं में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि, बंजर तथा सम्पत्ति दीगरा अधिगृहीत किये जाने का प्रस्ताव है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल 36 योजनायें हैं इन योजनाओं में प्रस्तावित कृषि भूमि 1967.69 एकड़, बंजर भूमि 20.68 एकड़ सम्पत्ति दीगरा 45.73 एकड़ है।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा 1985 तक कुल 21 योजनायें विचाराधीन थीं और इन योजनाओं में कुल 14345.83 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु

प्रस्तावित थीं जिसमें अनुमानतः 10 प्रतिशत भूमि अकृषक व बंजर है। भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप समय बद्धता तथा परिषद् के पास वित्तीय स्रोतों की कमी के कारण 10258 एकड़ भूमि को परित्याग करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता

116—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये गये हैं तथा आगामी वर्ष में कहां पर नये पारिवारिक न्यायालय खुलने का प्राविधान है और इन न्यायालयों की क्या उपयोगिता है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

117—श्री कमलेश कुमार पाठक—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उ0 प्र0 सा0 नि0 विभाग के ए0 ई0 श्री अजहर हुसैन के निलम्बन आदेश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

118—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शीतला चरण प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 उत्तर प्रदेश ने दिनांक 21-1-84 को रघई गदिया मार्ग जिला बाराबंकी का निरीक्षण किया था? क्या यह सही है कि मिट्टी का कार्य बिना प्रोफाइल बनाये किया जा रहा था और साइट पर मस्टर रोल नहीं था तथा किलोमीटर एक में नं0 3/4 की ईंटें लगाई गई थी और तामड़े ईंट का पेमेन्ट किया गया था? क्या यह नहीं है कि अनियमितता के सम्बन्ध में ए0 ई0 अजहर हुसैन को निलम्बित करने का आदेश मुख्य अभियन्ता श्री आई0 पी0 गुप्त को प्रमुख अभियन्ता ने दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

ग्राम खेवली थाना देवां, बाराबंकी के कुछ व्यक्तियों द्वारा असलहा हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या

119—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष जनवरी 84 से लेकर मार्च 85 तक ग्राम खेवली थाना देवां जनपद बाराबंकी के किन-किन लोगों ने असलहा हेतु प्रार्थना-पत्र दिये तथा कितनों को लाइसेंस दिये गये, कितनों के प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये तथा कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 1984 से मार्च 1985 तक ग्राम खेवली, थाना देवां, जिला बाराबंकी के 21 व्यक्तियों ने शस्त्र लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र दिये। इनमें से एक व्यक्ति को लाइसेंस स्वीकृत किया गया, 9 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये और शेष 11 मामलों में निर्णय नहीं लिया जा सका है।

ग्राम खेवली, थाना देवां, बाराबंकी में कत्ल, डकैतियां तथा आसामाजिक तत्वों का आतंक

120—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 अक्तूबर, 1984 से लेकर 15 नवम्बर, 1985 तक ग्राम खेवली थाना देवां जनपद बाराबंकी में कितनी डकैतियां और कत्ल

की घटनाएं घटी ? इन घटनाओं के बारे में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सही है कि ग्राम खेवली के लोग बदमाशों के आतंक से भयभीत होकर गांव छोड़कर भाग रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 15 नवम्बर, 1985 तक ग्राम खेवली थाना देवां जनपद बाराबंकी में 3 डकैती व एक हत्या की घटना घटित हुई। एक डकैती, मु0अ0सं0-259/84 में माल व मुल्जिम का पता न लगने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। डकैती, मु0अ0सं0-290/84 में 10 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से 2 के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया, 6 को शिनाख्त न होने के कारण रिहा किया व 2 के विरुद्ध 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई। डकैती, मु0अ0 सं0-267/85 में 4 अभियुक्त प्रकाश में आए, एक को गिरफ्तार किया शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। हत्या के मुकदमें में अभियुक्त नामजद नहीं है, विवेचना प्रचलित है।

जी नहीं।

बरेली नगर के फायर स्टेशन पर अग्निशमन गाड़ियों में आवश्यक उपकरण लगाने व पेट्रोल इत्यादि की अविलम्ब व्यवस्था कराने की मांग

121–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के फायर स्टेशन पर अग्निशमन गाड़ियों के पेट्रोल व डीजल हेतु आवश्यक धनराशि न होने के कारण इस समय रु0 15000 रु0 का उधार पेट्रोल पम्प वालों से ले रखा है और अग्निशमन की गाड़ियों में सर्चलाइट तक न होने के कारण इनकी आग बुझाने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब इन गाड़ियों में आवश्यक उपकरण लगाने व पेट्रोल इत्यादि की पूरी व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अग्निशमन गाड़ियों के पेट्रोल व डीजल हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मास फरवरी, 1986 तक इस मद पर व्यय किये जाने के उपरान्त भी शेष अवधि के व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त धनराशि अवशेष है। जनपद बरेली को प्रत्येक अग्निशमन गाड़ी पर सर्चलाइट की व्यवस्था है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना बिशारतगंज हेतु भवन तथा स्टाफ क्वार्टर बनवाने की मांग

122–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में थाना बिशारतगंज खुलने के पश्चात् आज तक उसका भवन तथा स्टाफ क्वार्टर न बनने के कारण थाने के कार्य तथा वहां पर कार्यरत स्टाफ की कार्य क्षमता पर भारी कुप्रभाव पड़ता है तथा थाने का स्टाफ उसके साथ लगे हुए पशुबाड़े में रहने के लिए विवश है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब उक्त थाने का भवन तथा स्टाफ क्वार्टर बनवाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह थाना एक किराये के भवन में स्थित है। यह सही है कि जगह की कमी के कारण थाने के कुछ कर्मचारी निकट के एक मवेशीखाना के भवन, जिसका प्रयोग उक्त कार्य हेतु नहीं हो रहा था, में अस्थाई रूप से रह रहे हैं। उक्त थाना भवन के आवासिक एवं अनावासिक

भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है। अतएव वर्ष 1985-90 की योजना में प्रश्नगत भवनों को निर्मित कराये जाने का निश्चय किया गया है।

प्रदेश में सक्रिय माफिया गिरोहों के नियंत्रण हेतु विधेयक के प्रारूप पर सरकार का निर्णय

123—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग ने शासन को प्रदेश में सक्रिय माफिया गिरोहों पर काबू पाने के लिए एक विधेयक का प्रारूप सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो सरकार कब तक इस पर अंतिम निर्णय ले लेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

अध्यादेश जारी हो चुका है।

जन समस्याओं के निदान हेतु विभागीय अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन समय दिये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा

124—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा माह अक्टूबर 1985 में यह घोषणा की गई थी कि जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष सप्ताह में एक निश्चित दिन जिला मुख्यालय स्थित अपने कार्यालयों में रहकर जन समस्याओं का निदान करने हेतु अवश्य उपलब्ध रहेंगे? यदि हां तो इस संबंध में कौन सा दिन नियत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभागीय अधिकारियों को जनता की शिकायतों की सुनवाई तथा उनका निराकरण करने के लिए मंगलवार का दिन नियत है।

बरेली नगर में फायर स्टेशन के कर्मचारियों हेतु मनोरंजन गृह की मांग

125—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में फायर स्टेशन के कर्मचारियों हेतु बनाए गए मनोरंजन गृह में अग्निशमन के उपकरणों को रखने का स्टोर बना दिया गया है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों के इकट्ठे बैठने की कोई जगह नहीं रह गई है और आग की सूचना प्राप्त होने पर कर्मचारियों के इकट्ठे होने में अधिक समय लग जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब मनोरंजन गृह को इसी कार्य हेतु सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली नगर के फायर स्टेशन पर प्रारम्भ से ही मनोरंजन गृह के लिए अलग से कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया था। एक ही स्थान को विभाजित कर मनोरंजन गृह एवं अग्निशमन अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गयी थी। वर्तमान समय में अग्नि शमन अधिकारी के कार्यालय को हटाकर स्टोर में परिवर्तित कर दिया गया है तथा मनोरंजन गृह की व्यवस्था यथावत् है। फायर स्टेशन पर नियुक्त कर्मचारीगण अधिकांशतः फायर स्टेशन पर ही अपने क्वार्टरों एवं बैरिकों में उपलब्ध रहते हैं और आग की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त एकत्र हो जाते हैं।

बरेली नगर में फायर स्टेशन पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रिक्त पद पर अविलम्ब नियुक्ति की मांग

126—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में फायर स्टेशन पर पिछले ढाई वर्ष से कोई मुख्य अग्निशमन अधिकारी नहीं है तथा पिछले चार महीनों से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी नहीं है जिसके कारण फायर स्टेशन की कार्यक्षमता एवं कुशलता पर भारी कुप्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अविलम्ब इन पदों पर उपयुक्त अधिकारी भेजने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के पदों पर आयोग द्वारा नियमित चयन में समय लगने के कारण बरेली फायर स्टेशन पर पद रिक्त रहा। अब बरेली नगर फायर स्टेशन पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी के तैनाती के आदेश निर्गत हो गए हैं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का पद रिक्त नहीं है।

बरेली नगर में अग्निशमन गाड़ियां तथा गैराज आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराने की मांग

127—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में आबादी तथा शहर के विस्तार को देखते हुए कम से कम आठ बड़ी अग्निशमन गाड़ियां होनी चाहिए जबकि वहां पर इस समय चार ही ऐसी गाड़ियां हैं और वह सारी हर समय, गैराज पर जगह की कमी के कारण, फायर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होती जिससे फायर स्टेशन की की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब आवश्यक संख्या में अतिरिक्त गाड़ियां एवं गैराज उपलब्ध कराने का कष्ट करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार फायर स्टेशन बरेली पर उपलब्ध गाड़ियों एवं उपकरणों से जनपद में अग्निशमन एवं जीवरक्षा के कार्य में किसी प्रकार की कमी अनुभूति नहीं हुई है। जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध साधन पर्याप्त हैं। वर्तमान समय में फायर स्टेशन बरेली पर उपलब्ध गाड़ियों तथा उपकरणों में वृद्धि किये जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

जनपद बरेली में 4 बड़ी गाड़ियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 2 बड़ी गाड़ियों को गैराज में रखे जाने की व्यवस्था है तथा दो बड़ी गाड़ियों के लिए गैराज उपलब्ध नहीं है परन्तु इन गाड़ियों को को फायर स्टेशन पर ही रखा जाता है। इन दो बड़ी गाड़ियों के लिए गैराज की व्यवस्था हेतु निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

अलीगढ़ में राज्य सेतु निगम द्वारा अपरगामी सेतु का निर्माण तथा जी0 टी0 रोड बाई पास का खोला जाना

128—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन अपरगामी सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? क्या जी0 टी0 रोड के यातायात की असुविधा को देखते हुए इसे शीघ्र पूरा

कराने की कार्यवाही करेंगे? कृपया यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सेतु निर्माण से पूर्व भारी वाहनों के आवागमन के लिए जी0 टी0 रोड बाईपास खोला जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस अपरगामी सेतु का निर्माण कार्य सितम्बर, 1987 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

सेतु निर्माण से पूर्व भारी वाहनों के आवागमन के लिये जी0 टी0 रोड बाई-पास गुरुद्वारा मार्ग, स्टेशन मार्ग, चंदौसी तांतपुर कोटपुर मार्ग के भाग एवं जेल रोड को अपनाते हुए जिला प्रशासन की सहायता व नियंत्रण से पहले ही खोला दिया गया है।

बरेली नगर के फायर स्टेशनों पर सभी कर्मचारियों हेतु आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

129–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में मौजूदा फायर स्टेशन पर सभी कर्मचारियों हेतु आवास उपलब्ध न होने के कारण कई कर्म-चारी दूर दराज इलाकों में रहते हैं और बड़ी आग लगने की स्थितियों में स्टेशन पर रहने वाले कर्मचारी ही इन दूर रहने वाले कर्मचारियों को उनके घरों से बुलाकर लाते हैं जिससे अग्निशमन के कार्य पर भारी कुप्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब सभी कर्मचारियों हेतु फायर स्टेशन पर ही आवास उपलब्ध करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी तक बरेली नगर के मौजूदा फायर स्टेशन पर सभी कर्मचारियों हेतु आवास उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं। उक्त कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शासन ने सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985–90 में प्रश्नगत भवनों को निर्मित कराये जाने का निश्चय किया है।

130–श्री राम औतार मिश्रा तथा श्री अहिबरन लाल वर्मा–

[मा0 सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया]

131–132–श्री राम औतार मिश्रा तथा श्री अहिबरन लाल वर्मा–

[मा0 सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया]

जनपद जौनपुर में बादशाहपुर शाहगंज मार्ग के निर्माण में सा0 नि0 विभाग द्वारा किसानों की ली गयी भूमि हेतु मुआवजे की मांग

133–श्री जंग बहादुर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बता-येंगे कि जनपद जौनपुर में बादशाहपुर शाह-गंज मार्ग को सार्व0नि0वि0 द्वारा निर्मित कराया गया और बिना अधिग्रहण की कार्यवाही किए आ0 नं0 46]1-25, 48/1-30, 46/2-29, 48/2-3 जमुला 4 गाटा-87 मौ0 बीरपाल पं0 करियाव मेढ़ा तह0 शाहगंज, जौनपुर पर सड़क निर्मित कराई गई? यदि हां, तो भूमि मालिक विश्वनाथ यादव पुत्र बिहारी ग्राम मदापुर को मार्ग में ली गई भूमि का मुआवजा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

134–137–श्री बाबू राम यादव–

[दिनांक 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 83, 84, 85 तथा 86 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जनपद की सड़कों के निर्माण पर व्यय धनराशि का विवरण

138–श्री मनोहर लाल–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की सड़कों के निर्माण के लिए इस साल कितनी धनराशि दी गयी है और कितनी सड़कें बन रही हैं ? पिछले साल कितना रुपया दिया गया था? और कितनी और कौन-कौन सड़कें कितनी लागत से बनी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत सड़कों के निर्माणार्थ वर्ष 1985-86 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 265.00 लाख रुपये आवंटित किये गये। वर्ष 1985-86 में कुल 75 सड़कें बन रही हैं।

पिछले वर्ष (1984-85) 255.00 लाख रुपये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये। वर्ष 1984-85 में उक्त अनुदान के विरुद्ध विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत स्तर तक कुल 91 सड़कों पर कार्य कराया गया। उक्त 91 सड़कों की सूची माननीय राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। माननीय सदस्य उक्त सूची को देख सकते हैं।

हरदोई के नगरपालिका संडीला तथा सांडी में दैनिक वेतन तथा नियमित नियुक्त कर्मचारियों का विवरण

139–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, संडीला, सांडी तथा हरदोई, जनपद हरदोई में दिसम्बर, 83 से 30-6-85 तक की अवधि में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतन के रूप में तथा नियमित रूप से किन-किन व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयीं उनकी नियुक्तियों का क्या आधार था? सरकार द्वारा लगाई गई तदर्थ नियुक्तियों पर रोक के परिपालन में इनको किस-किस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नगर पालिका, सण्डीला तथा साण्डी में उक्त अवधि में दैनिक वेतन तथा नियमित रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों के विवरण संलग्न हैं उक्त नियुक्तियां बढ़े हुए कार्य के निस्तारण हेतु की गई थीं।

नगर पालिका, हरदोई में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना अस्पष्ट होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

नगरपालिका, साण्डी में एक मात्र नियुक्ति प्रशासक द्वारा तथा नगर पालिका, सण्डीला में चयन समिति/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृठ 149–152 पर)

हरदोई नगरपालिका में नजूल के तालाबों के सौन्दर्यीकरण की मांग

140—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई नगरपालिका में कौन-कौन तालाब नजूल के अन्तर्गत हैं? क्या सरकार उनके सौन्दर्यीकरण पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कम्पनी बाग का तालाब, डाकखाना तालाब, पुलिस लाइन पुरवा का तालाब बड़े छछेटा ताल से लगा हुआ गाटा सं0 1759/1 का तालाब तथा नेत्र चिकित्सालय रेलवेगंज के पीछे का गाटा संख्या 2986 का गढ़हा नजूल के अन्तर्गत हैं।

कम्पनी बाग के तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया गया है तथा डाकखाना तालाब के विकास पर विचार किया जा रहा है। शेष के बारे में सौन्दर्यीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि वह फिलहाल सौन्दर्यीकरण के लिये उपयुक्त नहीं है।

हरदोई में बनी सरकुलर रोड के निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में बनी साकुलर रोड के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं के कारण सड़क जीर्ण-शीर्ण हो गई है? क्या सरकार इसकी जांच टेक्निकल सेल से कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार हरदोई नगर पालिका की यह सड़क विगत बरसात में कहीं-कहीं पानी भर जाने से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें गड्ढे हो गये हैं।

मामला शासन के विचाराधीन है।

142—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ के सरोजनीनगर में सिसेंडी बेनीगंज मार्ग के निर्माण व पुलियों के सम्बन्ध में जानकारी

143—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में सिसेंडी-बेनीगंज मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो कब और इसके निर्माण में कितनी लागत आयी तथा उक्त मार्ग पर कितनी पुलियां हैं? क्या सभी पुलियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा उक्त मार्ग की पुलियों को पेन्ट कराने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह मार्ग जिला परिषद् के अधीन है अतः इसके बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर देना सम्भव नहीं है।

सरोजनी नगर क्षेत्र, लखनऊ में विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

144—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद् ने लखनऊ विस्तार

के लिए कितनी भूमि अधिग्रहीत कर रही है? इन योजनाओं में पड़ने वाली किसानों की कितनी अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा बन गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड प्रसार योजना हेतु जनपद लखनऊ, सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में 3005 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है। प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

आवास विकास परिषद् ने प्रश्नगत क्षेत्र में अब केवल 550 एकड़ क्षेत्रफल ही अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर है अतः भूमि का मुआवजा अभी नहीं बना है।

बाराबंकी के थाना कोतवालीनगर के अन्तर्गत ग्राम हड़िया कोल में डाकुओं का आतंक

145–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी, थाना कोतवाली नगर के अन्तर्गत ग्राम हडिया कोल डाकुओं के कोप से ग्रसित है? क्या यह सही है कि पिछले एक वर्ष के अन्दर कई लोग जमीन घर बेच कर गांव से चले गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

ग्राम हडियाकोल रठ नदी के किनारे बसा है। वर्ष 1985 के माह सितम्बर में भीषण बाढ़ से प्रभावित कुछ व्यक्ति मकान गिर जाने के कारण इधर उधर रहने लगे थे। कुछ व्यक्ति गांव छोड़ कर सुविधा अनुसार अन्यत्र रहने लगे हैं।

146–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त गांव में माह अक्तूबर व नवम्बर, 85 में डकैतियां पड़ी परन्तु थाने में रिपोर्ट चोरी की दर्ज की गई? यदि हां, तो उपरोक्त मामलों में मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माह अक्टूबर व नवम्बर, 85 में श्री राम नरेश वर्मा पुत्र श्री कृष्ण वर्मा निवासी हंडिया को थाना कोतवाली, बाराबंकी के घर दिनांक 22/23-10-85 को नकबजनी एवं दिनांक 11/12-11-85 को चोरी की घटना हुई थी। वादी की लिखित सूचना के आधार पर तदनुसार क्रमशः अभियोग संख्या 433/85 धारा 457/380 भा0 द0 वि0 एवं अ0 सं0 462/85 धारा 394 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ। माल व मुल्जिमान का पता लगाने का काफी प्रयास किया गया परन्तु सफलता नहीं मिल सकी। अस्तु दोनों अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में सफेदाबाद बरौली रोड की सा0 नि0 विभाग द्वारा मरम्मत

147–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के वि0 खं0 बंकी की सफेदाबाद बरौली रोड किस विभाग की देख रेख में है? क्या यह सही है कि पिछली बारिश में यह रोड क्षतिग्रस्त हो गई है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 85 को लिखे गये पत्र की प्राप्ति स्वीकृति मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र सं0 एम-2/72-315 फ/सी एम-2/85 दि0

18 नवम्बर, 1985 द्वारा की है? यदि हां, तो उस रोड की मरम्मत किस विभाग द्वारा कराई जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में है।

जी हां।

उक्त सड़क की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करा दी गई है।

प्रदेश की डिग्री इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की प्रोफेसर पद पर पदोन्नति

148–श्री सुग्रीव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 726/84-407/79, दिनांक 25 मई, 1985 के अनुपालन में प्रदेश की डिग्री इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों में दस वर्षों की नियमित सेवा के उपरान्त सहायक प्रोफेसरों की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गयी है? यदि हां, तो प्रदेश के एक मात्र विशिष्ट संस्थान राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में भी इस शासनादेश को लागू किया गया है? यदि नहीं, तो इस भेदभाव का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 25-5-85 प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश की उन पांच स्वशासी डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में लागू किया गया था जहां यू0 जी0 सी0 वेतनमान लागू थे। इसके अन्तर्गत कतिपय अर्ह सहायक प्रोफेसरों की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की गई है। उक्त शासनादेश राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर में लागू नहीं है क्योंकि यह एक राजकीय संस्था है तथा इसमें यू0 जी0 सी0 वेतनमान भी लागू नहीं है।

राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में प्रोफेसर टेक्सटाइल टेक्नालाजी के रिक्त पद पर सहायक प्रोफेसर श्री एन0 एस0 नामा की पदोन्नति की मांग

149–श्री सुग्रीव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में प्रोफेसर टेक्सटाइल टेक्नालाजी का पद पिछले 14 वर्षों से रिक्त चल रहा है? यदि हां तो संस्था के सहायक प्रोफेसर श्री एन0एस0 नामा को पिछले 14 वर्षों से उक्त रिक्त पद का अतिरिक्त भार वहन करते हुए तथा निर्धारित योग्यताएं धारण करने पर भी पदोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो इन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, कथित पद वर्ष 1971 से रिक्त है। माह सितम्बर 1985 से पूर्व श्री एन0एस0 नामा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अर्हताएं नहीं रखते थे, अतः इसके पूर्व प्रोफेसर के पद पर उनकी पदोन्नति/नियुक्ति का प्रश्न नहीं था। उक्त पद को तदर्थ रूप से भरे जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है जिसमें श्री नामा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर भी विचार किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण को बनाए रखने, वृक्षों के कटान को रोकने के सन्दर्भ में वैकल्पिक ऊर्जा योजनाओं में रोजगार की व्यवस्था

150–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपदों (पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी) में पर्यावरण को बनाए रखने/

वृक्षों के कटान को रोकने के मूल उद्देश्यों के संदर्भ में वैकल्पिक ऊर्जा की कौन-कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे कि स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार व ऊर्जा का लाभ मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण को बनाये रखने वृक्षों के कटान को रोकने के सन्दर्भ में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा स्थानीय लोगों के उत्थान एवं वैकल्पिक ऊर्जा के लाभ के लिये निम्न योजनायें बनायी गयी हैं:–

1–पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर सम्भव है, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा छोटे आकार के बायो गैस संयंत्र लगाये जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा। इन संयंत्रों के उपयोग से लकड़ी की बचत होगी।

2–जिन जनपदों में पर्यटक अच्छी संख्या में आते हैं, वहां पर सौर जल तापक की स्थापना विभिन्न विश्राम गृहों/होटलों इत्यादि में की जा रही है। इसके फलस्वरूप जल गरम करने के लिये जो भी लकड़ी उपयोग में आती है उसकी बचत होगी।

3–उन्नत प्रकार के सौर चूल्हे पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध करायें जायेंगे जो कि खाना बनाने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं एवं इसके उपयोग के फल स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी की बचत होगी।'

4–ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामों में सौर फोटो वोल्टाइक चालित लाइट्स लगाई जा रही है।

5–लकड़ी की बचत करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में एक चूल्हा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के चूल्हे ग्रामों में लगाए जा रहे हैं। इनके उपयोग से 10-15 प्रतिशत लकड़ी की बचत होगी।

श्री हुलासीराम सगर परगनाधिकारी पुवायां, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच तथा स्थानान्तरण की मांग

151–डा0 विनोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री हुलासी राम सागर वर्तमान परगनाधिकारी पुवायां जनपद शाहजहांपुर वर्ष 1980-81 अथवा इसके आस-पास इसी जनपद की तहसील तिलहर में तहसीलदार के पद पर रह चुके हैं और उनके तहसील तिलहर के कार्यालय में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार व दुश्चरित्रता की गम्भीर शिकायतें जिला प्रशासन तथा शासन को एवं जिले के न्यायालयों में दुश्चरित्रता के मुकदमें भी चल चुके हैं? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की पदोन्नति कर पुनः उसी जनपद में परगनाधिकारी नियुक्त करने का क्या औचित्य है? क्या अन्यत्र जिले में श्री सागर को स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री हुलासीराम सगर तहसीलदार के पद पर वर्ष 1980-81 में लगभग एक वर्ष शाहजहांपुर में नियुक्त रह चुके हैं। शासन की कोई ऐसी नीति नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी यदि किसी जनपद में नियुक्त रह चुका है तो उसे प्रोन्नति के उपरान्त पुनः उस जनपद में न तैनात किया जाय। श्री सगर को दिनांक 8-7-85 से तदर्थ रूप से स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर के पद पर दी गई प्रोन्नति के समय वे आगरा जनपद में तहसीलदार के पद पर तैनात थे। दिनांक 23-5-85 को प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति को

बैठक के समक्ष राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश ने श्री सगर के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायतें या कार्यवाही लम्बित होने की कोई सूचना नहीं दी है। श्री सगर को शाहजहांपुर जनपद में अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है अतः वर्तमान में उनका स्थानान्तरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार ब्लाक जमालपुर के कतिपय गांवों की सुविधा हेतु गड़ई नदी पर पुल व लिंक रोड के निर्माण की मांग

152—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर तह0 चुनार ब्लाक जमालपुर के गांव जगदीशपुर, जफरपुरा, शिवपुर, सरैया यूसुफपुर आदि बाढ़ग्रस्त ग्रामीण लोग पक्की सड़क पर पाण्डेपुर पहुंचने के लिए गडई नदी पर पुल और लिंक रोड न होने के कारण परेशान हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुल व लिंक रोड बनाने का काम कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत ग्रामों के निवासी निर्माणाधीन जमालपुर—डौक लिंक मार्ग से पाण्डेपुर पहुंच सकेंगे। यह लिंक मार्ग कहीं भी गड़ई नदी को पार नहीं करता, अतः गड़ई नदी पर पुल की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त लिंक रोड का निर्माण कार्य फरवरी, 1985 से प्रारम्भ है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद शहर में नालियों, सीवरों, सड़कों व जनसुविधाओं हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

153—श्री के0 के0 शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद शहर में नालियों, सीवरों, सड़कों व जन सुविधाओं हेतु पिछले वर्षों (1984-85) की तुलना में इस (1985-86) वर्ष अधिक धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केवल सड़क अनुदान पिछले वर्ष से इस वर्ष अधिक आवंटित हुआ है। नाली तथा सीवरों के लिए अलग से कोई धन न गत वर्ष और न इस वर्ष आवंटित हुआ। अन्य जन सुविधाओं के लिए गत वर्ष की अपेक्षा कुछ कम धन आवंटित हुआ क्योंकि मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत कोई परियोजना शासन की स्वीकृति के लिए प्राप्त नहीं हुई तथा स्वच्छ शौचालय के अन्तर्गत गत वर्ष आवंटित धन का पूरा उपयोग नहीं हुआ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरखान, अल्मोड़ा के जीर्ण-शीर्ण भवन का शीघ्र नव-निर्माण कराने की मांग

154—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरखान अभी भी पुरानी जीर्ण प्राइमरी पाठशाला भवन में चलाया जा रहा है ? जिस कारण विद्यार्थियों को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है व दुर्घटना की शंका बनी रहती है ? यदि हां, तो सरकार शीघ्र भवन निर्माण के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगरखान जिला अल्मोड़ा के भवन की समस्या से शासन अवगत है। सीमित परिव्यय व पुराने स्वीकृत भवनों के लिए धन की आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त विद्यालय का भवन निर्माण कब तक हो सकेगा, यह इंगित करना सम्भव नहीं है

जनपद नैनीताल के तराई भांवर क्षेत्र बिन्दुखत्ता क्षेत्र में वन भूमि पर भूमिहीनों का कब्जा

155—श्री काशी सिंह एरी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल में तराई भांवर क्षेत्र में बिन्दुखत्ता क्षेत्र में वन भूमि पर भूमिहीनों ने वर्षों से कब्जा किया है और वहां फसल तथा शाक-भाजी पैदा कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसमें दिनांक 1-1-86 को कुल कितने ऐसे परिवार हैं और इन परिवारों के पास कुल कितनी भूमि है जिस पर इनका कब्जा है ? सरकार इस गांव को शीघ्रातिशीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल के तराई भांवर क्षेत्र के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता आरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1975 से 1 जनवरी, 1986 तक की अवधि तक कुल 2751 परिवारों द्वारा कुल 2671 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है । अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त अतिक्रमित वन भूमि का उपयोग कृषिकार्य हेतु किया जा रहा है। चूंकि आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी उपयोग भारत सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वर्जित है, अतः ऐसी स्थिति में उक्त अतिक्रमित आरक्षित वन भूमि को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

156—श्री शारदानन्द अंचल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी एवं बलुआकोट में आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन का निर्माण

157—श्री काशी सिंह एरी

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में मनुस्यारी एवं बलुआकोट में इण्टरमीडिएट स्तर के आश्रम पद्धति का निर्माण के आगणन महाप्रबन्धक (निर्माण) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लखनऊ द्वारा माह सितम्बर, 85 में उनकी वित्तीय संस्तुति हेतु निदेशक जनजाति विकास के माध्यम से शासन को भेजी गयी थी ? जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा भी आगणन की प्रति अक्तूबर, 85 को पत्रांक 2295/33-6ब स (वि0) दि0 9-10-85 निदेशक को भेजी गयी ? यदि हां, तो सीमान्त के इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में जनजाति शिक्षा प्रसार हेतु तुरन्त शासनादेश करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.587 करोड़ रुपये की धनराशि के आगणन तथा बलुआकोट में आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.10 करोड़ रुपये की धनराशि के आगणन प्राप्त हुए थे । परन्तु संबंधित आगणन अत्यधिक धनराशि के थे इस लिये निदेशक, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से यह अपेक्षा की गयी है कि निर्धारित मानको एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मितव्यता को दृष्टिगत रखते हुये पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित करें। पुनरीक्षित आगणन प्राप्त होने पर शीघ्र विचार किया जावेगा ।

कानपुर के बिक्रीकर अधिकारी (ए) के कार्यालय में स्टील फर्नीचर की सप्लाई में गबन की जांच

158—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के बिक्रीकर अधिकारी (ए) के कार्यालय में वर्ष 71-72 से 73-74 में स्टील फर्नीचर की सप्लाई में गबन हुआ था ? क्या यह सही है कि इस मामलों की

जांच सतर्कता अधिष्ठान से हुई थी यदि हां तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 पब्लिक ट्रिब्यूनल नं0 5 लखनऊ के आदेशानुसार श्री चन्द्रपति राय कान्सटेबिल की सवेतन बहाली

159–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा कुंवर रेवती रमण सिंह

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस कान्सटेबिल सी0 पी0 नं0–83 चेक पोस्ट गरब्यांग जिला पिथौरागढ़ की बरखास्तगी के आदेश दिनांक 3-7-79 को रद्द कर यू0 पी0 पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल नं0–5 लखनऊ ने 22-11-83 को सवेतन बहाल करने के आदेश दिए ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन कर प्रश्नगत कान्सटेबिल को 29-4-85 से नई नियुक्ति देने वाले अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी और उपर्युक्त पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश को सभा पटल पर रखेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । यू0 पी0 पब्लिक ट्रिब्यूनलन नं0-5 लखनऊ के आदेश दिनांक 22-11-83 के अनुसार चन्द्रपति राय कान्सटेबिल को दिनांक 3-7-79 से सवेतन बहाल किया जा चुका है । अतः यू0 पी0 पब्लिक ट्रिब्यूनल नं0-5 लखनऊ के आदेशों के उल्लघंन करने का प्रश्न ही नहीं उठता तथापि पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेशों का हिन्दी रूपान्तर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 153–154 पर)

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

ग्राम मिरगपुर थाना देवबन्द, सहारनपुर में छत गिरने से 13 व्यक्तियों की मृत्यु तथा सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 की 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें से निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। श्री राम सरन श्रीमती सरस्वती देवी, श्री शारदा प्रताप, श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री पारस नाथ यादव, श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री शतरुद्र प्रकाश ।

*श्री राम सरन–

महोदय, जनपद सहारनपुर के थाना देवबन्द के अन्तर्गत ग्राम मिरगपुर में गत सप्ताह एक बरात के बांसद्वारी के समय एक मकान का छज्जा गिरने से 13 बड़े, बूढ़े, बच्चे व नवजवानों की जाने चली गयीं और करीब चालीस घायल हो गये। मैं दिनांक 15 मार्च, 86 को उक्त गांव में इस हृदय विदारक घटना को देखने गया था, वहां पर संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह भी गये हुये थे। हम सभी दुखी परिवारों के यहां सान्तवना देने गये । साथ-साथ मैं जिला अस्पताल में घायलों को देखने भी गया। इस घटना से कई लोगों के तो इकलौते बच्चे ही मर गये। किन्हीं का जिन्दगी का सहारा भी टूट गया । घायलों में भी ऐसे घायल हैं जिनका कोई सहारा नहीं है।

अतः मैं इस दुखदाई घटना को सदन तथा शासन के संज्ञान में लाकर पीड़ितों को सहायता दिलाने की मांग करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अल्मोड़ा के कतिपय ग्रामों में मस्तिष्क ज्वर का भयंकर प्रकोप होने तथा विशेष उपचार कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरस्वती देवी–

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नांकित सूचना लाना चाहती हूं :–

जनपद अल्मोड़ा मुख्यालय एवं निकटवर्ती ग्रामों में, विगत एक सप्ताह से मस्तिष्क ज्वर का भयंकर प्रकोप चल रहा है। जिस कारण वहां पर 6-7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है तथा सैकड़ों लोग इस भंयकर महामारी से पीड़ित हैं। वहां की जनता में असामायिक मृत्यु तथा सैकड़ों की तादाद में बीमार होने से भय एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस रोग के समाधान के लिए अभी तक कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी तो सम्भवतः यह महामारी समस्त जनपद तथा निकटवर्ती अन्य जनपदों को भी प्रभावित करेगी जिससे जनहानि की अत्यन्त आशंका है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री जी से अपेक्षा करती हूं कि शासन स्तर से अविलम्ब विशेष एवं आवश्यक समस्त उपचार सेवायें उपलब्ध कराकर जन-जीवन की रक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

लखनऊ के मोहन कम्पनी कालोनाइजर्स द्वारा रवीन्द्र गार्डन नामक कालोनी के विकास कार्य में बरती जा रही अनियमितता एवं धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, लखनऊ के मोहन कम्पनी कालोनाइजर्स द्वारा रवीन्द्र गार्डन नाम से एक कालोनी विकसित किये जाने हेतु लगभग 250 प्लाट मध्य तथा निम्न आय वर्गीय लोगों को बेचें। उक्त कालोनी के डेवलपमेंट हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कालोनाइजर्स से 66 लाख रुपये को 15 अप्रैल, 1985 तक जमा करने के लिये कहा। उक्त फर्म ने डेवलपमेंट का पैसा क्रेताओं से जमा करा लिया था। किन्तु फर्म के मालिकान अब उक्त धन को लखनऊ विकास प्राधिकरण में जमा न करके मध्य एवं निम्न वर्गीय प्लाट होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे उनमें बेचैनी है। हाईकोर्ट के एक निर्णय पिटीशन संख्या 4/1985 के अंतर्गत मोहन कम्पनी लिक्विडेट होने जा रही है और उक्त के मालिक श्री सुदर्शन मोहन को हाईकोर्ट ने अपने न्यायालय में एक अवांछनीय व्यक्ति बताया है। इस प्रकार बहुत बड़ा धोखा उक्त कम्पनी द्वारा प्लाट होल्डर्स को दिया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि उक्त कम्पनी से एल0 डी0 ए0 को डेवलपमेंट का धन अविलम्ब दिलाया जाय अन्यथा यू0 पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 33 और 34 के अंतर्गत कार्यवाही की जाय। अतः मैं इस लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

ग्राम सभा सिरसिया, डुमरियागंज, बस्ती में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टा कराये जाने तथा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

महोदय, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के अन्तर्गत तप्पा सेहरी ग्राम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा रिरसिया के प्रधान श्री तजम्मुल हुसैन जो एक जालसाज प्रकृति के व्यक्ति हैं, उन्होंने ग्राम समाज की बहुमूल्य जमीन जो 10-11 एकड़ से ज्यादा चोरी-चोरी फर्जी तौर पर तहसील के कानूनगो आदि को मिलाकर अपने दामाद, चचा और चचाजात भाई, के नाम पट्टा कर दिया है, जबकि इनके परिवार के लोगों के नाम पहले से अत्यधिक जमीन मौजूद है। चूंकि यह गांव इन दिनों चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चल रहा है, इसलिये इस साजिश की जानकारी अभी कुछ महीने पहले गांव वालों को हुई। जब प्रधान चाहते हैं कि चकबन्दी के माध्यम से उक्त पट्टे को नियमित कराकर उन लोगों के नाम पक्का कर दिया जाय इसमें उन्होंने चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को साजिश में कर लिया है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इस अवैध पट्टे की छानबीन तत्काल एक सप्ताह के अन्दर करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करें तथा उक्त प्रधान को निलम्बित करने का कष्ट करें क्योंकि कोई भी प्रधान अपने सगे रिश्तेदारों को नियमतः पट्टे पर जमीन नहीं दे सकता है। तहसील डुमरियागंज में सभी अभिलेखों को तुरन्त सील कराकर और इस षडयंत्र की जांच कराकर उक्त जमीन पुनः ग्राम समाज को वापस की जाय ताकि गरीब लोगों की हकतलफी न हो।

जौनपुर में निर्माणाधीन शारदा सहायक खण्ड 39 नहर के अपूर्ण कार्य से फसल की बर्बादी एवं मुआवजा दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में, नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड 39 नहर करीब 10 वर्ष से निर्माणाधीन है, अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहर में पानी छोड़ दिया जाता है, अपूर्ण नहर जगह-जगह टूट जाती है जिससे कृषकों का नुकसान होता है। अभी हाल में दिनांक 9-2-86 को नहर में पानी छोड़ दिया गया जिसकी वजह से ग्राम कोटि गांव विकास खण्ड रामपुर जिला जौनपुर में नहर टूट गई और किसानों की 50 एकड़ गेहूं की फसल डूब कर सड़ गई, जिसके कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ। इस बात को लेकर, किसानों में बड़ा रोष एवं असंतोष है। नहर टूटने का मुख्य कारण कोटिगांव के आगे ग्राम नेवादा में करीब 300 मीटर नहर खुद नहीं पायी है क्योंकि गाटा संख्या 289 च0 सं0 23 श्री जुगुन उर्फ आजम दत्तक पुत्र श्री बैजनाथ का है, मौके पर नहर उनके खेत से जा रही है किन्तु नहर विभाग द्वारा उस जमीन को एक्वायर नहीं किया गया है जिसके कारण उनको उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस महत्व पूर्ण विषय की जांच कराके नहर पूर्ण कराने, कृषकों को फसल का मुआवजा दिलाने तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

टाउन एरिया जलाली, अलीगढ़ के सफाई मजदूरों के गत सात महीनों के अवशेष वेतन का भुगतान न होने से भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर–

मान्यवर, आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिलाना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी टाउन एरिया जलाली जनपद अलीगढ़ में 7 महीने से वेतन नहीं मिला। ऐसी मंहगाई में जीवन निर्वाह होना मुश्किल है। समय से भोजन नहीं मिल पाता। बच्चे बीमार पड़े रहते हैं। दवाई को पैसे पैदा नहीं होते। उपरोक्त टाउन एरिया के सफाई कर्मचारी बेहद परेशान हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब वहां के कर्मचारियों को वेतन दिलाने की व्यवस्था कराने के लिये सरकार को बाध्य किया जाय/आदेश किया जाय। मान्यवर, इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है।

वाराणसी में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण पेयजल संकट उत्पन्न होने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में, नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश –

महोदय, जनपद वाराणसी में सम्प्रति विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो गया है, जिसकी वजह से जनपद के हजारों निवासियों को व्यापक कष्ट हो गया है। ग्रामीण अंचल में 24 घंटे में मुश्किल से 4-5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है और बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां कई दिनों तक बिजली मिलती ही नहीं जिसकी वजह से कृषि कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विद्युत आपूर्ति के अभाव में उद्योगों और कारखानों पर इतना खराब असर पड़ रहा है कि औद्योगिक उत्पादन बहुत ही कम हो गया है। शहरी इलाके में बिजली न मिल पाने की वजह से पेयजल का भी संकट उत्पन्न हो गया है और कई मोहल्लों के नागरिक पानी के अभाव में परेशान हो गये हैं। इसकी वजह से व्यापक जन असंतोष उत्पन्न हो गया है।

कृपया मांग करता हूं कि तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराई जाय ताकि जनपद वाराणसी के नागरिकों को कृषि और औद्योगिक कार्य में शहर व गांव में, पेय जल का संकट समाप्त हो।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत आज 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री सूर्यप्रताप शाही की है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 22 मार्च, 1986 को देवरिया जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है, जो अनुचित है, क्योंकि सदन की बैठक हो रही है। दूसरे सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है जो प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 219 के अंतर्गत श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाये गये कतिपय बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है। इसमें, इनके दस्तख्त ही नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वह टाइप किया हुआ नहीं, है, हाथ से लिखा हुआ है, दस्तख्त हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें देख लीजियेगा, नहीं है।

चौथी सूचना भी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है जो निजी कोचिंग स्कूल के सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य रज्य मंत्री के कथन के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री रामनरेश यादव की है जो पी0 सी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एफ0 के अध्यक्ष के त्यागपत्र के बारे में है।

जहां तक माननीय सूर्य प्रताप शाही की सूचना का सम्बन्ध है, इस मामले में सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। इसमें अधिकारियों ने यह सोचा होगा कि शनिवार के दिन असेम्बली नहीं होगी, इसलिए यह बैठक रख दी होगी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, वह कैंसिल कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब तो शासन से बैठक को स्थगित करा दिया गया है।

जहां तक श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना का संबंध है, इस मामले में माननीय मंत्री जी का उत्तर आ चुका है और उसका परीक्षण मेरे कार्यालय में किया जा रहा है।

जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की दोनों सूचनाओं का सम्बन्ध है, यह नियम 300 में नहीं आती। इसी तरह से मा0 राम नरेश जी की सूचना भी नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है।

उक्त पांचों सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

कु0 उर्मिला अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

कु0 उर्मिला अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1985-86) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदनों की मुद्रित प्रतियों के वितरण तथा उस पर चर्चा की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

इसमें छपा है कि मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी। हम इन समितियों के प्रतिवेदनों पर बहस करना चाहते हैं इसलिए कुछ प्रतियां दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

जब प्रतियां छपकर आयेंगी, तो बांट दी जायेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। † छापा नहीं गया।

बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र के बिल्थरा रोड़ नगर क्षेत्र में महिला चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका †

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र के बिल्थरा रोड नगर क्षेत्र में, महिला चिकित्सालय खोलने विषयक श्री लल्लन प्रसाद मौर्य निवासी जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैंने जो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

वह मद तो आगे आयेगी ।

ग्राम गराऊं, विकास खण्ड बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ में स्थित छिड़केश्वर महादेव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से ग्राम गराऊं, विकास खण्ड बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ में स्थित छिड़केश्वर महादेव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने विषयक श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय निवासी जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान (निरसन) विधेयक, 1986††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत मुझे 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

1–श्री किरनपाल सिंह और श्री विजय सिंह राणा की सूचना मेरठ में होमगार्ड के 27 जवानों के लापता होने के संबंध में है ।

2–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा जी की सूचना यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, बांदा के मजदूरों पर लाठीचार्ज के संबंध में है ।

3–श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव जी की सूचना इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी चार्ज के संबंध में है ।

4–श्री हरीश चन्द्र की सूचना लखनऊ में पेयजल संकट के संबंध में है ।

5–श्री मनोहर लाल जी की सूचना कानपुर के 40 हजार सूती मिल मजदूर तथा 80 हजार राज्य कर्मचारियों के साथ सरकार की वादा-खिलाफी एवं धोखाधड़ी के संबंध में है ।

---

†छापी नहीं गई ।

††दिनांक 25 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

6—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी की सूचना फर्रुखाबाद में दो किसान परिवारों के यहां पड़ी डकैती में दरोगा के शामिल होने के संबंध में है ।

7—श्री यदुनाथ सिंह की एक ही जाति विशेष के सैकड़ों लोग उच्च पदों पर आसीन होने के संबंध में है ।

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सरकार द्वारा राजकीय देयों की कड़ाई से वसूली किये जाने के संबंध में है ।

9—श्री राम नरेश की प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के बकाया के संबंध में सूचना है ।

10—श्री सत्य प्रकाश विकल की सेतु निगम में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में है ।

11—सर्वश्री राम आसरे वर्मा, शारदा प्रताप, हृदय नारायण दीक्षित और श्री काशी सिंह एरी की सूचना उच्च न्यायालय द्वारा पियरलेस कम्पनी को बन्द करने के आदेश के संबंध में है ।

12—श्री बलराम यादव की शारदा सहायक से संबंधित नहरों में पानी के बन्द होने से किसानों में असंतोष के संबंध में है ।

13—डा0 दिनेश जौहरी की प्रदेश में फार्मेसिस्टों द्वारा हड़ताल के संबंध में है।

14—श्री सूर्य प्रताप शाही की बलिया में पुलिस कर्मियों द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों की पिटाई के संबंध में है।

15—श्री राज किशोर सिंह जी की सूचना भदोही वूलेन लि0 बनारस में कार्यरत श्रमिक, श्री रामनाथ की मृत्यु के संबंध में है ।

*श्री किरनपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मेरठ नगर में इस महीने के पहले सप्ताह में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न जनपदों से फोर्सेज मंगवाई गई थी । उसी के तहत लखनऊ से भी कुछ फोर्स भेजी गई थी । उसमें 300 होमगार्ड जो रेगुलर थे और दैनिक वेतन भोगियों को वहां ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया दंगाग्रस्त क्षेत्र में, कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए 15 दिन के बाद जब उसकी जांच-पड़ताल की गई तो 27 जवान वहां ड्यूटी पर नहीं थे । आज तक इस बात का पता नहीं है कि वे 27 जवान जीवित हैं या मार दिये गये हैं । जब इस बात का पता लगाया गया तो कह दिया गया कि शायद ड्यूटी से भागकर अपने घर चले गये होंगे । जब उनके पतों के अनुसार उनके घरों में पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वे घर पर भी नहीं हैं । ऐसी अनिश्चितता में जिन लोगों को सरकारी खर्चे पर कानून की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे कहां गये और आज तक उनका पता नहीं है ? यह एक गम्भीर विषय है और एक अभूतपूर्व घटना है । साथ ही साथ लोकमहत्व का विषय है । मैं चाहूंगा कि आप इस पर कम से कम सरकार को वक्तव्य देने के लिए निर्देशित कर दें ।

*श्री विजय सिंह राणा—

केवल अविलम्बनीयता और लोक महत्व के बारे में एक बिन्दु है, वह कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

परम्परा यही है कि एक विषय पर एक ही माननीय सदस्य बोलेंगे, फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी आपको एक मिनट का समय देता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसमें तीन बिन्दु हैं ।

पहला बिन्दु यह है कि यह जो आपके होमगार्ड्स हैं, यह पुलिस से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। यदि ऐसे विभागों पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी? आमद और रवानगी का एक रजिस्टर होता है, उसमें ये दर्ज की जाती है। फिर इनकी गुमशुदगी का पता 5 दिनों के बाद कैसे चला?

दूसरी बात यह है कि मेरठ दंगाग्रस्त है। सम्भावना यह है कि दंगाग्रस्त क्षेत्र में दंगाइयों द्वारा पुलिस के जवानों को मार दिया गया। शासन दबाये बैठा है, आज तक कोई बात नहीं बतायी कि वहां पर इन जवानों का क्या हुआ? मर गये हैं या भाग गये हैं ?

तीसरी बात यह है कि ड्यूटी चार्ट उनके पास होगा कि किसको कहां ड्यूटी दी गयी। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करा दें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कोई भी होमगार्ड लापता नहीं है। इनमें से कुछ बिना छुट्टी लिये अनुपस्थित हो गये थे, उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही चल रही है। इसलिये न लोकमहत्व का प्रश्न है, न इस पर वक्तव्य की जरूरत है । सबका पता है, सब उपलब्ध हैं। जो अनुपस्थित हुए थे, बिना छुट्टी लिये, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, यू0 पी0 सूती मिल, बांदा में मजदूर हड़ताल पर हैं। 17 मार्च, 1986 को वहां के मजदूरों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। सूती मिल, बांदा बन्द है, उसे पुलिस ने घेर रखा है, मिल में पुलिस और पी0 ए0 सी0 का जबरदस्त पहरा है । वहां पर दूसरी जगह के मजदूरों से काम कराया जा रहा है, मिल के मजदूरों ने पूरी तरह से अनशन और हड़ताल कर रखी है। 17 मार्च से पूरे प्रदेश में हड़ताल, प्रदर्शन और जेल भरो का आन्दोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश के तमाम श्रमिक संगठनों द्वारा, वहां की हड़ताल के समर्थन में, डेरा डालकर हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है। यह स्थिति वहां के संयुक्त निदेशक के तानाशाही रवैये के कारण उत्पन्न हुई है। स्थिति विस्फोटक है, किसी भी समय वहां पर शान्ति भंग हो सकती है। वह चारों तरफ अराजकता फैल गयी है। पी0 ए0 सी0 के ट्रकों को लेकर मिल के मजदूरों को रौंदने की भी कोशिश की गयी है । अतः मेरी मांग है कि सारा कार्य स्थगित करके इस पर सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, बांदा में 13 तारीख को 33 श्रमिकों की छटनी कर दी गयी थी, जिसके विरोध में 15 तारीख को गेट पर मीटिंग का आयोजन किया गया । उन्होंने कहा कि उनको दुबारा काम पर लिया जाय । इसी बात को लेकर उन्होंने

कहा कि यदि नहीं लिया जायगा तो 28 तारीख से हड़ताल पर जायेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है अभी कोई ऐसी बात नहीं है और न ऐसी कोई सूचना है। केवल छंटनीशुदा मजदूरों की बात को लेकर उन्होंने एक गेट मीटिंग की है और अपनी बात रखी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से विश्वविद्यालय के कुलपति से समझौता वार्ता कर रहे थे। उनकी मांगें सीटों को कटौती, पुनर्मूल्यांकन पद्धति तथा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की वापसी, काफी समय से दीक्षान्त समारोह नहीं हो रहा था जो अब 13 मार्च को होने जा रहा था, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी भी शरीक होने जा रहे थे लेकिन प्रधान मंत्री नहीं आ पाये तो इसे स्थगित कर दिया गया। 1 लाख से अधिक छात्रों को बहुत दिनों से डिग्रियां नहीं दी जा रही हैं। लाखों रुपये का अपव्यय समारोह की तैयारी में किया जा चुका है। विश्वविद्यालय 1 करोड़ के घाटे में है। इन्हीं सब बातों को लेकर वे 14 मार्च को कुलपति से वार्ता कर रहे थे। छात्रों से वार्ता करते-करते कुलपति महोदय पीछे के दरवाजे से बाहर चले गये जिसके कारण छात्रों में रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया।

15 मार्च को छात्र संघ के नेतृत्व में जिलाधीश के पास गये क्योंकि वे जिलाधीश के माध्यम से अपनी मांगें शासन तक पहुंचाना चाहते थे। वहां के अधिकारियों की अदूरदर्शी नीति के कारण उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और 13 छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। जब 12 छात्र नेता पुलिस प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ आयुक्त के यहां गये तो वहां भी उनकी गिरफ्तारी हुई। इस घटना के बाद से विश्वविद्यालय बन्द हो गया, पठन-पाठन का कार्य भी बन्द हो गया और और कार्यालय भी बन्द हो गया। दीक्षान्त समारोह जो होने वाला था उसका काम भी ठप्प हो गया है।

इसलिये मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही को रोक कर वहां विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुलपति की तानाशाही और पुलिस प्रशासन द्वारा जो दमनात्मक कार्यवाही छात्रों के प्रति वहां की जा रही है, इसको रोका जाये। इसके संबंध में, मैं आपसे चर्चा की मांग करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, इस समय लखनऊ में पेय जल का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, गांव की तो हालत ऐसी है ही लेकिन प्रदेश की राजधानी में पीने का जल सबको पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है जिसके कारण भारी संकट उत्पन्न हो गया है। व्यापक क्षेत्र में यहां पर जल आपूर्ति अनियमित है। पानी बहुत धीमी गति से आ रहा है। जिन आबादियों में दो-तीन मंजिल के मकान हैं, वहां पर पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। पुराने लखनऊ में, अलीगंज में, राम सागर मिश्रा नगर में, तालकटोरा में, निरालानगर में इन सब छात्रों की मुझे प्रत्यक्ष जानकारी है कि वहां पर पानी की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। यदि यह स्थिति यहां पर पहली बार हुई होती तो मैं इसको काम रोको प्रस्ताव में न लाकर किसी और नियम के

अन्तर्गत लाता। पिछली बार जल संस्थान ने कहा था कि 36 ट्यूबवेल जब लग जायेंगे तो हम पूरे लखनऊ को ठीक से पानी दे देंगे। इसलिए 36 ट्यूबवेल का प्रबन्ध किया गया जिसमें से अभी तक 16 ट्यूबवेल ही लग पाये हैं और 20 अभी लगने शेष हैं। जल संस्थान का कहना है कि 38 करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था हो जाने से आपूर्ति ठीक से हो सकती है जबकि इस समय केवल वह 36 करोड़ लीटर पानी ही सप्लाई कर पा रहा है। मेरे हिसाब से 57 करोड़ लीटर पानी जब आप गर्मियों में देंगे तब लखनऊ में पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हो पायेगी।

अतः मान्यवर, मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस लोकमहत्व के अति-लम्बनीय विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें। नलों से गन्दा पानी आ रहा है जिसमें बीमारियां अलग से फैलेंगी और गर्मियां जो आ रही हैं इसमें लखनऊ में पेय जल का भारी संकट पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, आप पहले अनुग्रह नारायण जी की सूचना पर और फिर हरीश जी की सूचना पर क्या आपने विचार व्यक्त करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सूचना दी है। मान्यवर, 3-4 मांगों को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं। 15 तारीख को सौ-डेढ़ सौ छात्रों ने मिलकर विश्वविद्यालय को बन्द कराया और दो-ढाई सौ छात्र जिलाधिकारी के पास गये लेकिन वह मिल न सके, इस पर छात्रों ने तोड़-फोड़ की। इस कारण 13 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। और अब स्थिति नियंत्रण में है और कोई वहां पर विस्फोटक स्थिति नहीं है। मान्यवर, जहां तक माननीय हरीश जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, लखनऊ के लिये जल योजना तैयार की जा रही है, उसकी कार्यवाही की जा रही है और पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं रह जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं वह तथ्यों से परे है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। . . .

श्री अध्यक्ष–

दो दिन बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। आपको काफी अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, अवसर का सवाल नहीं है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर निर्णय दूंगा। माननीय मंत्री जी का विचार आ गया है। मैं निर्णय दूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[x x x]

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

जो बोला जा रहा है, वह लिखा नहीं जायेगा। (श्री मनोहर लाल का नाम पुकारे जाने तथा अनेक भाषण आरम्भ न करने पर) मनोहर लाल जी आप बोलिए नहीं तो मैं दूसरा आइटम लेता हूं। यादव जी आप बैठे। इस तरह से नहीं। यह बड़ा अनुचित है और यह आपको शोभा नहीं देता है। अब 4-5 रोज रह गये हैं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दासस यादव के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो बोल रहे हैं, वह मुनासिब नहीं है। बिल्कुल नहीं है।

(व्यवधान)

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जम्हूरियत में सरकार को चलाने के लिये तीन अंग जरूरी हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्याय-पालिका। अगर तीनों अंग ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो जम्हूरियत की सरकार ठीक से नहीं चल सकती है। विधा-यिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसका पालन करती है। मान्यवर, यह बड़े महत्व का सवाल है कि लगभग एक महीना पहले कानपुर के 80 हजार राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल किया था कि उनको ए-ग्रेड की सुविधा दी जाये और पिछले तीन महीनें पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो 40 हजार सूती मिल मजदूर हैं उनका वेतन 60 रुपये से बढ़ा दिया जायेगा और उनकी घोषणा के बाद भी आज तक उन मजदूरों को 60 रुपये की बढ़ोत्तरी नहीं मिल पायी है। कर्मचारियों के नेताओं को जेल से बुलाया गया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बंगले पर समझौता किया और कहा कि ए-ग्रेड की सुविधायें देने के लिए एक सप्ताह में घोषणा कर दी जायेगी। पार्लियामेंट ने कानपुर के कर्म-चारियों को ए-ग्रेड की सुविधायें दे दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 80 हजार अपने कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दे रही है। एक महीनें की हड़ताल माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन पर समाप्त हो गयी, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासन की पूर्ति नहीं की है। यह 80 हजार और 40 हजार कर्मचारियों का सवाल है। कानपुर में 20 लाख लोग रहते हैं और किसी भी समय कदम उठा सकते हैं, जिस कारण कानपुर की जनता की जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर चर्चा करा दें, वहां महत्वपूर्ण है।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, सूती मिल मजदूरों के बारे में जैसा अभी मनोहर लाल जी ने कहा है, उनको 60 रुपये देने का आदेश हो चुका है। अब मैं नहीं कह सकता कि कहां विलम्ब है, इसे मैं देख लूंगा। उनको 60 रुपये देने के आदेश जो किये गये थे, उसके आदेश हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर 3 माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, माननीय हरिश्चन्द्र, हरीश जी को माननीय मनोहर लाल जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राम नरेश यादव जी, माननीय बलराम यादव एवं राज किशोर सिंह जी की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, माननीय राम आसरे वर्मा जी का केन्द्र से ताल्लुक है। कार्य स्थगन के रूप में लगी सूचनाएं अस्वीकार हैं।

(मद संख्या 15 पुकारे जाने पर श्री यदुनाथ सिंह द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर बोलने से व्यवधान)

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आप विवश करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट पर बोलने का काफी मौका मिलेगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आप काफी विवश करते हैं यदि कहें तो इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे मिर्जापुर में, एक जाति के कई उच्चाधिकारी हैं (घोर व्यवधान के मध्य) इसे लगातार मैं कार्यस्थगन में दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज बजट है, इस पर बोल लीजिएगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इससे ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। दो मिनट, मैं बोलूंगा, भले ही आज सदन से निष्कासित हो जाऊं। (व्यवधान) मेरे हाथ पैर तोड़ गये, आज भी हाथ में फ्रैक्चर है।

श्री अध्यक्ष–

आज आप बजट पर बोल लीजिएगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं बजट की जूठन पर नहीं बोलूंगा, कार्यस्थगन पर बोलूंगा।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री गया प्रसाद वर्मा तथा अन्य माननीय सदस्य द्वारा श्री यदुनाथ सिंह को वापस ले जाने का प्रयास करने पर वे सदन के फ्लोर पर बैठ गये)।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान के मध्य)

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं वापस नहीं जाऊंगा।

(श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री विजय सिंह राणा, श्री राम सरन, डा0 दिनेश जौहरी तथा अन्य विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा श्री यदुनाथ सिंह को उठाने का प्रयास करने पर वह लेट गये, तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के आग्रह पर सभी सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये किन्तु श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर लेटे ही रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल . . . .

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय यदुनाथ सिंह जी की कोई वेदना होगी। लेकिन आज ऐसा अवसर नहीं आया। मैं चाहूंगा कि यदुनाथ सिंह जी बेल से वापस आ जायं और कल आप उनको सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर से उठकर अपने स्थान पर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है . .

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मनोहर लाल जी, मैं आपके विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होने पर)

माननीय किरनपाल सिंह जी, आपका जो 1 नम्बर पर विषय है, उसे मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक सूचना काम रोको प्रस्ताव के अन्तर्गत मैंने आपको दी थी जिसके बारे में आपने निर्णय दिया था कि उसका सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है। पियरलेस कम्पनी, जिसमें 150 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का लगा हुआ है और उस कम्पनी से प्रतिवर्ष 5 करोड़ का कर्ज लेकर उत्तर प्रदेश सरकार हर साल सवा छः प्रतिशत ब्याज भी देती है। उस कम्पनी में 1 लाख कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। उस कम्पनी के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह अपना कारोबार बन्द कर दे। मान्यवर, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जहां पर प्रदेश का हित निहित है, उस प्रश्न को उठा रहा हूं। इससे 1 लाख कर्मचारी बेरोजगार और बेकार हो जायेंगे। दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपये का कर्ज हर साल इस कम्पनी से लेती है, उसका मामला निहित है। बचत अभियान जो यहां पर चलाया जा रहा है और एक राष्ट्रीय अभियान भी है। अगर यह कम्पनी बन्द होती है तो जनता के बीच जो बचत अभियान के प्रति रुचि पैदा होती है, उसको धक्का लगेगा (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है। मैं पहले ही इसे अस्वीकार कर चुका हूं। आप बैठें।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 63 के अन्तर्गत मैंने आपको एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी। मद संख्या 9 में। उसी के सन्दर्भ में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। दिनांक 16-3-86 को सन्त इंजीनियरिंग वर्क्स का उद्घाटन . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मद नम्बर 9 पर बोल रहे हैं। आपने सूचना दी है उसे मैं देखूंगा।

1986-87 के आय-व्यय में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या–21 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग राजस्व (विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-45, प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या–82 सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-83 सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या–86 सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या–87 सार्वजनिक उद्यम विभाग

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 74,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,67,86,79,000 रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,55,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट) अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 27,72,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45-प्रशानिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,28,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,84,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, जैसा मालूम है कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि देश और प्रदेश में अमन-चैन रहे। अगर अमन चैन रहता है तभी हम अपने, सारे काम पूरा कर सकते हैं। हर नागरिक, जो उसका अधिकार है, जो उसका कर्तव्य है उसका पालन कर सकता है, अगर अमन-चैन नहीं रहता है तो चाहे कोई कितना ही बड़ा मेहनती क्यों न हो, उद्यमी क्यों न हो वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी हो यह बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि जो लोग अमन-चैन में विघ्न डालते हैं, किसी प्रकार किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन नहीं करने देते हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हरिजन और आदिवासी महिलायें आदि, जो ऐसे लोगों से हमेशा परेशान रहते हैं और, तरक्की एवं विकास नहीं कर पाते हैं हमें उन्हें प्रोटेक्शन और संरक्षण देना है और देखना है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करके अपना विकास कर सकें। इसके लिए अमन-चैन कायम रहे और शांति बनी रहे, हमें हर प्रकार से सहायता देना है। मान्यवर, यह भी देखना है कि कौन तत्व ऐसे हैं जो समाज को बिगाड़ते हैं जिससे अमन-चैन में परेशानियां पैदा होती हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम ऐसा प्रशासन कायम करें और ऐसा काम करें कि देश और प्रदेश में अमन-चैन कायम रहे और सब काम ठीक से हो सकें। इसलिए यह प्रयास किया गया है कि जहां-जहां कमियां देखी गयी हैं, कौन-कौन कमियां हैं, किस स्थान पर हम काम को नहीं कर पाते हैं उनको करें और कमियों को दूर करें।

आपको मालूम है कि बसों, ट्रेनों, रास्ते चलते हुए लोगों को तरह-तरह से परेशान किया जाता है। तरह-तरह की ट्रेन डकैती और बसों में डकैती होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन पर दूसरे लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, बहुत सी ऐसी महिलायें हैं और बहुत से ऐसे शरीफ लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते हैं किन्तु उनको परेशान किया जाता है। बहुत से हमारे बुद्धजीवी लोग हैं, व्यापारी हैं, इन सभी को असामाजिक और अपराधिक तत्वों से बचा दें

तो हम समझते हैं कि यह हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। पिछले दिनों शासन का अनुभव रहा है कि जो हमारे कान्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आबकारी, विकास के काम जो होते हैं, कहीं सिंचाई विभाग में या पी0 डब्लू0 डी0 में या जल निगम में और चाहे नगर पालिकाओं या नगर महापालिकाओं में जो विकास के काम होते हैं उनमें जबरदस्ती, जोर जुल्म से, वहां ठेके लिये जाते हैं और इस प्रकार जो सही काम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं जिससे सरकार का बहुत बड़ा धन बर्बाद होता है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश पिछड़ा प्रदेश है, हमारे पास धन और साधनों का अभाव है. इसलिए धन का दुरुपयोग होने दें तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे विकास हो सकता है? इसलिए आवश्यकता है कि ऐसे तत्वों को जो इस प्रकार की बातें पैदा करते हैं उनके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्यवाही हो सकती है यह सरकार करेगी और कार्यवाही करने में हिचकेगी नहीं। यही कारण है कि अभी हमने गैंगेस्टर अधिनियम इस माननीय सदन ने पास किया है और इसका विधेयक इसलिये लाया गया कि ऐसे लोग जिनसे हम और तरीकों से निपट नहीं पाते थे उनको इस अवधि नियम में डालकर कार्यवाही कर सकते हैं, इसलिये ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जायेगा। मान्यवर, इस अधिनियम के बनने के बाद देखा गया है कि इससे काफी राहत मिली है और हर क्षेत्र में जनता इसकी प्रशंसा कर रही है और जनता में इससे बड़ी खुशी है और वह समझ रहे हैं कि सरकार अमन-चैन कायम करना चाहती है, इसलिये इसको किया गया है। ऐसे लोगों को समाज में, जो राष्ट्रीय हित में काम नहीं करते हैं, ऐसे तत्वों को, ऐसे अपराधिक और असमाजिक तत्वों को, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एवं गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हैं। मान्यवर, देखना है कि हमें इतना बड़ा काम करना है, हर जगह कभी साम्प्रदायिकता की बात पैदा होती है तो वहां सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि इस वर्ष, कुछ दिन पहले, थोड़ा साम्प्रदायिक तनाव हमारे प्रदेश में रहा है।

और आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन ने किस तरह काम किया, हमारे प्रदेश में जो लोग साम्प्रदायिकता पैदा करने वाले थे, उन्हें अपनी हरकतें करने का मौका नहीं मिला और आज अमन-चैन हमारे प्रदेश में कायम है। इससे सभी धर्मों के लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग खुश हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, यह ठीक कदम है और इस तरह के कदम न उठाये जाते तो साम्प्रदायिकता पैदा करने वाले लोगों को बल मिलता और प्रदेश की फिजा खराब होती। इसलिये प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को कैसे और चुस्त बनाएं। उसमें कहीं भी खामियां हैं, तो हमें उसको सही करना है। उसको हम देख रहे हैं और ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी प्रयास किया गया है, बहुत सी जगह पर बड़े-बड़े थाने थे, जिससे पूरे क्षेत्र पर सही ढ़ंग से निगरानी नहीं हो पाती थी, काम सही ढ़ंग से नहीं देख पाते थे, इसलिए इस वर्ष 50 नए थाने खोले जा रहे हैं और अगले तीन वर्ष में 75 और नए थाने बनाए जायेंगे। इसी प्रकार हमारा यह प्रयास है कि प्रत्येक तहसील में एक क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति जरूर की जाए

और उसी के अनुसार इस वर्ष 156 उप-अधीक्षक के नए पद सृजित किये गये हैं, उससे हमारी कमियां पूरी हो जाएंगी और प्रशासन में आप काफी चुस्ती देखेंगे। साथ ही हम तेजी से कार्य कर सकेंगे। हमारा यह भी प्रयास है कि सभी थानों को जीपें दे दी जाएं और यह व्यवस्था कर भी दी गई है। हमारा यह भी प्रयास है कि सभी थानों पर, चौकियों पर वायरलेस सेट्स लगा दिए जाएं, ताकि हर तरह से हम कन्ट्रोल कर सकें और यही कारण है कि जो हमारे 1261 थाने हैं, वहां पर 70 गाड़ियां दे दी गई हैं और उसके लिए वायरलेस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है।

साथ ही हमारा यह भी प्रयास है कि हर जिले को हाट-लाईन पर जोड़ दिया जाए, ताकि हमेशा उस जिले की जानकारी हमें तुरन्त हो जाया करें, खबरें मिल जाएं। हमारा प्रयास है 40 जिलों में हम हाट-लाईन लगाएंगे और 29 जिलों में हाट-लाईन लगाने की व्यवस्था हो गई है। हमें आशा है कि हम जल्द इस काम को कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी संचार व्यवस्था उतनी अच्छी हो कि जो भी अपराधी भाग निकलना चाहते हैं, उनको भागने का मौका न मिले। इसलिए संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने काफी प्रयास किया है और हम चाहते हैं कि इसे जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी अच्छा बनाया जाए।

इसके अलावा हमारा यह भी प्रयास है कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं-चाहे आवास की दिक्कतें हों, चाहे उनके खाने-पीने की दिक्कतें हों या उनकी अन्य कोई दिक्कतें हों, उनको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए। हमको जिनसे काम लेना है, उनको पूरी सुविधा नहीं देते हैं तो हम उनसे सही काम नहीं ले सकते हैं। इसलिए पूरी सुविधा देने का हमारा विचार रहा है और हमने दी भी है और उस पर आगे भी कार्यवाही हो रही है।

डाकुओं आदि से मुठभेड़ में जो पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को कैसे सहायता दें? इसपर हमने काफी कदम उठाये हैं। इसके अलावा यह भी प्रयास होगा कि जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेंगे, उनको हम पुरस्कृत करेंगे और जो गलत काम करेंगे अर्थात् जिनका व्यवहार और आचरण ठीक नहीं है, उनके खिलाफ हम कड़े कदम उठायेंगे। हमारा यह प्रयास होगा कि पुलिस में अनुशासन अच्छा रहे, जो लोग अनुशासन तोड़ेंगे, वह चाहे छोटे कर्मचारी हों या बड़े अधिकारी हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा-चाहे कोई भी हो।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

अच्छे लोगों को प्रोत्साहित किया जायगा और जो ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारा सर झुकता है और जिनसे हमारी बदनामी होती है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और काफी कार्यवाही हमने की भी है।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो हमारे माइनारिटी के लोग हैं उनको कैसे महसूस हो कि पूरा प्रोटेक्शन हमको मिलता है, इसके लिये प्रयास किया जा रहा है। पुलिस में जो भर्ती होती है, पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की तो उसमें प्रयास किया जा रहा है कि यह लोग आ सकें। हमारा प्रयास है कि इसमें माइनारिटी

के लोग आ सकें इसके लिये ध्यान दिया जा रहा है । इसके साथ ही साथ हमारा प्रयास है कि जो हमारे हरिजन हैं, आदिवासी हैं जिनके बारे में शिकायतें आती हैं कि उनको सताया जाता है तो उनके लिये काफी व्यवस्था करने जा रहे हैं । उनके लिये एक विशेष जांच प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है । जहां पर एक पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी इसको देख रहा है । हम इस प्रकोष्ठ की फील्ड इकाइयों को भी गठित करने जा रहे हैं ताकि बहुत सी जगहों से जो यह शिकायतें आती हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो यह शिकायतें न रहें । हम ऐसा करेंगे कि उनके साथ कोई अन्याय न कर सके । अगर कोई अन्याय करे तो उसके साथ सख्त कदम उठाये जायेंगे । इसी प्रकार से यह शिकायतें आती हैं कि हरिजनों को भर्ती में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है । यह शिकायत बार-बार उठायी जाती है । आप देखेंगे कि 1979 में सिविल पुलिस में इनका प्रतिशत 16.28 था, सशस्त्र पुलिस में 17.34 प्रतिशत था, पी0 ए0 सी0 में 17.59 प्रतिशत था और इस तरह से अराजपत्रित संवर्ग में 14.40 प्रतिशत था। इसी प्रकार से 1985 में सिविल पुलिस में 18.04 प्रतिशत था, सशस्त्र पुलिस में 21.66 प्रतिशत था, पी0 ए0 सी0 में 21.66 प्रतिशत था और अराजपत्रित संवर्ग में इनका प्रतिशत 18.89 था । कोटे को हर तरह से पूरा करने का प्रयास किया गया है। जो भर्ती होती है उसमें हरिजन अफसर रखे जाते हैं, वह देखते हैं कि उनका कोटा पूरा हो रहा है या नहीं । तो इनके कोटे को पूरा करने का प्रयास किया गया है । यह प्रयास किया जायगा कि इनके जो अधिकार हैं और इनको जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह पूरी की पूरी मिलें और इनके साथ अन्याय न हो सके ।

मान्यवर, आये दिन यह शिकायतें आती हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है। महिलाओं के साथ यदि कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ, जो नियम और कानून हैं, उनके अंतर्गत सख्त कार्यवाही होगी। जो हमारे पुलिस कर्मी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं उनमें से अगर कोई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो उसको विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा । (मेजों की थपथपाहट ।) उसके खिलाफ जांच पड़ताल होगी और अगर साबित हो जाता है कि पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार किया है तो मेरा प्रयास होगा कि उसे विभाग में न रखा जाय नहीं तो विभाग का और प्रशासन का जो ढांचा है वह बिगड़ता है और उसकी छवि बिगड़ती है । ऐसे लोगों को कहीं पर बख्शा नहीं जायेगा । इस तरह से हमारा प्रयास है कि पुलिस प्रशासन को चुस्त कर सकें, उनसे अच्छा काम ले सकें । उनको हम सुविधा भी दे रहे हैं और अगर वह गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर रहे हैं । पुलिस के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । हमारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं, चाहे वह छोटे कर्मचारी हों या बड़े अधिकारी हों उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज के क्राइम का जो नेचर है उसको देखते हुये, यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वह इस चुनौती का सामना कैसे कर

सकते हैं। इसलिये हम ट्रेनिंग की विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं, सबके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि जो शिकायतें आती हैं पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कि वह जनता के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह का करना चाहिये तो उसके लिये हमारा प्रयास होगा कि पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों का व्यवहार ठीक हो, जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिये और जो हमारे शरीफ नागरिक हैं, व्यवसायी हैं, वकील हैं या हमारे शिक्षक हैं, जनता के लोग हैं, सभी के साथ शराफत का व्यवहार करें, यह बहुत जरूरी है और सभी के साथ एक जैसा बराबरी का व्यवहार करें और जो पुलिस में पुरानी प्रथा चली आ रही है, इसमें काफी परिवर्तन किया जायेगा ताकि नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार हमेशा होता रहे और किसी के साथ कोई शिकायत न आये।

और मान्यवर, आपको मालूम है कि यह सरकार स्वस्थ प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है, जिस दिन से मैं मुख्य मंत्री बना, उसी दिन मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन दिया जायेगा। उसके लिए आपने स्वयं भी देखा होगा कि बहुत से विभागों में इस सम्बन्ध में कार्यवाही हुयी और बहुत से विभागों में अभी भी यही कार्यवाही चल रही है। मेरा यही कहना है कि जिस विभाग की जो भी योजना है, और उसे जितनी भी धनराशि दी गयी है, उस पैसे का पूरा-पूरा और सही सही उपयोग समय के अंदर हो। और जिस काम के लिए जितना समय दिया गया है वह काम उसी के अंदर होना चाहिए और वह काम अगर कोई समय के अंदर नहीं कर सकता है, तो उससे उस संबंध में पूछ-ताछ होगी कि क्यों नहीं कर सका और जो कार्य समय के अंदर कर सकता है, तो उसको वहां से हटाया नहीं जायेगा और उसको काम का बराबर मौका मिलेगा। अगर समयबद्ध तरीके से काम को पूरा न किया गया तो इतने बड़े प्रदेश की इतनी समस्याओं का हल कैसे निकल सकेगा और कैसे फिर प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसलिए ऐसा करना जरूरी समझा गया और जो भी हमारे पास साधन हैं, उनका भी पूरा उपयोग हमें करना होगा और आपने यह भी देखा होगा कि लोग दफ्तरों में टाइम से नहीं आते थे और अपने-अपने कर्तव्यों का पालन समय से नहीं करते थे, फाईलें वर्षों तक पड़ी रहती थीं और भी तमाम दिक्कतें थीं, परेशानियां थीं। अब उनमें काफी तेजी आयी है, हमारा दफ्तर हो या किसी का भी दफ्तर हो, वहां का रोज का काम पूरा होना चाहिए। मैं तो मुख्य मंत्री हूं और अपना रोज का रोज काम पूरा करता हूं, तो क्या विभाग का सचिव, या और भी ऊपर नीचे के चाहे कोई भी अधिकारी हों या बाबू हो, वह भी अपना काम समय से पूरा कर सकते हैं। अगर प्रदेश के समस्त विभागों में समस्त कार्य समय से होने लगें तो प्रदेश की जनता को काफी राहत मिलेगी और इस तरह से जनता की दिक्कतें बिल्कुल नहीं रह जायेंगी और इस प्रकार से विकास के कामों में भी तेजी आयेगी। अमर नगर में जो कलेक्ट्रेट के काम का पैटर्न है, तरीका है, इसी प्रकार के तरीके को हम अपने यहां पहले इस वर्ष 12 जिलों में लागू करने जा रहे हैं इस प्रकार की कलेक्ट्रेट में जनता को पूरा-पूरा सही रिकार्ड मिलेगा, जब आप वहां जायेंगे, और अपने रिकार्ड्स को देखना चाहेंगे

या उनकी नकल चाहेंगे तो फौरन मिल जायेगी और दूसरे प्रकार की जो कलेक्ट्रेट्स में तरह-तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती थीं, वह अब नहीं रहेंगी। जन-सम्पर्क अच्छा हो, आप किसी भी काम को करवाने के लिए जाएं, तो उस काम के लिए आपको ज्यादा दौड़ना न पड़े और हर काम को जल्दी से निपटवाने की व्यवस्था की जायेगी, इसके लिए एक अलग से काउन्टर बनवाया जायेगा। यह जो 12 जिले हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं जो पहले लिये जा रहे हैं : एटा, गोरखपुर, झांसी, रामपुर, गाजियाबाद, देहरादून, बदायूं, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा इतने जिले हम ले रहे हैं। इसको हम धीरे-धीरे बढ़ाते जायेंगे। इस पैटर्न को हम देखेंगे कि कैसे हम, और सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। इसके लिए हमने प्रयास किया है। इस साल उस काम के लिए 50 लाख रुपया इनको दिया है, ताकि वह अपने काम को ठीक कर सकें और जो दिक्कतें आए दिन कचहरियों में होती हैं, वह न हो सकें। इतने बड़े प्रदेश में जितने विकास के काम हो रहे हैं, तमाम विभाग अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन शिकायतें आए दिन आती हैं कि वहां का काम गड़बड़ है, जो रिपोर्ट आ रही है, वह ठीक नहीं है। लेकिन मान्यवर, जो रिपोर्ट पिथौरागढ़ से आती है, तो उसमें हफ्तों लग जाता है उसको मंगवाने में, तो इसके लिए हमने विकेन्द्रीकरण किया है। जो हमारे आयुक्त हैं, उनको हमने अधिकार दिया है। जो शिकायत आती है, उसको जाकर वह देखेंगे। विभाग के लोग जो रिपोर्ट देते हैं, वह सही नहीं देते हैं, वह दूसरे विभाग से जांच करा ली जाय, ऐसी मांग आए दिन सदन में भी की जाती है। तो मान्यवर, ये आयुक्त उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। श्रेणी-2 के कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामलों के संबंध में भीड़ लगी रहती है, उनको परेशानी भी होती है। इसलिए श्रेणी-2 के अधिकारियों के स्थानान्तरण का अधिकार उस विभाग के मण्डल स्तर के अधिकारी को दे दिया गया है। वह उसको देखेंगे। अगर उसमें कोई कमी पाई जायगी, तो आयुक्त उसको देखेंगे। मान लीजिए इरीगेशन, पी0 डब्लू0 डी0 आदि विभाग का स्थानान्तरण का मामला है, तो उसको मण्डल स्तर के अधिकारी देखेंगे और अगर कोई गलती होगी, तो आयुक्त उसको देख लेंगे। यह जो प्रदेश स्तर पर स्थानान्तरण का मामला रखते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है। इसलिए विकेन्द्रीकरण के लिए यह प्रयास किया गया है। उसमें बहुत सी बातें और भी आयेंगी। यह भी प्रयास है कि हर कमिश्नरी में तीन महीने में एक बार मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव और विभाग के सेक्रेटरी और हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट वहां पर जायेंगे और पूरी मानीटरिंग तीन महीने में एक बार जरूर करेंगे। जहां कहीं पर भी कोई शिकायत आयेगी, वहां पर वह आन दि स्पाट जाकर सरप्राइज चेकिंग भी करेंगे और वह यह देखेंगे कि जो रिपोर्ट आई है, उसमें और मौके पर जाकर देखने में क्या अन्तर है। तो इससे शिकायतें कम हो जायेंगी और जो गलत काम करते हैं, वह नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यह भी प्रयास है कि 3-3 महीने का हम बजट देंगे। आप सदन में जब बोलते हैं तो शिकायत करते हैं कि मार्च के महीने में पैसा खर्च किया जाता जाता है, वह साल भर खर्च नहीं होता है, इस तरह से धन का दुरुपयोग होता है। मान्यवर, हमारा प्रयास होगा, यह सत्र जो हमने बुलाया है, मार्च के अन्दर हम बजट पास कर देंगे, उसके बाद

तीन-तीन महीने की हर विभाग को स्वीकृति दी जायेगी और तीन महीने में काम करके जब वह बतायेंगे कि हमने यह काम कर लिया है, तब उनको दूसरी स्वीकृति दी जायगी। उन तीन महीने की मानीटरिंग पहले हम करेंगे और देखेंगे कि काम ठीक हुआ है कि नहीं। जहां कहीं पर कोई कमी होगी, तो उनसे जवाब-तलब किया जायगा। मान्यवर, इससे विकास के कार्यों में जो तमाम दिक्कतें होती हैं, आए दिन शिकायतें आती हैं वह कम हो जायेंगी और साधनों का सही उपयोग हो सकेगा। यह जो काम होते हैं जैसे नहर, सड़कें, पुल और मकान आदि बनाने का काम होता है वह किसी भी डिपार्टमेन्ट का काम होगा उसमें क्वालिटी देखी जायेगी। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह देखा जायेगा कि जो कार्य हो रहा है उसमें हर चीज की पूरी की पूरी मात्रा लगे उसमें जो गलती करेगा उसके खिलाफ जितनी भी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती की जायेगी। यह प्रदेश का काम है, अपना काम है और इस काम में अगर कोई आदमी गलती करता है, लापरवाही करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी भी सख्ती हो सकती है, होगी।

मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि हमने कहा है कि हर जिले में जिलाधिकारी, कमिश्नर, तहसील के तहसीलदार, ब्लाक के बी0 डी0 ओ0 यानी जिला स्तर के, ब्लाक स्तर के, तहसील स्तर के अधिकारी हर मंगलवार को अपने दफ्तर में बैठेंगे और जो लोग जायेंगे उनका काम देखेंगे, उनकी पूरी बात सुनेंगे। हर मंगलवार को केवल जनता से सम्पर्क के लिए बैठना अनिवार्य है। मान्यवर, पहले दिक्कत होती थी कि लोग वहां तक जाते थे परन्तु यदि कोई नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए हर मंगलवार को बैठना अनिवार्य कर दिया गया है।

मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि जिला स्तर पर मानिटरी की जायेगी। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हर विभाग के सचिव मानिटरी करेंगे और उसके बाद मुख्य सचिव करेंगे और उसके बाद मैं हर विभाग की मानिटरी खुद करूंगा और जहां कोई गलती होगी वह गलती पकड़ी जायेगी ताकि कोई आगे गलती न करे। यह भी किया जायेगा कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाय जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ब्लाक स्तर पर ताकि हम देख सकें कि जो काम हो रहा है वह ठीक हो रहा है या नहीं। मान्यवर, यह जरूरी है कि आज जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नए-नए तरीके से काम होते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमें ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करनी है। हमारे कर्मचारी और अधिकारी 20 साल पहले की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अब उनको आज की स्थिति में हमें इस तरह की ट्रेनिंग देनी है कि वह नए तरीके से काम कर सकें। इसके लिए नीचे से लेकर मुख्य सचिव तक हर व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना है और सबको प्रशिक्षण में जाना अनिवार्य है। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदन के सदस्य दो दिन आज और कल अपने-अपने विचार यहां व्यक्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा है उनको देखते हुए और अधिक उपयोगी सुझाव आप आगे देंगे। मैं आपके सुझाव चाहता हूं ताकि हम आगे और कुछ काम कर सकें आपके सुझावों से कार्यों में चुस्ती लाने में सहा-

यता मिल सके । हम जो प्रशासन को चुस्त बनाने में काम करेंगे उसमें हमें आपका सहयोग मिलेगा । धन्यवाद ।

(इस समय 1 बजकर 39 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 21–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग, अनुदान संख्या 45-प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 86–सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 87–सार्वजनिक उद्यय विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी लगभग 38 मिनट बोले और 38 मिनट मैंने बहुत ध्यानपूर्वक गम्भीरता से उनको सुना । लेकिन जिस दिन से मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली है, उसी दिन से लगातार कोरी, खोखली घोषणाओं के अतिरिक्त इनका कोई दूसरा काम नहीं है । 38 मिनट में लगातार कोरी और खोखली तथा नौटंकी करते रहे और घोषणायें करते रहे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और राजसत्ता का केन्द्र भी है पूरे देश का। इसके बाद हमारे प्रदेश को जो सम्मान हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से मिलना चाहिये था वह नहीं मिला और वह पूरी तरह से नष्ट हो रहा है और प्रदेश केवल पिछड़ा ही नहीं है, बल्कि लगातार पिछड़ता चला जा रहा है । आज पूरा प्रशासन अक्षम है, नौकरशाही नाकाबिलियत के कारण प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ मुख्य मंत्री के पास उनकी तारीफ में घोषणा करने के अलावा दूसरा काम नहीं है । जहां तक मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी फाइलें रोजाना की रोजाना निपटती हैं। मुख्य मंत्री जी उत्तर दें तो बतायें कि कितनी फाइलों पर वह दस्तखत करते हैं ? नम्बर–2 कितनी फाइलें ऐसी हैं, जिन पर यह लिखकर चला जाता है कि मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं ? इसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत सारे काम आपकी बिना जानकारी के आज इस प्रदेश में हो रहे हैं। केवल यह लिखकर चला जाता है कि मुख्यमंत्री जी यह चाहते हैं । अभी दो दिन के लिये आपके सचिव बाहर चले गये थे, दो दिन में आपने कितने दस्तखत किये? आपने कौन सा काम किया ? कोई काम नहीं हो रहा है । मैं उदाहरण दे सकता हूं मेरी बात सही है, मैं यह बात चुनौती के साथ कह सकता हूं कि दस्तखत नहीं हो रहे हैं । मान्यवर, मैं आज जो बोलने जा रहा हूं, विपक्ष की ओर से जो भी सुझाव आते हैं, उन पर अमल किया जाता था वह परम्परा खतम हो गयी है, रचनात्मक सुझाव भी जो दिये जाते हैं, कोई भी अधिकारी या प्रशासन उसको नोटिस में नहीं

लेता है। उसी का नतीजा है कि प्रदेश की हालत निरन्तर बिगड़ती चली जा रही है।

मान्यवर, आज आपके सामने यह हालत हो गयी है कि आज पूरे प्रदेश की लगभग 85 प्रतिशत जनता पूरी तरह से उपेक्षित है और अपने भविष्य के प्रति आशंकित है। मैं आपके सामने रखूंगा जो आपने बहुत सी घोषणाएं कर रखी हैं। मैं यह जानता हूं कि यहां पर जो बोला जा रहा है, या जो सदन में आश्वासन दिये जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। विधान मण्डलों का कोई महत्व नहीं है और यहां जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका कोई असर नहीं होगा। मेरा यह भाषण केवल औपचारिकता मात्र है, उस पर कोई अमल नहीं होगा। सचिवालय प्रशासन के बारे में बहुत कुछ कहा। सचिवालय का काम क्या है? मान्यवर, सचिवालय का काम अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन में रखने का और अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का है। यह काम है, लेकिन आज आप देखेंगे कि अनुशासन का जहां तक सवाल है रोजाना सचिवालय में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आम जनता को ही नहीं मा0 सदस्यों को भी अपमान का सामना करना पड़ता है, चाहे इधर के हों या उधर के। दूसरे मान्यवर, सचिवालय में आज जो स्थानान्तरण का सवाल है 10–15 साल से लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। आपकी नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे बैठे हुए हैं। मैं वैसे तो दर्जनों उदाहरण हैं, मैं राज्य सम्पत्ति विभाग का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के एक अधिकारी हैं, मैं नाम भी ले लूंगा, पूरन चन्द्र पाण्डेय, ये 19 साल से लगातार एक कुर्सी पर एक जगह पर बैठे हुए हैं। यह आपके सचिवालय का एक उदाहरण है। मान्यवर, मैं आपके सामने कह सकता हूं कि आज धीरे-धीरे सचिवालय में अधिकारियों की प्रवृत्ति ऐसी बनती जा रही है कि पूरी क्षमता से जो काम होना चाहिये, वह काम सचिवालय के अन्दर, मा0 मुख्य मंत्री जी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो इस सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की बात है, उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि 20 साल से 25 साल तक की सेवा के ऐसे लोग हैं जिनको आज तक प्रोन्नति नहीं मिली है और उनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है। आपके सचिवालय में बैठे लोग मनमाने तरीके से प्रोन्नति देते हैं। तमाम लोगों को प्रोन्नति नहीं मिलती है। यह आपकी क्षमता है, कुशलता है। इसलिये मैंने कहा कि जानबूझ कर की गयी यह घोषणा के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिये यह हालत है कि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी आपके नाराज हैं, उनमें कुंठा है, और असंतोष है। जो पूरे कर्मचारियों में व्याप्त हो गयी है और यह सचिवालय और इनका प्रशासन निहित स्वार्थी लोगों का अड्डा बन गया है और कोई दूसरा काम रहा नहीं है। मान्यवर, जहां तक ट्रांसफर और पोस्टिंग का सवाल है और सचिवालय में फाइलों को निपटाने की बात है, उसका भी मैं उदाहरण दूंगा।

मान्यवर, छोटे-छोटे सवालों के लिये, छोटे-छोटे कामों के लिये पूरे

उत्तर प्रदेश के लोग इस सचिवालय के चक्कर काटते हैं। यह क्षमता है आपके प्रशासन की माननीय मुख्य मंत्री जी। यहां के चक्कर काटकर सैकड़ों मील से आये लोग चुपचाप चले जाते हैं, यहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

मान्यवर, जहां तक तबादलों की बात है, तबादलों का दौर पूरे साल चलता है। इसके दो खराब नतीजे निकलते हैं। एक तो अनाप-शनाप सरकारी पैसा खर्च होता है, दूसरे तिकड़मबाज अधिकारी अच्छी जगह तिकड़म करके पहुंच जाते हैं। इसके लिये आपको कोई निश्चित नियम बनाने चाहिये थे। मान्यवर, जो स्थानान्तरण बीच में करते हैं, उसमें होता क्या है? अधिकारियों को शिकायत रहती है, वे अपनी दिक्कतें बताते हैं। सबसे बड़ी कठिनाई बताते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इसको आप चाहे 30 मई तक कर दें। इसमें कोई निर्धारित अवधि होनी चाहिये। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, अक्षम हैं, और या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से, अपरिहार्य कारणोंवश उनका ट्रांसफर किया जाना है तो उनको आप कर सकते हैं, वह भी कम से कम। यह एक आप नियम बनायें। यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो इधर के लोगों को भी कहने का मौका मिलेगा और उधर के लोगों को भी। आज आपके पास केवल दो काम रह गये हैं तनख्वाह बांटने का और ट्रान्सफर करने का। दूसरा कोई काम आपके पास नहीं है। तो फिर आप प्रदेश के लिये क्या कर रहे हैं? इस पर पूरे सदन को गम्भीरता से सोचना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आपके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वह अच्छे-अच्छे स्थानों पर बैठे हुए हैं। चपरासी से लेकर अधिकारी तक के ट्रांसफर मंत्रियों के स्तर से होते हैं। कम से कम जो छोटे कर्मचारी हैं, क्लास थ्री, क्लास फोर्थ के, उनको तो मंत्री अपने सिर से हटायें। विकेन्द्रीकरण की बात आप करते हैं। एक तरफ तो कमिश्नर, कलेक्टर, बी0 डी0 ओ0 आदि अधिकारियों की आपने शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है। लेकिन, चपरासी और अधिकारियों का ट्रांसफर मंत्री स्तर से होता है। आज चपरासियों के ट्रांसफर की हालत यह है कि हमें मंत्री लोगों से उनके ट्रांसफर के लिये कहना पड़ता है। क्लास थ्री, क्लास फोर्थ, के कर्मचारियों का ट्रांसफर अधिकारियों के हाथ में नहीं रह गया है। उसके बावजूद भी आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं।

अब सचिवालय की बात को ही ले लीजिये। सबसे पहले जब आप मुख्य मंत्री बने तो आपने गेटबंदी की घोषणा की, गेट बंद भी होने लगे सबसे पहले आपने सवा दस बजे से सवा बारह बजे तक गेट बंद रखवाये। फिर उसके बाद सवा दस बजे से सवा ग्यारह बजे तक कर दिया। यह इसलिए किया कि कर्मचारी समय पर कार्यालय आयें। माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि जब कोई कर्मचारी समय से पहले कार्यालय आ जाता था तो वह ऊपर जाकर तमाशा देखता था कि देखो एक अन्दर घुस आया और एक बाहर ही रह गया। गेटबंदी के बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा और विधान परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों पर आपने

अतिक्रमण क्यों किया ? इस गेट बंदी का नतीजा यह भी रहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अपमानित होना पड़ा । यहां तक स्पीकर साहब को भी अपमानित होने से बचाया गया । मुझे भी इस गेटबंदी में अपमानित होना पड़ा । राम सरन जी इसके बारे में जानते ही हैं। गेटबंदी से प्रशासन व सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जब तक कि आपका कोई इकबाल न हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री बने तो उस समय कचहरी के पेशकारों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी । मेरा कहना यह है कि जब तक कि आपका इकबाल नहीं होगा तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा । क्षेत्र का थानेदार यह समझे कि मैं जो गलत काम कर रहा हूं उसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी उसे देख रहे हैं। इसे कहते हैं इकबाल । तब शासन चुस्त होता है। गेट बन्दी से कुछ होने वाला नहीं है। अब आपने एक नया नाटक शुरू कर दिया है । हम बख्शेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं । हर बात पर बख्शेंगे नहीं। हमने इतनों को बरखास्त कर दिया और इतनों को मुअत्तल कर दिया लेकिन आज तक किसी का नाम नहीं और यह भी पता नहीं कि किस आरोप में उन्हें बर्खास्त या मुअत्तल किया गया है? मैं बताना चाहता हूं कि आपके बहुत से अधिकारियों ने आपको खुश करने के लिए आपको गलत रिपोर्ट दी है कि इतने लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है और इतनों को बरखास्त कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम के दर्जनों कर्मचारी अच्छी-अच्छी नौकरियों में त्याग पत्र देकर चले जाते हैं। लेकिन आपके अधिकारियों ने बता दिया कि हमने इतने लोगों को बर्खास्त कर दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो उस समय यह बतायें कि कितने लोगों को उन्होंने बर्खास्त किया है? कितनों को निलम्बित किया है और कितनों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है और उनके नाम क्या हैं तथा उनके पद क्या हैं और किन आरोपों में उन्हें बर्खास्त व निलम्बित किया गया है ? पूरा का पूरा नाटक हो रहा है और प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उनका निलम्बन करेंगे तो सारा विपक्ष आपको सहयोग देगा । लेकिन विधि-सम्मत और कायदे से होना चाहिये । आप कुछ अधिकारियों को ताकत दे रहे हैं। जिनसे आप खुश हैं, उनके अनुसार काम हो रहा है। अगर अक्षम, बेईमान और नकारा अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे तो हम आपको सहयोग देंगे । पिछले वर्ष मैं बोल रहा था, तब मैंने कहा था कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रति वर्ष नहीं आ रही है। 1975 की रिपोर्ट आज तक तो मुझे मिली नहीं, आज अचानक आ गयी हो तो पता नहीं। वर्ष 1975 की लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, 1981 में छपी और 1985 में सदन में प्रस्तुत की गयी । इस प्रकार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 10 साल की रिपोर्ट लम्बित है । लोक सेवा आयोग ने कितनी संस्तुतियां भेजीं,

कितनी नियुक्तियां भेजीं, उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। यहां जो अधिकारी बैठे हैं, उनके मन के खिलाफ नियुक्तियां न हो जायं, इसलिये वे अपने मनपसन्द लोगों की नियुक्तियां कर रहे हैं। आप स्वयं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 323 (2) में यह व्यवस्था है कि–

"राज्य आयोग का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज प्रमुख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इनमें से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर, यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिनमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।"

संविधान के अनुच्छेद 323 (2) का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। लोक सेवा आयोग की उपेक्षा विभागाध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं।

उच्च सदन से सम्बन्धित वर्ष 1985 का नियुक्ति का एक उदाहरण इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत करूंगा। वैसे उच्च सदन के विषय में मैं इस सदन में चर्चा नहीं कर सकता लेकिन चूंकि लोक सेवा आयोग के कार्य-कलापों के विषय में चर्चा चल रही है, इसलिये यह बात कह रहा हूं।

इस सदन के डिप्टी मार्शल का चयन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा, माननीय उच्च सदन के मार्शल के सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात किया, परन्तु एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो माननीय सभापति, विधान परिषद् का काम है, मुख्य मंत्री जी का काम नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह तो मैंने उदाहरण दिया है क्योंकि मैं लोक सेवा आयोग के कृत्य की बात कर रहा हूं। इसलिये मान्यवर, आप देखेंगे यद्यपि मैं मानता हूं कि लोक सेवा आयोग में स्टाफ की कमी है। आप भी यही कहेंगे कि वहां पर स्टाफ की कमी है, तो आप उस कमी को पूरा कीजिये। लोक सेवा आयोग द्वारा जो चयनित व्यक्ति हैं उनको दस-दस साल तक पता नहीं चलता है कि उस पद पर किसकी नियुक्ति हुई और किसकी नहीं हुई।

लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है उसके कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं, वे अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन से वंचित रह जाते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप गम्भीरता से काम लीजिये।

इसी प्रकार से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की बात है कि उसकी त्रिमासिक रिपोर्ट आनी चाहिये लेकिन आज दस

साल से इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। उत्तर प्रदेश का सारा आर्थिक ढांचा चौपट होता चला जा रहा है क्योंकि प्रदेश में जो इस समय 59 मुख्य उद्यम हैं और सहायक कम्पनियों को मिला कर इनकी संख्या 95 है और इनमें लगभग 47 अरब रुपये की पूंजी विनियोजित है लेकिन किसी की भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। सारे अधिकारी इसे छिपा रहे हैं जो कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों में काम कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं यहां सदन में सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलरहा था उस समय जो तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि "भविष्य के लिये हमारा यह प्रयास होगा कि अगले साल जब यह बजट आये सामान्य प्रशासन का उस समय तक जितनी रिपोर्ट कमीशन की इस समय तैयार हैं वे सब छप कर आ जायें। अगर अधूरी भी कार्यवाही है तो जितनी भी रिपोर्टें आयी हैं, हम आदरणीय सदन के सामने सदन की मेज पर रखेंगे। इसी तरह मैंने यह भी आदेश दिये हैं कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की रिपोर्ट जिसकी शिकायत कई माननीय सदस्यों ने की है, भी तैयार होकर सदन के सामने आनी चाहिये। इसमें देर नहीं लगनी चाहिये। यह बात ठीक है, इसको मैं स्वीकार करता हूं।" यह तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी ने आश्वासन दिया था। लेकिन वे चले गये और आज आप गये, आपने उनके आश्वासनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जब आप ही ऐसा करेंगे तो फिर आपके अधिकारी क्या परवाह करेंगे।

मान्यवर, आप देखेंगे कि इस आश्वासन के बाद भी 1976 से लेकर अब तक की लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट तो दूर, केवल 1976 की ही रिपोर्ट नहीं आयी है सदन के पटल पर। यदि यह रिपोर्ट सदन के सामने आ जाय तो भंडाफोड़ हो जायेगा इनके अधिकारियों के काले कारनामों का। वह सब खुल जायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी वह सब आपकी दृष्टि में आ जायेंगे और जैसा कि आप घोषणा करते रहते हैं, आप उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करा दें तो मैं आपको मान जाऊं?

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने 50 लाख रुपये की विलासिता की सामग्री क्रय की इराक से, जिसमें वी0 डी0 ओ0, रंगीन टी0 वी0 सेट, कैमरे आदि अनेक सामान खरीदे गये जो कि सब अधिकारियों ने अपने घरों में रख लिया है। किसी भी सामान का अता-पता नहीं है। यदि इसकी रिपोर्ट आ जाये तो सारा भेद खुल जायेगा? आप कहेंगे कि मेरी जानकारी में यह बातें नहीं हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपकी जानकारी में यह बातें नहीं हैं तो आप इसकी जानकारी करिये और फिर कल जब आप उत्तर देने के लिये खड़े हों तो इसके संबंध में यहां पर बतलाइये। यह 50 लाख का सामान खरीदा गया और उसको अपने घरों में ले गये। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस प्रकार से बड़े-बड़े अधिकारियों के घरों में चला गया और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों की रिपोर्ट आनी चाहिये वह नहीं आ रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपको बता दूं कि मुख्य मंत्री आते और बदल जाते हैं, लेकिन उनके आश्वासनों को शून्य न रखें। लोक सेवा आयोग और सार्वजनिक उद्योग ब्यूरों के बारे में माननीय तिवारी जी ने जो आश्वासन दिया था, उसको आप पूरा करें। जिन अधिकारियों ने आपको धोखे में रखा है, उनके

खिलाफ कार्यवाही करें। क्या इसकी आप घोषणा करेंगे? जब आप घोषणा करेंगे तब मैं मानूंगा कि आप अधिकारियों को बकसना नहीं चाहते हैं।

मान्यवर, मैं पिछले वर्ष काफी बोला था कि आपकी हरिजन, पिछड़े और मुसलमानों के प्रति आपका क्या व्यवहार है। आपकी सरकार की नीति क्या है। लेकिन आज मुझे बोलने के लिये मजबूर किया गया है। 6 मार्च को आपने कहा कि हरिजन अत्याचारों की चर्चा करने की आदत बन गयी है और आज आपने कहा कि उनके आरक्षण को पूरा करने जा रहे हैं और अगर नहीं पूरा करेंगे तो आप बकसेंगे नहीं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हरिजन हैं और मुसलमान हैं, सभी अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। आप देखें कि लोकतंत्र जहां होता है, और तमाम जातियों के लोगों को उसमें बराबर का हिस्सा मिलता है और जब यह सब चीजें होंगी तो आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, नहीं तो कुछ ही लोग उठाते रहेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 54 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और 12 प्रतिशत मुसलमान हैं, यह 88 प्रतिशत हैं, उनके साथ आपका क्या व्यवहार है। आप उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। वह अपने भविष्य के लिये सशंकित हैं। आप बोल रहे थे कि यह कर रहा हूं, वह कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने प्रमाण रखना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग हरिजनों और मुसलमानों के साथ आप क्या-क्या ज्यादतियां कर रहे हैं और आप 88 प्रतिशत लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं तो क्या इस तरह से लोकतंत्र को आप मजबूत कर सकते हैं और इससे क्या खतरनाक नतीजे होंगे। मैं सबसे पहले सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लोगों के प्रति बढ़ती जा रही उपेक्षा पूर्ण नीतियों को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में 54 प्रतिशत जनसंख्या वाले पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर 2 प्रतिशत भी नहीं है। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार कम होता जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जनता पार्टी के शासन में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये 15 प्रतिशत का आरक्षण किया गया था, लेकिन कुछ अधिकारियों की मानसिकता ऐसी है कि वह उसको लागू नहीं कर रहे हैं। लड़का कहता है कि हम सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बैठेंगे, लेकिन उसको उसी 15 प्रतिशत में सम्मिलित कर दिया जाता है। पुलिस सेवाओं में निरीक्षक, उपनिरीक्षक तथा कानिस्टेबिल के पदों पर बड़े पैमाने पर पिछड़ी जातियों के लोग लिये जाते थे और अब 15 प्रतिशत की व्याख्या आपके अधिकारी इस प्रकार से कर रहे हैं कि यदि पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी सामान्य अभ्यर्थियों के रूप में जाना चाहे तो नहीं जा सकता है, उसे 15 प्रतिशत की सीमा में कैद कर दिया गया है और उसका नतीजा यह है कि उनके साथ उपेक्षा हो रही है। हम देखेंगे, हम आकड़े तैयार कर रहे हैं। संख्या घटती चली जा रही है पिछड़े वर्ग के लोगों की उस 15 प्रतिशत में गलत व्याख्या करके। जहां तक हरिजनों का सवाल है मान्यवर, सरकारी नौकरियों में उनकी उपेक्षा जितनी हो सकती है, हो रही है। इनको तो स्थान मिला ही नहीं है उनको तो स्थान मिल गया है तो आप देखेंगे कि जिस धीमी गति से आप लोग कोटा पूरा कर रहे हैं उसे मैं आपके सामने रखना चाहता

हूं। आजादी की प्राप्ति के बाद आज तक उनको 38 सालों में उनका कोटा पूरा नहीं कर पाये और जिस धीमी गति से आप सरकारी सेवा में हरिजनों की भर्ती कर रहे हैं, वह अपर्याप्त है उसके चलते इनका कोटा पूरा नहीं होगा, 1 साल में नहीं 10 साल में नहीं, 100 साल में नहीं होगा। जब तक मान्यवर, कांग्रेस सरकार है तब तक हरिजनों का कोटा पूरा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। उधर के बैठे हुए हरिजन माननीय सदस्यों को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आप जब तक उधर बैठे हुए हैं तब तक यह कोटा पूरा होने का सवाल ही नहीं है। यह हरिजनों को हिस्सा देने की बात है। जुलाई 1985 में, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, खैर आप उधर हैं, आपके सचिव बैठे हैं, पर्चियां आ रही हैं लेकिन फिर भी मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूं जुलाई 1985 में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, विधान भवन, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों की स्थिति को दिखाने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की गयी थी। इस पुस्तिका के आधार पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, जन-जातियों की स्थिति इस प्रकार है, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप देखें। पिछली जनवरी, 1984 को क्या हालत है पदों के वर्गीकरण क्लास वन की, कुल कार्यरत कर्मचारी, अनुसूचित जाति के कर्मचारी और प्रतिशत यह मैं प्रमाण दे रहा हूं क्लास वन में सात हजार चार सौ सड़सठ (7467) कार्यरत कर्मचारी हैं जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं 461 और प्रतिशत है 6.17। आपकी ही पुस्तिका का मैं जिक्र कर रहा हूं। और आपने बड़े साहस के साथ क्या कहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, दो मिनट चाहूंगा एक टेलीफोन आ गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

ठीक है आप जाइये। टेलीफोन आ गया है वह पी0 एम0 हाउस से आ गया होगा वरना जाते नहीं, आज सामान्य प्रशासन का बजट चल रहा है। उसके बाद भी आपको पता नहीं कहां से टेलीफोन आ गया? नोट कीजिए। कौन नोट करेगा? अच्छा, प्रमोद कुमार नोट करेंगे।

"दूसरा है क्लास टू, इसमें कुल कार्यरत कर्मचारी हैं तेइस हजार तीन सौ पंचानबे (23395) और अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं 1836 तथा प्रतिशत है 7.84 . . .

(श्री गौरी शंकर के हंसने पर)

यह 18 प्रतिशत होना चाहिए था। आप हंस रहे हैं. . . . (व्यवधान)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मैंने ढाई वर्षों की बात कही थी. .

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

श्री मुलायम सिंह यादव—

क्लास-थ्री में कुल कर्मचारी हैं 4,50,097 जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं 58,617। इनका प्रतिशत हुआ 13.02। यह हालत हो रही है। इस प्रकार श्रेणी तीन के अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का औसत हुआ 6.36 प्रतिशत। यानी एक प्रतिशत भी नहीं है। आप 5 प्रतिशत का दावा करते हैं। एक प्रतिशत भी आजादी के 38 सालों में नहीं कर पायें हैं।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बारे में कहना चाहता हूं । पहले तो हरिजन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं भेजा जाता है और अगर कहीं कोई हरिजन अधिकारी महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया तो उसके लिये यह कोशिश की जाती है, यह कहा जाता है कि वह अक्षम है, नाकाबिल है, काम नहीं करता है, यह आरक्षण के बल पर आये हैं अपनी काबलियत के बल पर नहीं आये हैं . मान्यवर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में हरिजनों की क्या स्थिति है । क्लास-वन में अधिकारियों की कुल संख्या है 2695 । इसमें अनुसूचित जाति के हैं कुल 72 जिनका प्रतिशत हुआ 2.67 । इसी तरह से क्लास-टू में कुल संख्या है 5879, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है कुल-161, इनका प्रतिशत हुआ 2.73 । इसी तरह से क्लास-थ्री में कुल पदों की संख्या है 1,07, 804, जिसमें हरिजनों की संख्या है-9056 जिसका प्रतिशत हुआ 8.40 । इसी प्रकार श्रेणी-चार में कुल संख्या है-85925, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है-13974 जिसका प्रतिशत हुआ 16.26 । मुझे यहां पर एक बात कहनी है । आप कहेंगे कि हमें लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको दून के पढ़े हुये चाहिए । वहां के पढ़े हुए तो हरिजन नहीं मिलेंगे । क्लास-वन में, आई0ए0एस0में और आई0 पी0एस0 में अनुसूचित जाति के लोग नहीं मिलते हैं तो क्लास-थ्री और क्लास-फोर के लिये भी यह कहना कि वे उपलब्ध नहीं होते, इससे ज्यादा असत्य और झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली और कोई सरकार नहीं हो सकती । इसलिये मैंने श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार को जानबूझकर आपके सामने रखा है । इस तरह से किसी भी रूप में हरिजन अधिकारियों क और कर्मचारियों को नौकरी न देने के लिये यह सरकार कटिबद्ध है । बहुत से अधिकारी आपके जो हैं वे इस मानसिकता के बैठे हुये हैं । सरकार की मानसिकता के लिये, मैं क्या कहूं ?

पदोन्नति द्वारा दी गई नियुक्तियों के बारे में करना चाहता हूं जिस गति से ये नियुक्तियां कर रहे हैं । 100 साल तक तो यह सरकार हरिजनों का कोटा पूरा कर नहीं सकती है । इसे आप नोट कर लीजिये, । 100 साल तक हरिजनों का कोटा पूरा होने वाला नहीं है और कांग्रेस सरकार के रहते, अगर प्रदेश की जनता और इधर-उधर के लोग जो बैठे हैं, वे पूरा कोटा लेना चाहते हैं तो इस कांग्रेस की सरकार को समाप्त करो, इसको उखाड़कर फेंक दो । . . . . (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर–

यह अनुमानित है . . . . (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे बैठ नहीं रहे हैं । इसलिये आप बैठ जांय ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रमोद तिवारी होते तो मैं बैठ जाता। आप क्या सफाई देंगे ?

आपको शर्म आनी चाहिए ।

आप क्या सफाई देंगे ? आपको मुश्किल हो जायेगी केबिनेट में आने में ।

श्री गौरी शंकर–

स्पेशल रीक्रूटमेंट की बात मैं कर रहा हूं । कैरी फारवर्ड की योजना की बात कर रहा हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभी भी भर्ती में गंभीर उपेक्षा की जा रही है। वर्ष 1983 में राज्याधीन सेवाओं में कितनी रिक्तियां थी कितनी भरी गयी है और कितनी खाली पड़ी रही ?

क्लास वन में कुल भरी गयी रिक्तियां सीधी भर्ती से 365, अनुसूचित जाति, जनजातियों की आरक्षित रिक्तियां 100 उसमें से भरी गयी 56, इसमें प्रोन्नति द्वारा भरी गयी रिक्तियां जो हैं उनकी कुल संख्या 587 अनुसूचित जाति, जनजातियों की आरक्षित रिक्तियां 108 भरी गयी रिक्तियां 50, क्लास टू में सीधी भर्ती द्वारा भरी गयी कुल संख्या 1849, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या 496 जिसमें से भरी गयी रिक्तियां 233, इसमें प्रोन्नति द्वारा भरी गयी संख्या 606, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिये आरक्षित 93 भरी गयी संख्या 84। क्लास थ्री में सीधी भर्ती द्वार पदों की संख्या 7651, आरक्षित पदों की संख्या 2441 और भरी गयी रिक्तियां 1498 इसमें प्रोन्नति द्वारा भरी गयी रिक्तियों की संख्या 5653, आरक्षित पदों की संख्या 1313 भरी गयी रिक्तियां 599।

क्लास फोर्थ में सीधी भर्ती द्वारा भरी गयी पदों की संख्या 3,386, आरक्षित पदों की संख्या 1,237 भरी गयी रिक्तियों की संख्या 731, प्रोन्नति द्वारा भरी गयी पदों की संख्या 88 जिसमें आरक्षित होना चाहिये 27 भरी गयी रिक्तियां 25 हैं।

तो मैं कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि 1983 में राज्याधीन सेवाओं में यह स्थिति रही इसमें 2539 हरिजनों को नहीं भर्ती किया गया। इसी प्रकार कोई कानून और कायदा निगमों में नहीं है। जो संविधान के तहत आरक्षण दिया गया है उसकी भी यह पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो जब सरकारी नौकरियों में यह हाल है तो आम जनता हरिजनों के साथ क्या व्यवहार करेगी ?

मान्यवर, आप देखेंगे निगमों में क्या स्थिति है, उनमें किस तरह से मनमानी की जा रही है ? उसका उदाहरण दे रहा हूं। क्लास वन में कुल भरे गये पद 126 अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित 27 पद नियुक्त किये गये केवल 3, प्रोनति द्वारा भर्ती किये गये कुल पद 170 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 8 और अनुसूचित जाति के लोग जो लिये गये उनकी संख्या 6 है। इसी तरह से क्लास टू में सीधी भर्ती द्वारा जो पद भरे गये उनकी कुल संख्या 596 अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या 97 उसमें भरे गये केवल 44, इसी में प्रोन्नति द्वारा भरे गये कुल पद 262 अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 5 पद इनके भरे गये पद 4 तो सीधी भर्ती तो दूर रही प्रोन्नति में भी कोई इंसाफ नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की कभी भी मंशा नहीं रही है कि हरिजनों को जो कोटा संविधान द्वारा दिया गया है वह भी उनको नहीं दिया जा रहा है। 1984 की संख्या 1983 से भी कम है। कल ही जो बजट साहित्य मुझे मिला उसके तहत मैं बताना चाहता हूं निगमों में जो हरिजनों का प्रतिनिधित्व है जानबूझ कर इसलिए कह रहा हूं कि 1984 की संख्या की तुलना में 1985 में भी कोई प्रमुख अंतर नहीं आया है। मान्यवर, निगमों में इस प्रकार क्लास-1 में अनु-

सूचित जाति की संख्या जो वर्ष 1983 में थी 461 वह घटकर 1984 में 443 रह गयी थी ।

निगमों में श्रेणी-दो में यह संख्या 1836 से घटकर 1606 रह गयी है जो कि बढ़ना चाहिए था ।

इस प्रकार निगमों में 1-1-84 को क्लास-1 में अनुसूचित जाति के अधिकारियों का प्रतिशत 2.7 था जो 1-1-85 को घटकर 2.48 रह गया है । इस तरह से हर प्रकार से प्रतिशत हरिजनों का घट रहा है । इसलिये मान्यवर, इस कांग्रेस सरकार के रहते हरिजनों का कल्याण नहीं होने वाला है ।

अधिकारियों की बात छोड़ें, इस मंत्रि परिषद् की आप मानसिकता को देखें कि यहीं सचिवालय में निजी सचिव एवं वैयक्तिक सहायक संवर्ग में भी अनुसूचित जातियों की संख्या अत्यन्त कम है, और संसदीय कार्य मंत्री ने सीना और छाती ठोकी कि मेरे पास है, तो वह चौधरी चरण सिंह के प्रभाव में रह चुके हैं, इसलिये थोड़ा बहुत प्रभाव उन पर है लेकिन और कोई मंत्री हरिजन निजी सचिव अपने पास नहीं रखना चाहते हैं । मान्यवर, मैं आंकड़े देना चाहता हूं जिससे इस सरकार की नीयत का पता चलता है कि अनुसूचित जातियों की यह कितनी हमदर्द सरकार है ।

निजी सचिव (विशेष श्रेणी)-कुल पद 3, जिसमें हरिजन शून्य, प्रतिशत शून्य, निजी सचिव (ग्रेड-1)-कुल पद 20, हरिजन शून्य, प्रतिशत शून्य, निजी सचिव (ग्रेड-2)-कुल पद 105, हरिजन 4, प्रतिशत 3.5 और वैयक्तिक सहायक के कुल पद 436 जिसमें हरिजन 11, प्रतिशत हुआ 2.4 इस तरह ये मंत्री लोग भी हरिजनों को रखने के लिये तैयार नहीं हैं और न नियुक्तियां करने के लिये तैयार हैं । तो इससे ज्यादा प्रजातंत्र का क्या मखौल हो सकता है।

मान्यवर, 6 मार्च को जब कहा कि हरिजनों के साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि नेता विरोधी दल जानबूझकर हरिजनों के सवालों को इस सदन में जनता को गुमराह करने के लिए बार-बार उठाते हैं । इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हरिजन अधिकारियों की तैनाती न तो किन्हीं महत्वपूर्ण पदों पर है और न महत्वपूर्ण विभागों में ही उनकी तैनाती है और न आप ही रखना चाहते हैं । आप देखें किसी प्रकार से यदि प्रशासन में हरिजन अधिकारियों को कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाता है तो उसको अक्षम, नाकाबिल, नकारा साबित करने की सुनियोजित ढंग से योजना चलाई जाती है । आप देखें मुख्य मंत्री जी और मुख्य सचिव द्वारा या तो इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, और इस योजना में उनकी साजिश है, यह मेरा खुला आरोप है, इसलिए इसको वह गम्भीरता से लें । 59 सार्वजनिक निगमों में केवल 3 निगमों में तीन हरिजन अधिकारी हैं और एक पिछड़ी जाति का है । कुल निगम 97-98 हैं और प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जाति के 3 और पिछड़ी जाति का एक है । इन वर्गों के प्रदेश में आई0 ए0 एस0 तथा आई0 पी0 एस0 श्रेणी के क्रमशः 85 तथा 60 वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनमें से मात्र एक दर्जन अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, शेष सभी महत्वहीन पदों पर बनाए रखे गए हैं । श्रीमन्

आप देखें कि यह महत्वपूर्ण पदों पर हरिजन जाति के अधिकारियों को तो नियुक्त करेंगे ही नहीं साथ ही महत्वपूर्ण विभागों में भी अनुसूचित जाति के अधिकारियों को नहीं रखेंगे । उन्हें बिलकुल गैर महत्व के विभागों में ही डाल दिया जाता है । उदाहरण के लिए लोक सेवा आयोग में आप देखें, वहां क्लास–1 के 5 पद हैं, जिसमें हरिजन अधिकारी शून्य हैं, प्रतिशत शून्य । क्लास–2 में 28 में से केवल 2 हरिजन अधिकारी हैं यानी केवल 7.1 प्रतिशत । फिर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग है, उसमें क्लास–1 के 34 पदों में से केवल 1 पद पर हरिजन अधिकारी है, 2.9 प्रतिशत । क्लास–2 में कुल 153 अधिकारियों में से हरिजन जाति के 3 हैं यानी प्रतिशत हुआ 1.92 । अब जरा पशुधन विभाग में आप देखें, संसदीय कार्यमंत्री इसे ठीक से देख लें, क्योंकि यह विभाग उन्हीं के पास है । आप देख लें कि आप हरिजनों के 62 अधिकारियों में से हरिजन जाति का कितना हित कर रहे हैं । क्लास–1 का केवल मात्र 1 अधिकारी है, 1.5 प्रतिशत । क्लास–2 में 1968 में से केवल 21 हैं यानी 1.05 प्रतिशत । लघु सिंचाई विभाग में क्लास–1 में 25 में शून्य, शून्य प्रतिशत, क्लास–2 में 83 में 4 हरिजन हैं, यानी 4.8 प्रतिशत हैं । भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में क्लास–1 में 15 में से और क्लास–2 में 55 में से कोई भी एक व्यक्ति हरिजन जाति का नहीं है । इस प्रकार दोनों में शून्य प्रतिशत है । बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में आप देख लें क्लास–1 में 1156 में से 53 हरिजन अधिकारी हैं, प्रतिशत हुआ 4.5 । फिर क्लास–2 में 480 में से 31 अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं जिनका प्रतिशत 6.4 हुआ । उच्च न्यायालय में एक जनवरी, 85 तक क्लास–1 में 26 अधिकारी थे और उनमें हरिजन जाति का केवल 1 था, प्रतिशत हुआ 3.9 और क्लास–2 में 165 में से एक भी अधिकारी हरिजन जाति का नहीं था यानी शून्य प्रतिशत उसमें था। आप बड़ी छाती ठोंक रहे थे हरिजनों के लिए, तो अब आप बताइए कि इसे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं उनका कोटा पूरा कर रहे हैं । अब चिकित्सा विभाग में देख लीजिए, उसमें भी वैसी ही स्थिति है । स्वास्थ्य मंत्री जी के विभाग में क्लास–1 में 1826 पद थे, जिसमें से हरिजन अधिकारी 27 थे यानी 1.4 प्रतिशत ।

श्री विजय सिंह राणा–

पंडित बता दीजिए, कितने हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह तो बेशुमार हैं, यदुनाथ सिंह अभी भागकर इसीलिए बीच में आए थे । तो चिकित्सा विभाग में क्लास–2 में 6195 में से 250 हरिजन जाति के हैं यानी 4.1 प्रतिशत । सार्वजनिक निर्माण विभाग में क्लास–1 के 429 पद हैं, जिसमें से 18 यानी 4 प्रतिशत हरिजन अधिकारी हैं और क्लास–2 में 1424 अधिकारियों में से 129 हरिजन जाति के हैं यानी 9 प्रतिशत हैं । अब जरा सिंचाई विभाग में देखिए, इसमें क्लास–1 में 820 पद हैं, जिसमें से 26 यानी करीब 3 प्रतिशत हरिजन अधिकारी हैं ।

एक सदस्य–

सिंचाई विभाग में मंत्री हरिजन हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उनकी बेशर्मी को मैं क्या कहूं । उनकी बेहयायी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । मान्यवर, क्लास–2 में 2401 अधिकारी हैं इनमें से केवल 96 हरिजन

हैं जो लगभग 4 प्रतिशत हैं । इन समस्त आंकड़ों से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सत्ता के गलियारे में कुछ ऐसे निहित स्वार्थी तत्व स्थायी रूप से प्रभाव जमाकर बैठ गए हैं और हरिजनों के साथ जितना अत्याचार और उनकी जितनी उपेक्षा कर सकते हैं कर रहे हैं। यह मेरा सरकार पर आरोप है । कोई भी विभाग ले लीजिए, चाहे पी0 डब्लू0 डी0 हो, आर0 ई0 एस0 हो, सिंचाई विभाग हो, उच्च न्यायालय हो, पशु-पालन विभाग हो इनका कोटा पूरा नहीं है । विद्युत मंत्री जी आप भी सुन लीजिए। आपके विभाग में अभी 130 अवर अभि-यन्ताओं के प्रमोशन सहायक अभियन्ता पद पर किए गए हैं तो उसमें एक भी हरिजन नहीं है । तारीख इसकी मुझे याद नहीं है । आपके अधिकारी तारीख देते भी नहीं हैं । तो एक भी अधिकारी अनुसूचित जाति का नहीं है । जब सहा-यक अभियन्ता पद के प्रमोशन में यह हाल है तो अधिशासी अभियन्ता और अधी-क्षण अभियन्ताओं का सवाल कहां उठता है । जब प्रमोशन में यह हालत है तो नियुक्तियों की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसको देखें और इस साजिश में सम्मिलित लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ।

अब मैं मत्स्य विभाग के बारे में बताना चाहूंगा । मच्छली विभाग जो है उसमें देखें कि जो उसके विशेष सचिव श्री सिद्धार्थ बेहुरा हैं उन्होंने 18 सहायक मत्स्य निदेशकों की सूची प्रकाशित की उसमें एक भी हरिजन नहीं है । यह सिद्धार्थ बेहुरा साहब कौन हैं, यह मुख्य सचिव के सबसे प्रिय सलाहकार हैं । जब ऐसी मानसिकता के अधिकारी मुख्य सचिव के मुख्य सलाहकार होंगे, मुख्य मंत्री के होंगे तो क्या हालत होगी यह आप सोचें । इसी तरह से उप निदेशकों के 5 पद रिक्त थे हरिजन अधिकारियों के लिए लेकिन ज्येष्ठता होने के बाद भी हरिजन अधिकारियों को कनिष्ठ क्रम में डालकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । मैंने अधिकारी का जानबूझकर नाम लिया। अब ऐसे लोग मुख्य सचिव के प्रमुख सलाह-कार होंगे तो सरकार का हरिजनों के प्रति रवैया क्या होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं । आज हरिजनों की उपेक्षा हर तरह से हो रही है । पिछड़े वर्गों के बारे में मैं नहीं बोलूंगा वह तो आपकी सरकार की दृष्टि में द्वितीय श्रेणी के नाग-रिक बहुत दिनों तक चुप नहीं बैठने वाले हैं । इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। मान्यवर, 1985 में हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा । मैं पिछले साल की बातों को दोहराना नहीं चाहता । आपने 6 मार्च को कहा था कि माननीय नेता विरोधी दल जानबूझकर—योजनाबद्ध तरीके से हरिजनों के ऊपर अत्याचार के बारे में कहते हैं । आप मुख्य मंत्री होकर इस तरह की हल्की बात कहेंगे । यह शर्म की बात है । इस शासन में हरिजन की जान की कीमत बांस की पत्ती से कम है । बांस की पत्ती से ज्यादा महत्व हरिजन की जान का आपकी सरकार में नहीं है और आप कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। 1985 में हरिजनों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं उतने सन् 1952 से लेकर आज तक नहीं हुए हैं । 1985 में हरिजनों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं । अपराध सुन लीजिए 1981 में जो हत्याएं हुईं हरिजनों की वह थी 214, 1982 में 208, 1983 में 202, 1984 में 213 तथा वर्ष 1985 में 223। इसका क्या जवाब है, आपके पास ? हम जानते हैं कि आपके पास

क्या जवाब है और अगर आप वह जवाब देंगे तो जनता भी सुनेगी यही आप कहेंगे कि क्या करें और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो उसी हिसाब से हत्यायें बढ़ती भी जा रही हैं (हंसी) लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी हरिजन की मौत का होना आपकी सरकार में, तो इस सरकार को एक मिनट भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। गम्भीर चोटों जो आयीं हरिजनों का वह वर्ष 1981 में 490 आयीं हैं, 1982 में 457, 1983 में 507, 1984 में 580 तथा वर्ष 1985 में 582 चोटें आयीं हैं। हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के गम्भीर मामले वर्ष 1981 में 169, 1982 में 152, 1983 में 148, 1984 में 176 तथा वर्ष 1985 में जो सबसे ज्यादा हुआ है, वह है 180 घटनाएं। इसी प्रकार से आगजनी के मामले हैं जो हरिजनों के घर जलाये गये हैं, वह वर्ष 1981 में 303, 1982 में 327, 1983 में 344, 1984 में 377 और वर्ष 1985 में जो सबसे अधिक है 409। अब आप ही बताइये कि कौन से आंकड़े सही हैं? सरकारी आंकड़े जो मैं दे रहा हूं या मा0 मुख्य मंत्री जी के आंकड़े हैं और दूसरी बात जब मा0 मुख्य मंत्री जी अपना भाषण दें, तो इसकी जरा परिभाषा भी हम लोगों को सिखा दें क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है कि इसकी क्या परिभाषा है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो यही कहते हैं कि हरिजन भाइयों पर अब कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, केवल इतनी आगजनी की घटनाएं हुयी हैं, और इतने बलात्कार के मामले प्रकाश में आए हैं केवल इतनी-इतनी चोटें आयीं हैं। तो क्या यह सब मिलाकर हत्याएं, गम्भीर चोटें, आगजनी और बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं इनके साथ अत्याचार नहीं हैं, जब आप अपना भाषण दें तो इसकी परिभाषा जरूर बता देना। मान्यवर, सरकारी हो रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1985 में हरिजनों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं और मैं तो कहता हूं कि इन अत्याचारों के बढ़ने के आखिर कारण क्या हैं, इनमें मुख्य जो हैं वह यह कि गुण्डों को, अपराधियों को कुछ लोगों द्वारा संरक्षण का दिया जाना और इन अपराधियों को शीघ्र दण्ड सुनिश्चित कराने में लापरवाही बरतना भी है। भारत सरकार के गृह-मंत्री माननीय शंकर राव चव्हाण ने 15 अप्रैल, 1985 को अपने पत्र संख्या-111-11011/4/85 सी0 सी0 आर0 (डेस्क) के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की सूची भेजी थी, जिसमें से मैं यहां केवल छठवें सिद्धान्त का ही उल्लेख कर रहा हूं :—

"सजा की प्रभावशीलता न सिर्फ सजा की मात्रा पर बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि सजा किस गति से दिलायी गयी। इसलिये पुलिस के लिये जल्दी से जांच कर लेना और यथा सम्भव कम से कम समय में जो 30 दिन से अधिक न हो, मामलों में आरोप-पत्र दायर कर लेना सम्भव होना चाहिए।"

तो मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार का होना केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री ने तो स्वीकार कर लिया और उसकी सूची भी निदान हेतु आपके मुख्य सचिव को भेजी, लेकिन आपकी सरकार न मालूम क्यों नहीं इनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को स्वीकार करती है और

न जाने आप क्यों नहीं इसको महसूस करते, इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस के कितने ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य-निष्ठा के साथ 30 दिन के अन्दर आरोप-पत्र लगा दिये ? 'रास्ता रोको'' आन्दोलन में चौधरी शंकर सिंह पर और लोक दल के नेताओं पर तीन दिन के अन्दर चार्ज शीट लग गयी । जो आपके केन्द्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक किन-किन पुलिस अधिकारियों ने चार्जशीट भेजी? आप कल अपने जबाब में बता दीजिएगा कि आपने कितने पुलिस अधिकारियों को, केन्द्रीय गृह मंत्री की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट न लगाने में सजा दी है ? अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आप कल इसका उत्तर नहीं देंगे, तो 6 मार्च को जो आपने उत्तर दिया है, आप उसको वापस ले लीजिए। मान्यवर, मुकदमें वर्षों पड़े रहते हैं, उन्हें गवाह-सबूत नहीं मिलता है, उसका नतीजा यह होता है कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ता चला जाता है । मान्यवर, मुकदमों में जो ढील हो रही है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। न्याय में विलम्ब, न्याय के साथ धोखाधड़ी के समान है। उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में मुकदमों की पैरवी सही ढंग से न होने के कारण विचाराधीन मुकदमों की संख्या अत्यधिक है और उत्तर प्रदेश में छूटने वाले केस भी अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक हैं । मुकदमों की प्रगति वर्ष 1982 से 1984 तक उत्तर प्रदेश में जो है, वह मैं रखना चाहता हूं। वर्ष 1982 में दोष सिद्ध 350, बरी किये गये 401, विचाराधीन 13692 । वर्ष 1983 में दोष सिद्ध 606, बरी किये गये 891, विचाराधीन 14754। वर्ष 1984 में दोष सिद्ध 603, बरी किये गये 605, विचाराधीन हैं 12063 ।

उत्तर प्रदेश में हरिजनों के प्रति किये गये अपराधों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या सम्पूर्ण भारत के ऐसे मामलों का 50 प्रतिशत है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहे हैं। मैं यहां 1982 से 1984 तक भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में हरिजनों की हत्याओं के सम्बन्ध में उनकी संख्या का उल्लेख करूंगा। यह आंकड़े भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट से लिये गये हैं, जिन पर सन्देह की कोई गुन्जाइश नहीं है।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं हरिजनों की हत्याओं के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में वर्ष 1982 में 16, 1983 में 11, 1984 में 17। बिहार में वर्ष 1982 में 72, 1983 में 71, 1984 में 95। गुजरात में वर्ष 1982 में 13, 1983 में 20 1984 में 13। हरियाणा में वर्ष 1982 में 01, 1983 में 01 1984 में 03। हिमांचल प्रदेश में वर्ष 1982 में 01, 1983 में 02 1984 में शून्य । जम्मू कश्मीर में वर्ष 1982 में 02, 1983 में 01. 1984 में शून्य । कर्नाटक में वर्ष 1982 में 19, 1983 में 15, 1984 में 16। केरल में 1982 में 04, 1983 में 07, 1984 में 08। मध्य प्रदेश में वर्ष 1982 में 88, 1983 में 108, 1984 में 122 ।

महाराष्ट्र में वर्ष 1982 में 19, 1983 में 17, 1984 में 10। उड़ीसा में वर्ष 1982 में 10, 1983 में 09, 1984 में 06। राजस्थान में वर्ष 1982 में 37, 1983 में 35, 1984 में 24। तमिलनाडु में वर्ष 1982 में 05, 1983 में 14 1984 में 06। पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1982 में 06, 1983 में 04, 1984 में शून्य। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982 में 208, 1983 में 202 और 1984 में 213।

इन आंकड़ों से मान्यवर, निर्विवाद रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर सर्वाधिक अत्याचार वर्ष 1985 में हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हरिजनों की सुरक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है और इसीलिए सम्पूर्ण भारत में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का लगभग 40 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप देखेंगे कि जितने पूरे अत्याचार हुए हैं उनमें से आधे उत्तर प्रदेश में हैं। अब मान्यवर, देखें कि आपके कफल्टा काण्ड जैसे केस के 33 मुलजिम थे, सब मुलजिम छूट गये। मुकदमें की ठीक से पैरवी नहीं की गयी। सरकार अधिकारियों ने, सरकारी वकीलों ने पैरवी नहीं की, पुलिस ने पैरवी नहीं की। **यह 33 मुलजिम हैं** और एक को भी सजा नहीं दी जा सकी। इससे ज्यादा और निकम्मापन सरकार का क्या हो सकता है। इससे ज्यादा हरिजनों के साथ और अत्याचार क्या हो सकता है। विगत 6 मार्च को आपने अपने बयान में कहा था कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा, अमनचैन है। आपके बयान का कोई मतलब नहीं है। आपके बयान में अन्तर है, सरकार के बयान में अन्तर है, मंत्रियों के बयान में अन्तर है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर जिम्मेदारी का बयान आपने 6 मार्च को दिया है उसे वापस ले लें, तब मैं जानूंगा कि आप हरिजनों के शुभचिन्तक हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि हत्या, बलात्कार, गम्भीर रूप से घायल करना तथा आगजनी यदि हरिजनों पर अत्याचार नहीं है तो फिर अत्याचार की क्या परिभाषा है? यह आप अपने गृह सचिव से पूछ लेना कि हरिजन अत्याचार की परिभाषा जो मुलायम सिंह ने बतायी थी, वही है या दूसरी है। अपने डी0 जी0 से लिखवा लेना। आपने शान्ति व्यवस्था से अपना भाषण शुरू किया और आपने कहा **कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना किसी भी सरकार का सर्वोपरि दायित्व** है। आपने स्वीकार किया कि शान्ति और व्यवस्था सबसे प्रमुख चीज है, **इसके लिये मैं आपको धन्यवाद** देना चाहता हूं लेकिन आप देखें कि आज शान्ति और व्यवस्था की स्थिति क्या है। आज लूट, डकैती, कतल, रोड होल्ड की कोई तुलना ही नहीं है। इस वर्ष पिछले वर्ष से करीब 20 करोड़ रु0 ज्यादा दिया गया है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है लेकिन आपका बजट बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है और उसी रफ्तार से हत्याएं, डकैती और रोड होल्ड की तमाम घटनायें बढ़ती जा रही हैं। आज रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। आप देखेंगे कि एटा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, बुलन्दशहर, इलाहाबाद, फतेहपुर जैसे जिले अराजकता के लिए विख्यात हो गये हैं। आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ मण्डल में क्राइम नाम की चीज नहीं थी। भूतपूर्व प्रधान मंत्री

चौधरी चरण सिंह जी जब उ0 प्र0 के गृह मंत्री थे तो उस समय मेरठ से जिला प्रशासन से लिखकर आया था कि यहां पर कोई क्राइम नहीं है। आप यहां पर एक-दो थाने कम कर दीजिये। यह थी वहां के एस0 पी0 की रिपोर्ट। आज रोड होल्ड के लिए बुलन्दशहर जैसे इलाके और मैनपुरी अराजकता के लिए विख्यात हैं। गोरखपुर और इटावा मैंने छोड़ दिया। यह आपका भी जिला है, मेरा भी जिला है इसलिये मैंने यह दोनों छोड़ दिये और मैंने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी की बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि इटावा के बारे में न कहा करें। मैंने इटावा और गोरखपुर छोड़ दिया। इस प्रकार आप देखें कोई कानून का राज नहीं है बल्कि इन जिलों में जंगल राज है। शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है यह मेरा आरोप है। मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि शान्ति व्यवस्था ठीक है।

अब तो आपने एक गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी, क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ला दिया है, आप बेफिक्र हो जाइए, डी0 जी0 को हटा दीजिए, अब तो थानेदार शान्ति व्यवस्था का काम करेंगे। अब डी0 जी0 और गृह सचिव की आवश्यकता नहीं है। थानेदार शान्ति व्यवस्था कायम कर देंगे। गिरोहबन्द अधिनियम आया, हमारे सारे विरोध के नेताओं ने माननीय सर्वश्री कौशिक रमाशंकर ने, राम सरन दास ने, रेवती रमण सिंह ने, गुप्ता जी कल्याण सिंह ने सबने अनुरोध किया, हम लोगों ने सदन को पौने तीन घंटे तक चलने नहीं दिया, हम लोगों ने प्रार्थना की, धमकी नहीं दिया, संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने उस दिन कुछ रोल अदा किया था। इन्होंने कहा कि हम राजनीति शब्द को हटा देंगे तथा और संशोधन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने हम लोगों की बात नहीं मानी और आपने बहुमत के बल पर उस काले विधेयक को पास कराया। शान्ति व्यवस्था का आपका ही ठेका है, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे सारे विरोधी नेताओं के अनुरोध के बाद, सारे पत्रकारों के अनुरोध के बाद, सारे बुद्धिजीवियों के अनुरोध के बाद आपने यह काला कानून रखा और किसी को बख्शा नहीं। मेरा आरोप है या तो मुख्य मंत्री जानबूझकर वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और माननीय सदन तथा प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं या फिर उनके अधिकारी, खासतौर से पुलिस महानिदेशक उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह महानिदेशक, मैं वह शब्द नहीं कहना चाहता हूं, बाद में बताऊंगा कि इस महानिदेशक के रहते उत्तर प्रदेश की हालत कैसे बिगड़ी है, मैं प्रमाण देकर स्पष्ट करूंगा। आपने ऐसे महानिदेशक को रखा है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को भंग कर दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगा रखी है। इस महानिदेशक की योग्यता पर, इसकी क्षमता पर हम लोगों को और प्रदेश की जनता को कोई विश्वास नहीं है। इतने महत्वपूर्ण पद का अधिकारी गलत सूचना देकर आपसे गलत बयानी करा रहा है। मैं जानता हूं कि आपको फुरसत नहीं है, राम सरन जी वहां पहुंच जायं तो इनको भी फुरसत नहीं मिलेगी। लेकिन आपका अधिकारी आपको गुमराह करके, झूठे आंकड़े देकर, आपसे गलत बयानी कराए, तो ऐसे आदमी को सबसे पहले सजा देनी चाहिए।

मैं माननीय सदन के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आंकड़े

को प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध कर रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हत्यायें, महिलाओं के साथ अत्याचार और दहेज के कारण हत्याओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 में हत्या 5368, बलात्कार 948, दहेज के कारण हत्यायें 30, वर्ष 1982 में हत्या 5749, बलात्कार 776, दहेज के कारण हत्यायें 151, वर्ष 1983 में हत्या 5503, बलात्कार 797, दहेज के कारण हत्यायें 160, वर्ष 1984 में हत्या 6218, बलात्कार 985, दहेज के कारण हत्यायें 232, वर्ष 1985 में हत्या 6275, बलात्कार 489, दहेज के कारण हत्यायें 135, (15 जून तक की सूचना है।) यानी पूरे वर्ष में इसका दूना हो जायगा, बलात्कार 489 का एक हजार, दहेज के कारण हत्यायें 135 हैं, इसका दूना 270 होगा। यह हालत है और हत्याओं की तादाद दिसम्बर, 1985 तक किसी भी वर्ष में हुई हत्याओं से अधिक है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल आप कहेंगे कि मैं जबसे मुख्य मंत्री बना हूं, तबसे अमन-चैन है। यह मैं आपके सामने रखता हूं। बलात्कार और दहेज के कारण हत्याओं की 15 जून तक की जो मैंने संख्या बताई उससे स्पष्ट है कि ये अपराध भी गत वर्षों की तुलना में ज्यादा हुए हैं। इसके अलावा भारतीय दण्ड विधान के कुल हस्तक्षेपीय अपराधों की संख्या भी पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वर्ष 1984 में यह संख्या 1,72,157 थी, जबकि 1985 में 1,73,492 हो गई। वर्ष 1985 में रेलों में हत्याएं प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई। ट्रान्सफार्मर चोरी की 1013 घटनाएं हुईं जो एक रिकार्ड है। रोड होल्ड अप की संख्या 1984 में 169 थी जो पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा है। मा0 मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरे जमाने में कमी आई है। तो मैं मा0 सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि गृह पुलिस-3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1 अक्टूबर, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक उत्तर प्रदेश में लूट की कुल 1482 घटनाएं हुईं। जबकि इसी अवधि में एक अक्टूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक 1387 हुई थीं। कहिए आप, यह आपका विभाग है। कुल हस्तक्षेपीय अपराध मा0 मुख्य मंत्री जी के दो माह के कार्यकाल में अर्थात 1 अक्टूबर, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक 44467 हुए जबकि इसी अवधि में 1984 में कुल 34917 हुए। फिर भी आपका कहना है कि इतना अमन-चैन कभी नहीं रहा जितना कि आपके कार्यकाल में है। ये आंकड़े आपके कार्यकाल के हैं। आप बताएं कि आपकी बात सही है या आपके गृह विभाग की बात सही है।

मान्यवर, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं लखनऊ में आपकी नाक के नीचे, जहां मुख्य मंत्री हैं, गृह सचिव हैं और डी0 जी0 बैठते हैं, वहां की बात बताता हूं। लखनऊ में दिन दहाड़े नादान महल रोड पर दो मुसलमान भाइयों की हत्या हुई। निशातगंज पुलिस चौकी के सामने से आभूषणों की दुकानों से लाखों की चोरी तथा विश्वविद्यालय में छात्रों की हत्याओं तथा आए दिन लूट की घटनाओं से जन जीवन पूरी तरह से आज लखनऊ में असुरक्षित है। मान्यवर, आप देखेंगे हमारी पार्टी के नेता स्टेट कमेटी के मेम्बर श्री हीरा लाल यादव के दोनों लड़कों पर प्राणघातक हमला किया गया। एक लड़का अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। एक रायफल भी उनकी छीन ली गयी है अभी तक किसी के

खिलाफ कार्यवाही नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं । यहां पर डी0जी0 बैठे हैं, गृहसचिव बैठे हैं, मंत्री हैं, आप हैं, पूरी सरकार है, मैंने आपसे तीन बार कहा लेकिन अभी तक एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ । आप कहते हैं कि यहां अमन चैन है । यह सब क्या है । यह मैंने आपके सामने लखनऊ का उदाहरण रखा । पूरे प्रदेश में जंगल राज्य है । आप लखनऊ के अंदर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो पूरे प्रदेश में क्या करेंगे ? आपने घोषणा की कि भ्रष्ट अधिकारियों को बक्शेंगे नहीं, निलम्बन करेंगे । आपने कितने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की उनकी आप सूची दें । एस0 एस0 पी0, एस0 डी0 आई0 जी0 स्तर के कितने अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की आप बतायें । सामूहिक हत्याएं हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । जबकि केन्द्रीय सरकार के गृह विभाग के यह निर्देश हैं कि किसी भी जिले में सामूहिक हत्याएं, हरिजन हत्याएं हों और कहीं साम्प्रदायिकता भड़के तो उस जिले के एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये । आप बतायें कि किस-किस को जिम्मेदार ठहराया । मान्यवर, हमने बनारस वाले मामले में मामूली सी मांग की । आप अपने विधायक के बारे में कार्यवाही उठाकर देख लीजिये आपका विधायक स्वीकार करता है कि सुरेश गुप्ता को वहां की पुलिस ने मारा । पुलिस ने उसे दंगे का रूप दे दिया । डी0 एम0 एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । संसदीय कार्य राज्य मंत्री जब दत्ता साहब को बयान देने के लिये बुलवाने लगे । मैं यह कहता हूं कि अगर आपका विधायक निर्दोष है तो डी0 एम0 एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और यदि वहां के किसी अधिकारी की कोई गल्ती नहीं है तो आपके विधायक को इस गिरोहबन्द एक्ट के अन्तर्गत जेल में जाना चाहिये । यह फैसला होना चाहिये। उससे बयान दिलवाये जा रहे हैं । किसी एक बात को करने के लिये सरकार को तैयार होना चाहिये । कल जब आप जवाब दें तो आप इसका उल्लेख करें कि दोनों में से कौन सही है । मान्यवर, मुझे एक बड़े अफसर मिल गये कहने लगे कि गांधीवादी, अहिंसावादी, सहनशील मनोवृत्ति के मुख्य मंत्री आज हैं । यह क्या है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अहिंसावादी, गांधीवादी नहीं माने जायेंगे, यह उत्तर प्रदेश में कायरता मानी जायेगी । इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह शालीनता, अहिंसावादी, गांधीवादी नहीं माने जायेंगे । वह कायरता मानी जायेगी । कायरता और सहनशीलता में फर्क करना सीखें । बड़े अधिकारियों को दंडित कीजिये, बचाने की कोशिश न कीजिये ।

उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है, आपने सी0 आर0 पी0 रिजर्व फोर्स लगा रखी है, अघोषित रूप से मिलेट्री को भी एलर्ट कर दिया । आप कहते हैं कि यहां अमन चैन है । हम लोगों से कोई बात छिपी नहीं है । लेकिन हम लोग प्रदेश की जनता के हित में चुप हैं । उत्तर प्रदेश में इतनी आग

कभी नहीं लगी, कभी इतने बिगड़े दिमाग नहीं हुए, जितने कि आज हैं। इसका कारण क्या है। एक कारण सबसे मुख्य जो है यहां का पुलिस महानिदेशक। मेरा खुला आरोप है कि जो पुलिस महानिदेशक आज उ0 प्र0 में बैठे हैं, पुराना इसका इतिहास देख लीजिये किसी महत्वपूर्ण जिले में कभी यह एस0 एस0 पी0 नहीं रहे। कभी डी0 आई0 जी0 नहीं रहे। दो काबिल आफीसरों को सुपरसीड करके इनको डी0 जी0 बनाया गया। इसलिए मेरा साफ कहना है कि इनकी क्षमता, ईमानदारी और कार्यकुशलता पर मुझे पूरा संदेह है, पूरी जनता को संदेह है। इसलिये उ0 प्र0 में आज आग लगी हुई है।

जहां तक गोपनीयता का सवाल है, आपकी जो इन्टेलीजेन्स है, पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता की आग लग गयी लेकिन आपकी इन्टेलीजेन्स कहां चली गयी और इसे किंचित मात्र भी खबर नहीं रही मान्यवर, समय कम है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा हमारे कई विद्वान सदस्य अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डी0 जी0 महोदय का लड़का नरही या कहीं उसके आस-पास रहता है। आपको पता होना चाहिए कि डी0 जी0 साहब के लड़के की चोरी हो गयी लेकिन डी0 जी0 जो अपने घर की चोरी को नहीं रोक सकता है तो वह किस प्रकार उ0 प्र0 में अमन चैन कायम कर सकता है। आप आज या कल इस बात की घोषणा करें कि कभी भी ऐसे डी0 जी0 को इतना महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाना चाहिए। अब मान्यवर, इस डी0 जी0 ने दो गलत काम किये। पहले, रपट नहीं लिखायी और अपराध को छिपाया और दूसरा काला धन जो चोरी में गया था उसकी रपट न लिखा कर उसे दिया था। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी अपना जवाब दें तो इसको भी बतायें।

मान्यवर, आज प्रदेश के डी0 जी0 का हर वक्त यह बयान आता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप को बरदास्त नहीं किया जायेगा। डी0 जी0 की आज यह हिम्मत है कि हम सारे लोग इसकी नजर में अपराधी हैं और पूरा सदन अपराधी है और अपराधियों का हस्तक्षेप यह डी0 जी0 महोदय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस डी0 जी0 की मनोवृत्ति में हम अपराधी हैं। क्या कोई मंत्री किसी अधिकारी से टेलीफोन पर बात नहीं कर सकता ? क्या उसे हस्तक्षेप माना जायेगा ? वह किसी को भी टेलीफोन कर सकता है। एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 भी किसी को टेलीफोन कर सकता है। प्रदेश के डी0 जी0 के दृष्टि में हम जितने लोग हैं सब अपराधी हैं, और वही एक भला आदमी है।

अब मान्यवर, मैं शस्त्र लाइसेंस की नीति के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में सरकार की विवेकहीनता का परिचय मानता हूं। पूरे प्रदेश में लाइसेंस बन्द कर रखे हैं। उसकी वजह यह बतायी है कि शान्ति व्यवस्था भंग हो रही है। तर्क यह दिया गया है कि शस्त्र गुण्डों के पास चले जाते हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिन गिरोह बन्दों और डकैतों के पास हथियार हैं उनसे निहत्था आदमी आज मुकाबला नहीं कर सकता है।

आज प्रदेश में जितने भी लाइसेंस धारी हैं, वे 95 फीसदी भले लोग ही हैं

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

हो सकता है कि 5 प्रतिशत गलत लोगों पर हों, लेकिन 95 प्रतिशत भले लोगों को लाइसेंस अब भी मिले हुए हैं। सरकार का कहना कुछ भी क्यों न हो किन्तु यह सच है कि असलहाधारियों में 95 प्रतिशत से भी ज्यादा व्यक्ति शान्तिप्रिय और अच्छे लोग हैं।

सरकार का यह कहना कि ये असलहे डकैतों के पास पहुंच जाते हैं, सरासर गलत और तथ्यों से परे है। वर्ष 1985 में मुठभेड़ों में 2810 आग्नेय अस्त्र बरामद किये गये हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को बताना चाहेंगे कि उनमें से कितने ऐसे असलहे थे जो किसी तहसीलदार के थे और जिन्हें गलत प्रयोग करते हुए पकड़ा गया था ? अगर उनमें लाइसेंसी हथियार नहीं थे तो सरकार का यह दावा कि लाइसेंस धारकों के आग्नेयास्त्र बदमाशों पर पहुंच जाते हैं, पूरी तरह गलत और भ्रामक है और इसके द्वारा इन्होंने प्रदेश के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की है। इन 2810 में एक भी लाइसेंस जनता का नहीं था। ये पुलिस, पी0 ए0 सी0 के लोगों के हैं, मिलेट्री के हैं, दरोगाओं के हैं, लेकिन एक भी लाइसेंसदारों का अस्त्र नहीं है।

आपने बड़े दावे के साथ कहा कि मेरी फाइल रुकती नहीं, मेरा कहना है कि आपकी फाइल चलती ही नहीं है। मेरे कहने पर भी फाइल नहीं चलती है। सही काम के लिये फाइल नहीं चलती है। यहां तक उदाहरण दूंगा कि एक सामान्य शिष्टाचार विधायकों का होता है जिनके पत्रों की प्रति तक के उत्तर नहीं दिये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, अभी मा0 नेता, विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपसे यह कहना चाहता था कि आज जो आप कह रहे हैं कि फाइल चलती है, मेरा कहना है कि फाइल नहीं चल रही है। मुख्य मंत्री जी को गुमराह करके ये अधिकारी कार्य करते रहते हैं, मैं इसको साबित कर दूंगा। एक शिष्टाचार बहुत दिनों से चला आ रहा है, पंत जी से लेकर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी तक कि जब भी किसी एम0 एल0 ए0 की चिट्ठी जाती थी, मंत्रि-परिषद् के लोग उसका उत्तर देते थे। अब वह जवाब देना बन्द हो गया है। अधिकारी कोई जवाब नहीं देता, कलेक्टर जवाब नहीं देता, एस0 डी0 एम0 जवाब नहीं देता। केवल कुछ अधिकारी या मिनिस्टर ही जवाब देते हैं, नहीं तो वह सारा शिष्टाचार बन्द हो गया है। यह तो विधायक का हक है, मैं भी विधायक हूं, विरोधी दल का नेता भी हूं। विरोधी दल के नेता की चिट्ठी का भी जवाब आपके यहां से नहीं आता है और आप कह रहे हैं कि फाइल में काम हो रहा है। क्या यह फाईल का काम नहीं है। मेरी चिट्टियों का उत्तर नहीं आता है। आप कह रहे हैं कि फाइल चल रही है। आप कहां घूम रहे हैं। आपने पुलिस द्वारा जनता को लुटाने का काम किया है। लाइसेंस के नवीनीकरण की बात है।

नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सदन में भाषण पूर्ण करने के पहले उसकी प्रतिलिपियां पत्रकारों में एवं सदन के बाहर वितरित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल अपने लगभग दो घन्टे के संक्षिप्त भाषण में, एक घन्टा डी0 जी0 पर बोले। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सम्मानित सदन में भाषण पूर्ण करने के पहले क्या उस भाषण की प्रतिलिपि पत्रकारों को बांटी जा सकती है? मेरे पास 46 पेज का उनका संक्षिप्त भाषण है, जो पत्रकारों को बांटा जा रहा है, उनका भाषण चल रहा है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(शेम, शेम की आवाजें)

जबतक भाषण समाप्त न हो जाये, भाषण पूरा करने के पहले जो बात यहां पर अभी तक नहीं आयी है, क्या उसको पत्रकारों को बांटा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिये उसकी एक प्रति आपके पास भेज रहा हूं।

(एक प्रति माननीय उपाध्यक्ष के पास भेजी गयी)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जो भाषण दिया जा रहा है, उसकी प्रति उसके समाप्त होने के पूर्व पत्रकारों को नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह परम्परा रही है कि हम लोग अपने भाषण की पूर्व प्रति पत्रकारों को देते रहे हैं। पत्रकार उसमें जो अंश सदन में कहा जायेगा, उसी को मुद्रित करेगा। मान्यवर, यह पत्रकारों के विवेक का सवाल है कि जो इस सदन में कहा जायेगा वही-वही लिखा जायेगा, वही छापा जायेगा। लेकिन वक्तव्य की प्रति देने का अधिकार है, और इसके पहले भी दिया गया है। माननीय नेता विरोधी दल ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जो संसदीय परम्पराओं के खिलाफ हो। माननीय मुख्य मंत्री जी, और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी भी यह जानते हैं, भाषण पर यह लिख दिया जाता है कि 'नाट टु बी पब्लिश्ड'। इस तिथि के पूर्व प्रकाशित न किया जाए। माननीय नेता विरोधी दल ने नियमों के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं किया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह–

क्या उसमें ऐसा वाक्य लिखा है कि इसके पहले न छापा जाए। यह तो उसमें लिखा नहीं है, लेकिन मान्यवर, मैंने दूसरा बिन्दु उठाया था, शायद मैं अपने आशय को स्पष्ट नहीं कर सका। जो बात सदन में कही नहीं गई है, क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के बाहर दी जा सकती है? यह सदन के विशेषाधिकार का सवाल है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने अनावश्यक रूप से सदन का समय लिया। यह परम्परा तो हमेशा रही है कि जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई भाषण तैयार करता है, उसकी प्रतिलिपि कहें या उसके बिन्दु कहें, दूसरों को देने का अधिकार है। जब बजट पेश होता है, तो उसकी प्रतियां सभी को दी जाती हैं, माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना भाषण देते हैं तो भी उसकी प्रतियां बांट दी जाती हैं, पत्रकारों को और सभी लोगों को बांट दी जाती हैं। यह कोई सरकारी अभिलेख नहीं है, सदन का अभिलेख है। वह सदन का हिस्सा है, यह तो सदन का है।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जब एक मुद्दा उठा है तो आप शान्ति से सुनिये।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि यह कोई सरकारी अभिलेख का प्रश्न नहीं है। वह तो सदन की सम्पत्ति है सदन में ही उसे पढ़ा जाता है और पत्रकारों को भी वह बांटी जाती है।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बड़े होशियार आदमी हैं लेकिन उनको अभी थोड़ा अध्ययन करना चाहिये। यह हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि सदन के बाहर और सदन के अन्दर खुले दिमाग से हम इसे रख सकते हैं। कोई भी वक्तव्य के विषय में हम लोगों से कह सकते हैं कि हम आज इसे सदन में रखेंगे। सरकार का यह कर्तव्य है कि सदन में बजट रखने से पहले उसे लीक आउट न करें। विरोधी दल का तो यह अधिकार है ही कि सरकार की कमजोरियों को बाहर भी और सदन के अन्दर भी, उजागर कर सकता है। यह हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। इसलिये श्रीमन्, आप इनकी व्यवस्था को खारिज करिये।

श्री उपाध्यक्ष–

यह बिन्दु महत्वपूर्ण है, इसको हम रिजर्व किये लेते हैं।

(व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम औतार दीक्षित–

क्या मान्यवर, आप अपने विवेक से जो व्यवस्था देंगे उसमें भी क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कोई भी माननीय सदस्य यहां पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हो और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या इस तरह से रोका जा सकता है? व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां सदन में कोई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहा है और उसको लिख कर भी लाया है और उसकी जानकारी नागरिकों को और पत्रकारों को हो गयी है तो क्या वह उसे सदन के अन्दर व्यक्त नहीं कर सकता?

श्री राम सरन–

मेरी बात सुन लीजिये कि वहां गैलरी से डी0 जी0 उठे और उन्होंने प्रमोद तिवारी को एक कापी दी और उसे प्रमोद तिवारी यहां ले आये। यह चोरी कर रहे हैं। आप डी0 जी0 को हटाइये। लाबी से डी0 जी0 को निकालिये। यह डी0 जी0 चोरी कराता है और हमारे अधिकारों का हनन करता है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। आप शान्ति रखें। जहां तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूलिंग को रिजर्व करने का सवाल है, उसमें मैंने नेता विरोधी दल के मान की जहां तक बात है, मैंने उनका सम्मान ही किया है, उसमें कोई अवमान की बात नहीं है। रूलिंग पार्टी के विचारों को मैंने स्वीकार नहीं किया है। इसमें ज्यादा बहस न हो और कोई अन्य बात न हो, इस दृष्टिकोण से मैंने ऐसा किया था। नेता विरोधी दल का अपमान करने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अपनी व्यवस्था रिजर्व कर रखी है।

(व्यवधान के मध्य कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, जब सदन के अन्दर किसी अधिकारी की आलोचना हो रही हो तो क्या वह अधिकारी मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य को बुलवाकर यहां पर व्यवस्था का प्रश्न उठवा सकता है या नहीं उठवा सकता है? मेरी निश्चित जानकारी है...

(श्री राम सरन एवं विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने स्थानों पर जायं।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य जोर-जोर से नारे लगाते रहे)

श्री राम सरन–

यह एस0 एस0 पी0 से पैसा मांगता है, यह बेइमान अफसर है, इसको हटाइये।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य वहां पर बैठ गये और तालियां बजाकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं हाउस 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 3 बजकर 37 मिनट पर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। 3 बजकर 47 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 4 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कि क्या भाषण की प्रति बांटी जा सकती है या नहीं बांटी जा सकती है? तो यह प्रत्येक माननीय सदस्य का अपना अधिकार है कि वह जो भाषण दे उसकी प्रति बांट दे। तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। जहां तक नेता विरोधी दल का सवाल है नेता विरोधी दल का भाषण दो घंटे से चल रहा है तो भाषण शुरू करने के बाद प्रति बांट सकते हैं। जैसे माननीय राज्यपाल का भाषण या मंत्रियों का भाषण है, शुरू होने के बाद बांट सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाषण शुरू होने के बाद प्रतियां बांटी हैं। सबको यह अधिकार है।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 20—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 21—कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या—27 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या—29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या 30—गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 39—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग, अनुदान संख्या 45—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 82—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 83—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 86—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 87—सार्वजनिक उद्यम विभाग (क्रमागत)

•

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण का थोड़ा लिंक टूट जाय इसमें माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री कामयाब हो गये इसके अलावा और कुछ नहीं मिला ।

तो मैं कह रहा था डी0 जी0 पी0 के सम्बन्ध में मेरा कोई निजी स्वार्थ उनसे नहीं है और न ही कोई रंजिश है, न मेरा कुछ बना सकते हैं और न वह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं और न सारे विपक्ष का कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम जनहित में यह बात उठा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने एक बात रखना चाहता हूं आज जब पूरे प्रदेश में आग लगी हो आप पता लगा लीजिये आपके डी0 जी0 2-2, 3-3 घंटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उद्घाटनों में समय लगाते हैं इसका आप पता लगा लीजिये । इसके अलावा एक बात और है आपके या आपके मंत्रियों के सामने आपका कोई सचिव या कोई बड़ा अधिकारी सिगरेट पीता है तो उसको आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिये । कई मंत्रियों के सामने आपके सचिव और डी0 जी0 सिगरेट पीते हुए देखे गये हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

हमारे सामने नहीं पीते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपने माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण गिरोहबंद अधिनियम से शुरू किया था। तो आप देख लीजिये कि यह एक मामला है मुसाफिरखाना का जिसमें भोलानाथ तिवारी जो स्वतंत्र भारत समाचार पत्र के संवाददाता हैं पुलिस ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक के अन्तर्गत उनको बन्द कर जेल भेज दिया। यही नहीं भोलानाथ तिवारी के खिलाफ 307 का मुकदमा दायर किया गया जो अदालत में गया और अदालत ने पुलिस के खिलाफ लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इस पत्रकार को उत्पीड़न दृष्टि से जेल भेजा गया । तो आपने कहा था कि दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । तो जब आप उत्तर भाषण दें तो बतायें कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है जिन जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत ने स्ट्रिकचर पास किया है उसके बाद भी आपके पुलिस महानिदेशक ने या आपके अधिकारियों ने जांच क्यों नहीं की ? तो जिन्होंने जांच नहीं की उनके खिलाफ पहले कार्यवाही होनी चाहिये, जिन्होंने इसको छिपाया उनके खिलाफ पहले कार्यवाही होनी चाहिये, फिर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, जो इसके लिये जिम्मे-

दार हैं ।

एक और बात कहना चाहता हूं कि हथियारों के लाइसेंसों के नवीनीकरण में पुलिस द्वारा जनता को लूटने का एक और हथियार दे दिया है । अब कोई भी लाइसेंसधारी बिना रिश्वत दिये अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए थाने से रिपोर्ट नहीं लगवा सकता है । आज पूरी जनता इससे परेशान है । आप क्या करने जा रहे हैं एक गलत परम्परा डालने जा रहे हैं? सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि लाखों लाख रुपया इसमें पुलिस कमा रही है जो आपने लाइसेंस के नवीनीकरण का नियम बदल दिया तो जैसे पहले होता था डी0 एम0 के यहां से नवीनीकरण होता था उसी के अनुसार होना चाहिये । मेरे पास बहुत उदाहरण हैं, लेकिन समय नहीं है और दूसरे अन्य विद्वान सदस्यों के भी मूल्यवान सुझाव आने हैं, इसलिये मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरे जनपद इटावा में थर्टी कारबाइन के नवीनीकरण के लिए दरख्वास्तें पड़ी हैं लेकिन दो वर्ष से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि एम.पी., एम.एल.ए., ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के सदस्यों, प्रिंसिपल और लेक्चरर यदि चाहते हैं तो लाइसेंस दिया जाना चाहिए । आप कह रहे हैं कि फाइल चल रही है लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इटावा जनपद में थर्टी कारबाइन के लाइसेंस धारियों की भी शायद एक की भी रिपोर्ट नहीं है कि थर्टी कारबाइन की फाइरिंग गलत हुई है । कोई गलत काम में इस्तेमाल नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई शिकायत नहीं है किन्तु फिर भी 3 वर्ष होने जा रहे हैं थर्टी कारबाइन के संबंध में सारी औपचारिकतायें पूरी होने के बावजूद भी कलेक्टर, इटावा ने लाइसेंस के नवीनीकरण पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जबकि दुबारा नवीनीकरण का समय आ गया है । इसलिए आपका असर जिलों तक नहीं पहुंच पा रहा है और आप कह रहे हैं कि फाइल चल रही है । इसलिए छोटे-छोटे कामों के लिए लोग सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं । यही हालत प्रदेश के अन्य जिलों में जैसे मैनपुरी में भी है ।

मान्यवर, आज प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव है और माननीय सदस्यों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । इस बार जो साम्प्रदायिक तनाव हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ है । मान्यवर, 1947 में जहां हिन्दू और मुसलमानों में तनाव नहीं हुआ था वहां पर भी तनाव हुआ है । यह क्यों, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस पर गम्भीरता से दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए और इस लिये विचार करना चाहिए इसके सम्बन्ध में हमको पुराने इतिहास को देखना पड़ेगा । मान्यवर, मूल कारण है कि वोट के लालच में हम सारे दलों के लोग सच्ची बात कहने के लिये तैयार नहीं हैं आज यह हालत हो गई है। हिन्दू मुसलमान के रिश्ते आज क्यों बिगड़ रहे हैं? उनके दिमाग क्यों बिगड़ रहे हैं? इसको कुछ लोग ही उनके दिमाग बिगाड़ रहे हैं । सात आठ सौ वर्षों के इतिहास को देखें तो हिन्दू के मन में एक बात बैठी है कि मुसलमानों ने हिन्दुस्तान में सात सौ, आठ सौ वर्ष तक राज्य किया उन्होंने जुर्म और अत्याचार हिन्दुओं पर किए थे और मुसलमानों के दिमाग में यह है कि वह महसूस कर रहे हैं कि सात सौ, आठ सौ वर्ष तक हिन्दुस्तान में राज्य रहा और आज हमें यह दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। तो यह दोनों के मन में अविश्वास की भावना

यह दोनों के मनमें अविश्वास की भावना है जिसको मिटाने के लिए हम यह हिन्दू और मुसलमान दोनों से कहेंगे कि तैमूरलंग हिन्दुस्तान में आया था तो 4-5 लाख आदमियों का कत्ल किया जिनमें हिन्दू-मुसलमान, दोनों का कत्ल हुआ है, और मुगलों के भी कत्ल हुए हैं। इसलिए कभी तो मुगल मुसलमान ने पठान मुसलमान का कत्ल किया यह मामला लोगों के सामने अच्छी तरह से आने लग जाएगा कि यह हिन्दू और मुसलमान का मामला नहीं है, देशी-परदेशी का है। इस बात को हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ जाते तो नतीजा निकल जाता।

यह बात हर एक स्कूल में हर एक घर में, क्या हिन्दू मुसलमान-बच्चे-बच्चे तक जानी चाहिए। जब यह बात उठाई जाएगी तो हर हिन्दू को यह मानकर चलना चाहिए कि मुसलमान बादशाह ऐसे हुए थे, जिन्होंने हिन्दुओं के दिलों को जीता था अगर वह इतने उदारवादी थे कि हिन्दुओं को अपने यहां ऊंचे-ऊंचे पदों पर रखा था यदि आप हिन्दुओं और मुसलमानों के दिमागों को बिगाड़ने से रोकना चाहते हैं तो हर हिन्दू को शेर-शाह सूरी, रजिया और जायसी को हम सबका पुरखा और मां-बाप मानना पड़ेगा। और वहीं पर दूसरा जुमला भी होगा, मुसलमान भाइयों को, हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए गजनी और गोरी और तैमूर लंग को हमलावर और लुटेरा मानना पड़ेगा। यह दोनों जुमले साथ-साथ होंगे यह जो मामला उठा है, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ रहा है, मैं इसके लिए अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि आपने तो कांग्रेस को हाफिज मान रखा है और कांग्रेस के लोगों ने यह समझ लिया है कि इस देश का हमारे नाम पट्टा हो गया है, हम सरकार में रहेंगे चाहे देश का सत्यानाश हो जाए। यह इनकी नीयत है। हिन्दू को यह मानना पड़ेगा कि हिन्दू और मुसलमान हम सब इस देश के नागरिक हैं और अल्पसंख्यक पर एक भी अंगुली उठेगी तो स्वभाविक रूप से सारे अल्पसंख्यक वर्ग में आतंक पैदा होगा और बहुसंख्यक के प्रति एक अंगली उठेगी तो स्वभाविक है बहुसंख्यक समुदाय के साथ वह स्थिति नहीं पैदा होगी। यह भी कहना चाहता हूं खुलकर के, कि इसमें हिन्दुओं को अपना दिमाग साफ रखना चाहिए, इसलिए साफ होना चाहिए कि हिन्दू मुसलमान पर जितनी शंका करेगा, उतना ही खतरनाक होगा और यदि हिन्दू, अपने मुसलमान भाइयों पर विश्वास करेगा, उनसे प्यार करेगा तो वह उतने ही उदार बनेगें। आज पुलिस फोर्स में और सी0 आर0 पी0 में मुसलमानों को भरती नहीं किया जाता है। वर्ष 1947 के बाद दिन प्रति दिन मुसलमान अधिकारियों की तादाद फोर्स में कम होती चली जा रही है। आज जो तनाव है, आपको उसको रोकने पर विचार करना पड़ेगा और इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बहुसंख्यक की है, उनको अपना दिमाग लचीला और उदार बनाना पड़ेगा। हिन्दू और मुसलमान जो कट्टरपंथी हैं, उनके खिलाफ आप कड़ी कार्यवाही करें। लेकिन आप लोकदल और इधर के लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजेंगे, तो इससे यह तनाव कम नहीं होगा। आपने मुसलमान विधायकों को जेल भेजकर तनाव पैदा किया है। लेकिन हमारे सारे विपक्ष के लोगों ने बैठकर कोशिश की है कि वातावरण ठीक बने। जो आप मोहम्मद आजम खां पर और इधर के अन्य सदस्यों पर शंका करते थे, तो आज सिद्ध हो गया है कि सौहार्द का वातावरण बनाने में सबसे ज्यादा काम आजम खां साहब ने किया है। आपने मंजूर अहमद को जेल भेजा और भारतीय जनता

पार्टी के लोगों को भी जेल भेजा है। इतना ही नहीं, जेल भेजने के बाद आपने यह भी किया है, मंजूर अहमद पर हमारे तमाम कहने के बावजूद अमानुषिक अत्याचार हुआ है। अब तक आपने उसको सुपीरियर क्लास नहीं दिया है। आप सदन में कह रहे थे कि आपकी फाइल चल रही है, आपका काम पूरा हो रहा है, लेकिन उस पर अत्याचार बन्द नहीं हुआ है। जो पांच बार विधायक रहा है चाहे जेल भेजिए, चाहे फांसी पर लटकाइये, लेकिन जेल में अत्याचार कर, साधारण कैदी के समान उसके साथ व्यवहार होगा तो उससे क्या मुसलमान बिगड़ेगा नहीं। आपने भी समझौते को तोड़ा है। जब अंग्रेजों ने यहां पर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए हिन्दू और मुसलमानों को बांटा था।

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

जब अपना राज्य आया था तो यह उम्मीद की गयी थी कि हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के निकट होंगे उनमें प्यार का रिश्ता होगा। लेकिन आपने अंग्रेजों वाली नीति को अपना-कर हिन्दू और मुसलमान को बांटने का काम किया है। वरना माननीय मोहम्मद मसूद साहब जैसे विधायक के साथ जो व्यवहार किया गया है वह न होता। आजमगढ़ में जिस वक्त हरिजनों और मुसलमानों में झगड़ा हो गया था और जो हरिजन घायल पड़े थे तो मोहम्मद मसूद खां पहले आदमी थे जो हरिजन घायलों को उसको अपनी कार में बैठाल रहे थे। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान के दंगे को रोकने की कोशिश की और आपकी पुलिस ने मोहम्मद मसूद खां को गिरफ्तार किया और उनके हथकड़ी लगाकर आजमगढ़ में घुमाया। इतना ही नहीं उनको 302 का मुलजिम बनाया गया। आजमगढ़ के विधायक यहां बैठे हैं वह बता दें कि मसूद साहब का उसमें क्या हाथ था।

माननीय मसूद साहब को 302 का मुलजिम बनाया गया है जबकि वह उस घायल आदमी को, हरिजन को अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे। सारे लोग जानते हैं कि मसूद साहब ने किस बहादुरी के साथ अपनी जान को खतरे में डालकर हरिजनों और मुसलमानों के झगड़े को बचाने की कोशिश की। आपने उनको जेल भेजा तो यह उत्पीड़न कौन कर रहा है। यही बातें हैं जिनसे आज सरकार पर से विश्वास उठता चला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों वाली नीति को त्यागकर मुसलमानों और हिन्दुओं के मन में जो शंका है उसको दूर करने की कोशिश कीजिये वरना बड़ा खतरनाक नतीजा होगा। इस साधारण मामला मुख्य मंत्री जी न समझें। पुलिस के बल पर इसको दबाने से लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होगा इसलिये हिन्दू और मुसलमानों के दिमाग में जो अविश्वास भर गया है उसको दूर करने की कोशिश, आपकी तरफ से होनी चाहिये। आपने इस मामले को बिगाड़ दिया है। 18 फरवरी को विपक्षी नेताओं की, आपके कक्ष में बैठक हुयी थी। श्री सूर्य प्रताप शाही जी जिस दिन पीली पट्टी लगाकर आये उसी दिन मीटिंग हुयी थी। यह तय हुआ था कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय किया गया और मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में तय हुआ कि काली पट्टी और पीली पट्टी नहीं लगायी जायेंगी। हम लोगों ने आपको सहयोग दिया था। आपको मैंने एक जानकारी भी दी थी जो आपको इन्टेलीजेंस और सी0आई0डी0 नहीं दे पायी।

5 दिन पहले आपको बता दिया था कि दंगा होने वाला है, प्रिकाशन लीजिये। हमारी बात गलत हो तो खड़ा होकर कह दीजिये। आपके सेक्रेटरी माथुर साहब से भी मैंने कहा था जब मैं आपसे मिलकर, बात करके आ रहा था तो माथुर साहब से मैंने कहा कि मामला गम्भीर हो रहा है मुख्य मंत्री जी से बात करें। तो आपकी इन्टेलीजेंस क्या करती रही और आपकी सी0 आई0 डी0 क्या करती रही? वह खबर हमने दी लेकिन आप विश्वास नहीं करते हैं। 18 फरवरी को तय हुआ कि काली और पीली पट्टी नहीं बांधी जायेगी। लेकिन आपके लोगों ने चुपके-चुपके रथ क्यों निकाला? गोरखपुर में रथ निकाला गया तो आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ? जिस तरह से गोरखपुर में रथ निकला. वह आपको मालूम है और मुझे भी मालूम है। इस रथ को निकालने से क्यों नहीं रोका गया और कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े पदाधिकारी जो थे उन्होंने रथ अयोध्या में लाने की कोशिश की। आप इसका जवाब दें। मैं विरोधी दल के नेता के पद से और सदस्यता से भी इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय। मेरे साथ मधुकर दिघे और 25 आदमी और थे, महंत अवैद नाथ के यहां एक कांग्रेस (आई) का लीडर बैठकर बात कर रहा था कि रथ कैसे निकाला जाय।

तो यह सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। हम आपको इस मामले में सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग हैं चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन बहुसंख्यक लोगों को भी बहुत उदार बनाना पड़ेगा, और हमने मुसलमानों पर जो शंका का वातावरण सा बना रखा है, उसे खत्म करना पड़ेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, चूंकि ऐसे प्रश्न मा0 नेता विरोधी दल ने उठाए हैं यहां, जिन प्रश्नों को यहां उठाना नहीं चाहिए था, जो बातें खत्म हो गयीं या खत्म की जा रही हैं और जो भी कार्य इस सम्बन्ध में किए गये वह सब निष्पक्ष भाव से किए गये हैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है, आप देखे होंगे कि मेरठ में जो लोग बन्द हुए हैं, उसमें कितने पार्टी के लोग हैं? (मेजों की थपथपाहट) इसलिए मान्यवर, यहां पर किसी भी प्रकार से किसी पार्टी का न तो सवाल है और न ही किसी व्यक्ति का बल्कि देश और प्रदेश का सवाल है कि यहां पर अमन और चैन कैसे कायम हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही हुयी है। (शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर जितनी बातें भी मैंने कहीं हैं, वह केवल प्रदेश के हित में और सरकार के हित में ही कहीं हैं, मैं इस पक्ष या उस पक्ष से सम्बन्धित बात नहीं कह रहा हूं, केवल इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शक अब ज्यादा मुसलमानों में न पैदा करिये अब तक तो बहुत हो गया। उनके अन्दर विश्वास पैदा करिए वरना स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जायेगी। अब मैं केवल कुछ सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, जनवरी 1980 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह ने पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की उपयोगिता के बारे में कहा था कि

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0 ए0 एस0) हमारी आवश्यकताओं की केवल बाहरी परिधि को ही छू पाती है। जब-कि प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी जो प्रशासन के मध्य एवं निचले स्तरों पर होते हैं, प्रशासन को वास्तव में चलाते हैं प्रशासन के क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव रखने वाले और ज्यादातर प्रदेश में ही पैदा हुए पी0 सी0 एस0 अधिकारी जनता के हितों के प्रति सजग और राज्य के हितों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। वे आकर्षक सेवा शर्तों तथा सभी तरह के प्रोत्साहनों के हकदार हैं। इसलिए मैं मा0 सदस्यों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल सामान्य प्रशासन की बजट की चर्चा पर मेरे सुझाव पर, तत्कालीन मुख्य मंत्री, मा0 नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि उन्होंने आई0 ए0, एस0 सेवा में पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का कोटा 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत करने को केन्द्र सरकार को लिखकर भेजा है और इसको पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया था इसलिए आज मेरा जो सुझाव है, नं0-1 पर वह यह कि आई0 ए0 एस0 में पी0 सी0 एस0 का कोटा 50 प्रतिशत कर दिया जाए और दूसरा सुझाव यह है अल्प संख्यकों और समाज के जो कम-जोर वर्ग के लोग हैं, उनमें आत्म-विश्वास सुरक्षा और भय व आतंक का वातावरण व्याप्त है, उसको खत्म करने के लिए यह आवश्यक है कि एक जिले के अन्दर जिलाधिकारी या एस0 एस0 पी0 दोनों में से एक-एक वर्ग के आदमी अवश्य होने चाहिएं, जिससे लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी और यही अवस्था प्रदेश के हर जनपद में होनी चाहिए। और दूसरे मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की लगातार उपेक्षा हो रही है और उनको समुचित स्थान सरकार में नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए और इसी प्रकार से यदि राजकीय सेवाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी आरक्षित कोटे से न जाकर सामान्य कोटे से जाना चाहें तो उन्हें अवश्य ऐसा करने की इजाजत मिलनी चाहिए और इस सम्बन्ध में जैसा कि अब तक होता आया है कि अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से नियमों की व्याख्या पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसको समाप्त किया जाना चाहिए।

पांचवां हमारा सुझाव है साम्प्रदायिक दंगे जिन जिलों में हों, वहां स्थिति पर नियंत्रण न पाने पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हुए ऐसे अधिकारियों को विभाग में महत्वहीन पदों पर तैनात कर देना चाहिए। भविष्य में उन्हें कभी भी महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

जिस प्रकार से केन्द्र में रेल का बजट अलग से प्रस्तुत होता है, मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निगमों का अलग से बजट प्रस्तुत किया जाया करे ताकि राज्य की आर्थिक कमर तोड़ने वाले इन निगमों के सारे क्रिया कलाप हर साल विधान मण्डल के समक्ष आ सकें।

राज्य के सभी राजपत्रित अधिकारियों को हर वर्ष अपनी चल-अचल सम्पत्ति घोषित करने के लिए एक कानून बनाया जाय ताकि रातों रात करोड़पति बन जाने वाले कुछ अधिकारियों की सम्पत्ति की सही जानकारी हो सके और नाजायज तरीके से सम्पत्ति अर्जित करने वाले अधिका-रियों के खिलाफ कार्यवाही सम्भव हो सके।

प्रति वर्ष स्थानान्तरण पर सरकार का काफी धन खर्च होता है। स्थानान्तरण की एक निश्चित नीति होनी चाहिये मई से 30 जून तक ही स्थानान्तरण हों। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रशासनिक दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रान्सफर अपवाद स्वरूप कभी भी किये जा सकते हैं।

विजीलेंस, सी0 आई0 डी0 और इन्टेलीजेंस को सामान्य पुलिस से बिलकुल पृथक कर देना चाहिए, क्योंकि इन विभागों के अधिकारी किसी न किसी प्रकार सिविल पुलिस में जाने की फिराक में रहते हैं। इसके अलावा जब विजीलेंस का कोई इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के अपने से वरिष्ठ अधिकारी की जांच करता है तो उसके मन में यह भय रहता है कि किसी दिन इसी अधिकारी के अधीन सिविल पुलिस में कार्य करना पड़ सकता है। इससे जांच प्रभावित होती है।

मैं माननीय सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि विकास कार्यों में हो रही भारी गड़बड़ी और धन के घोटाले को देखते हुए इसके सत्यापन के लिए मैंने गत वर्ष सामान्य प्रशासन के बजट पर चर्चा के दौरान सुझाव दिये। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देते समय जो आश्वासन दिया था वह इस प्रकार था:—

"एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही और हमारी पार्टी की बैठक में भी माननीय सदस्यों ने कहा मैं उसको करने जा रहा हूं जो एन0 आर0 ई0 पी0, एल0 आर0 ई0 जी0 पी0 तथा आई0 आर0 डी0 की योजनायें चल रही हैं, इसमें एक टेस्ट के रूप में फिजिकल वेरीफिकेशन करा लिया जाय। पहले इसको एक डिवीजन में करायेंगे, फिर जिलों में आयेंगे।"

मेरा पुनः सुझाव है कि विकास कार्यों का फिजिकल वेरीफिकेशन हो, यदि कोई विधायक अपने क्षेत्र या कहीं भी हो रही गड़बड़ी की जांच के लिए लिख कर दे, तो मौके पर जाकर अधिकारी इस बात की जांच करें कि पैसे का वास्तव में सदुपयोग हुआ है या नहीं। जांच अधिकारी जांच के लिए जाते समय शिकायत-कर्ता को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी दें, ताकि गड़बड़ी के प्रमाण उपलब्ध कराये जा सकें। जो विकास के कार्य हैं उनमें पूरा धन चौपट हो रहा है और जितना भी पैसा है सबका दुरुपयोग हो रहा है इसलिए मैं पूरे आदरणीय सदन से नम्र और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने की आज्ञा प्रदान की, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, सभ्यता के विकास और पूंजीवादी व्यवस्था ने अपना एक सुन्दर स्वरूप दिखाने के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। पहले राज्य का काम बाहर के कार्यों को देखना और देश को सुरक्षित रखना था लेकिन विकास के साथ-साथ राज्य की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ी। हम प्रदेश की समस्याओं को कैसे दूर करें, बुराइयों को कैसे दूर कर सकें, यहां पर समाज की कुरीतियों को कैसे बाहर हटा सकें और इसी की प्रक्रिया में ब्रिटिस राज्य में एक वृहत् ढांचा बनकर खड़ा हुआ और जो हमको विरासत में मिला और आज वह हमारे लिए एक समस्या बनती जा रही है। मान्यवर,

इसके पहले कि हम कुछ और कहें मैं यह कहना चाहूंगी कि कर्मचारियों और अफसरों की नौकरशाही का एक स्वरूप रहा है और वह भिन्न रहा है। अभी नेता विरोधी दल ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने गेट बन्द कर दिया और एक आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। मान्यवर, यह बहुत ठीक था। अगर हम बहुत पहले का इतिहास देखें तो 15 अगस्त, 1947 के पहले यही नौकरशाही का स्वरूप भिन्न था और बाद में यही दूसरे ढंग से काम करने लगा और इसी नौकरशाही ने आज किस तरह से काम करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में पी0 ए0 सी0 की हड़ताल और उसके साथ ही साथ भारतवर्ष में रेल की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई और उसी के कारण सारे देश में अव्यवस्था पैदा हुई। आपात्कालीन स्थिति लागू हुई और नौकरशाही इतनी चुस्ती से काम करने लगी कि रेल कभी-कभी समय से पहले पहुंच जाया करती थी। मान्यवर, इसी उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं कि अफसर को टाइम से बुलाने का यही तरीका है उसके साथ सख्ती करनी पड़ती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनता शासन काल में इसी नौकरशाही का स्वरूप बदला, लोग इत्मिनान से दफ्तर आने लगे। मान्यवर, नौकरशाही का जहां तक सवाल है उसका हमेशा भिन्न-भिन्न स्वरूप रहा है। हमारे मुख्य-मंत्री जी को एक बार पुनः यह सिखाना पड़ रहा है कि समय से दफ्तर आना चाहिए। उन्हें अ ब स फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। मान्यवर, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए और अन्य बातों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार का कृत्य संकल्प है। और मान्यवर, इसके लिए एक बहुत बड़ा ढांचा चाहिए जिसको हमें देखना है कि वह किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? मान्यवर, 18 नवम्बर, 1967 में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने रुड़की के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि भारत की आवश्यकता है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये।

(इस समय 4 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

इसके बाद 26 जनवरी, 1950 में संविधान की धारा 312 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा बनाई गई, जिससे हम देश को आगे ले जा सके अब सवाल यह है कि हमारा दायरा विकास के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है, इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हमको तेजी से कार्यरूप में इसको परिणित करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अफसरों का दायरा बढ़ता जा रहा है उसके साथ भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ता जा रहा है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसी भ्रष्टाचार पर संसद में सन् 62 में सामान्य प्रशासन के दौरान चर्चा हुई थी और माननीय सदस्यों ने असन्तोष जाहिर किया था। तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने के0 सन्थानम कमीशन बनाया, उस कमीशन ने 137 सिफारिशें की जिसमें से 103 सिफारिशें मान ली गयीं। जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये बहुत हद तक सफल हुई और आज भी सफल हो रही हैं। हमको देखना है कि उत्तर प्रदेश का हमारा ढांचा बहुत बड़ा है, इसको सुधारने के लिये बहुत काम्ब करना चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 566 आई0 ए0 एस0, 316 आई0 पी0 एस0, 700 पी0 पी0 एस0 और 12004 पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं। देश में आई0 ए0

एस0 राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में बैठती हूं, तो उनकी बातों को सुनती हूं, आज उनकी मानसिकता का स्तर गिरता जा रहा है। आज के आई0 ए0 एस0 ब्राह्मण हो गये हैं, ठाकुर हो गये हैं पिछड़े वर्ग के हो गये हैं हरिजन हो गये हैं इस तरह की मानसिकता पर रोक लगानी चाहिये। हमारे अधिकारियों को या हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिये। आई0 ए0 एस0 अधिकारी इस तरह की बात आपस में भी करें तो ठीक नहीं हम लोग रोज सुनते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ऐसी बातें आपस में करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में अमुक जाति के कितने सचिव हैं। वह सर्विस, वह नौकरशाही जो राष्ट्रीय एकता की प्रतीक रही हो, उसके लिये यह अच्छा नहीं लगता है। इस तरह की बात प्रशासन के लिये घातक है। इसके साथ ही साथ नेता विरोधी दल ने कहा कि पी0 सी0 एस0 अफसरों का 50 प्रतिशत प्रमोशन आई0 ए0 एस0 में करना चाहिये। वह पी0 सी0 एस0 की तरफ से बोल रहे थे। हम बहुत दिनों से जानते हैं कि एक भारी समस्या पी0 सी0 एस0 अफसरों में है, वह उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेशों में भी हैं। जैसे ही वह इस सर्विस में आते हैं, वह आई0 ए0 एस0 की प्रतिस्पर्धा से ग्रसित हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, उनमें यह प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि कैसे वह आई0 ए0 एस0 बने और आगे बढ़े। इसके साथ-साथ मैं कर्मचारियों के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यह झगड़ा आई0 पी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 में चला करता है। सदन हर वक्त इस बात की चिन्ता करता है कि पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है, पुलिस का कार्य अच्छा नहीं है। मैं इस बात को याद दिलाना चाहूंगी कि पहले पुलिस के ऊपर मैजिस्ट्रेसी का नियंत्रण रहता था, विवेक और शक्ति का सन्तुलन रहता था। लेकिन शक्ति और विवेक के बीच की दीवार कमजोर होती जा रही है। हर जिले में अब कलेक्टर का एस0 पी0 पर नियंत्रण नहीं है। यह बात पुलिस अफसरों को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन शक्ति और विवेक में सन्तुलन होना चाहिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण मैंने गौर से सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बड़े जोर से घोषणा की कि मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नियत अगर सरकार की है तो लोक आयुक्त की जो रिपोर्टें सरकार को मिल गयी हैं, उनको छिपाना नहीं चाहिये था। मैं उम्मीद करता था कि आज सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही है, सतर्कता विभाग पर चर्चा हो रही है, अतः आज लोक आयुक्त की रिपोर्ट सदन में देखने को मिलेगी। मैंने कुछ दिन पहले औचित्य के प्रश्न के रूप में जानकारी दी थी कि वर्ष 1981 की रिपोर्ट आ चुकी है और 1982, 1983 और 1984 की तीन रिपोर्टें शासन के पास विचाराधीन हैं। उस दिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बिलकुल गलतबयानी की थी। इन्होंने कहा कि राज्यपाल जी कहेंगे तो रिपोर्ट आ जायगी। मैं बताना चाहूंगा कि राज्यपाल की ओर से जो हमारे सचिवगण काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं, उनमें से सतर्कता सचिव के पास ये रिपोर्ट हैं। 1982-1983 और 1984 की रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं लेकिन ये छिपाना चाहते हैं। इस सरकार के मंत्रियों का मामला लोकायुक्त के सामने विचाराधीन है और उन पर कार्यवाही चल रही है। इन्होंने कहा है कि लोक आयुक्त के पास किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इनके तीन मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इन्होंने लोकायुक्त की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी। 1983 की रिपोर्ट मैंने स्वयं पढ़ी है। उसमें सत्तारूढ़ दल के एक मा0 विधायक के बारे में लोकायुक्त ने परिवाद सिद्ध कर दिया है और कहा है कि उन्होंने जबरन जो मकान ले रखा है, उसे खाली कर दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से 2-3 पत्र मा0 लोकायुक्त को भेजे जा चुके हैं कि खाली करवा देंगे। लेकिन मा0 सदस्य ने खाली नहीं किया है। तो लोकायुक्त में परिवाद सिद्ध हो गया है, उसको छिपाने के लिये सदन के सामने रिपोर्ट नहीं रखी है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य-कलाप और उपलब्धियों का जो विवरण प्रकाशित हुआ है, इसके पृष्ठ दो पर बहुत ही असंसदीय बात सरकार ने छपाई है वह इस मानसिकता का परिचय है कि यह सरकार असफल है और अपनी असफलता को छिपाने के लिये इसमें लिखा है कि विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों ने शासन की आलोचना करके विधान सभा के चुनावों के समय अराजकता का वातावरण उत्पन्न किया। मैं इसकी भर्तसना करता हूं मान्यवर, विरोधी दलों के हम लोग को यह अधिकार है कि सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करें। इसीलिये लोकसभा के चुनावों के बाद जनता में इतनी जाग्रति पैदा हुई कि लोकसभा चुनावों की भारी असफलता के बाद विधान सभा में हम भारी संख्या में आए और जनता का समर्थन हमें प्राप्त हुआ। आप जानबूझ कर हमें लांछित करना चाहते हैं, उसी मानसिकता में आगे आपने गिरोहबन्दी अध्यादेश पास कराया। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। आपने अध्यादेश में लिखा कि जो लोग राजनीतिक दृष्टि से आपका विरोध करते हैं उसके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करेंगे। आप कहते हैं कि अपराध कम कर दिये हैं, लेकिन आपने तथ्य छिपाने की कोशिश की है। थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैंने सीतापुर की बात उठाई थी कि कितनी रिपोर्टें हुई और कितनी तहरीरें हुई। एफ0 आई0 आर0 से ज्यादा तहरीरें थी। आपने आंकड़े दे दिये कि अपराध कम हुए हैं, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है। आप लोगों की हत्याओं को छिपा नहीं सकते हत्याओं में वृद्धि हुई है, रोड कैप्चरिंग में वृद्धि हुई है। अभी मा0 नेता विरोधी दल ने विस्तार से इसका पर्दाफाश किया। हरिजनों पर भी अत्याचार बढ़े हैं। आपने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया है। इस साल कुल 2945 हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं जिसमें से आपने केवल 287 में ही कार्यवाही की है। एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि आज पुलिस प्रशासन में असंतोष पैदा हो गया है और उथल पुथल पैदा हो रही है। मैं घोषणा करना चाहता

हूं कि अगर सरकार ने अपनी गलत नीतियों से ठीक नहीं किया तो बड़ी भारी संख्या में डी0 वाई0 एस0 पी0 और एस0 पी0 इस्तीफा देने वाले हैं । आपको आश्चर्य होगा, यहां पर गृह राज्य मंत्री नहीं हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उ0 प्र0 के 37 जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। वर्षवार उनकी सहमति ली जाती है। 28 फरवरी को, जो यह आपके एडीशनल एस0 पी0 हैं, उनकी नियुक्ति की स्वीकृति शासन से खत्म हो गयी । एक मार्च से 18 मार्च तक यह एडीशनल एस0 पी0 किस हैसियत से काम कर रहे हैं । इनकी विधिक स्वीकृति है नहीं, शासन से स्वीकृति है नहीं, वेतन बन नहीं रहा है । मान्यवर, क्या कारण है। जो पुलिस सर्विस रूल्स हैं 1942 से लेकर आज तक-जिस आधार पर उसमें काम होता रहा, प्रमोशन की लिस्ट बनती रही। सरकार ने किसी बदनीयता के कारण, किसी ग्रुप विशेष को लाभ पहुचाने के कारण ऐसी नीति बनायी है। 1942 से 1986 तक के सर्विस रूल्स को उलट-पूलट करके लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। सरकार इस बात से सहमत हैं कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि सीधी भर्ती से आने वाले उपाधीक्षक और प्रोन्नति से आने वाले उपाधीक्षक-इनके बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है। अगर उस तनाव की स्थिति को ठीक नहीं किया जायेगा, तो पुलिस प्रशासन प्रभावित होगा। इसको सब प्रकार से समझने की आवश्यकता है । अब मैं स्थानीय बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीतापुर में यह स्थिति है कि बहुत से थाने हैं, जिन थानों को परिसीमन करने की आवश्यकता है। भौगोलिक दृष्टि से और आवागमन की दृष्टि से लोगों को वहां आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है। सीतापुर, रामपुर, खैराबाद, रामकोट आदि इनके परिसीमन का प्रस्ताव मुख्यालय पर विचाराधीन है। यहां के जनप्रतिनिधियों की सहमति से यह प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को पारित करवाया जाय ।

मान्यवर, विधान सभा में एक सवाल उठाया था उसके जवाब में शासन ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस में जो जवान काम करते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता का उन्हें पूरा लाभ मिले, इसके लिये जो निर्धारित योग्यता के ऊपर हैं यह सिविल फोर्स में जायेंगे बाकी आर्म फोर्स में जायेंगे । इनका आदेश भी गया, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। मैंने एक सवाल इस संबंध में किया था जवाब मिला कि प्रश्न में संदर्भित आदेशों का अनुपालन लखनऊ मण्डल के सभी जिलों के साथ-साथ पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है तथा भविष्य में भी इसका पूरा अनुपालन किया जायेगा । लेकिन, सीतापुर जिले में अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है। अगर पुलिस विभाग ने पुलिस कर्मियों के हित में कोई आदेश किया गया है, तो उसका पालन भी होना चाहिये ताकि उनको सुविधा मिल सके । इसी तरह से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जलालपुर और दुर्गापुर-दोनों स्थानों पर शांति व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर पुलिस आउटपोस्ट बनाने की मांग की थी जो मुख्यालय पर विचाराधीन है उसकी स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये । मान्यवर, मैंने कार्यस्थगन प्रस्तावों के माध्यम से और विभिन्न सवालों के माध्यम से सदन में यह मामला उठाया है कि सीतापुर की शांति व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, दिन दहाड़े लोग

मारे जा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी और डी0 जी0 के द्वारा मुझे आश्वासन देने के बाद भी, जो दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। लेकिन, कोई कार्यवाही न करने से वह अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं। जो वहां इंस्पेक्टर है, वह प्रभावशाली व्यक्तियों को संरक्षण दे रहा है। अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न करना यह संदेह पैदा करता है कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण उसको संरक्षण दिया जा रहा है। यदि जांच से कोई बात सही पायी गयी है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, कार्यवाही करने से परिणाम यह होगा कि जो हिम्मत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और जो गलत तरीके से काम करते हैं, वह निरुत्साहित होंगे। इस बात पर बल देते हुए जो माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज हम जिस बजट पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण बजट है। आज के सन्दर्भ में, जबकि लगातार चर्चायें सुनने को हमें मिल रही हैं विदेशी शक्तियां राष्ट्र के अन्दर घुसकर तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करना चाहती हैं, उस समय विशेष रूप से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चाहे वह पंजाब का मामला हो और चाहे वह कश्मीर का मामला हो जिस तरह से विदेशी शक्तियों की घुसपैठ साबित हुई है, उसी संदर्भ में हमें इसे देखने की आवश्यकता है। क्या कारण है इस वर्ष विशेष रूप से तरह-तरह की घटनायें हमारी शान्ति व्यवस्था को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। चाहे वह साम्प्रदायिक बातें हों या दूसरी ? मान्यवर, मैं सोच रहा था कि कुछ सुझाव दूं लेकिन आज जब माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार था कि थानों की संख्या बढ़ाई जाय। जो बड़े-बड़े थाने हैं, उनको छोटे-छोटे थानों के रूप में किया जाय। जब मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष 50 नये थाने खोले जायेंगे और 75 अगले वर्ष खोले जायेंगे तो यह जानकर हमको प्रसन्नता हुई और मुझे विश्वास है कि इससे शांति व्यवस्था स्थापित करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। सभी थानों पर जीप की व्यवस्था किया जाना, वायरलेस सेट लगाने की व्यवस्था और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने की बात निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लायेगी। यह हम सब ने देखा है कि बड़े-बड़े तनावों के बीच में, चाहे वह साम्प्रदायिक तनाव किसी शहर विशेष में हो, उन जगहों पर किस तरह से शान्ति स्थापित रही कुछ लोग जो आग भड़काना चाहते थे, भड़का नहीं पाये इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने समय रहते हुए प्रभावी कार्य किया।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव के कुछ संवेदनशील जिले हैं और उन संवेदनशील जिलों में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। मेरा अपना सुझाव है कि निश्चित रूप से कुछ और प्रभाव-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शाली कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। जैसे हाउसेज का आवंटन होता है। वह कुछ इस तरह से हो कि एक ही जाति विशेष या वर्ग विशेष के लोगों को एक मुहल्ले में आबाद न किया जाय। जाति और धर्म के आधार पर मकानों का आवंटन न किया जाय। फैक्ट्रीज जो लगती हैं उनमें आवश्यकता इस बात की है कि हर धर्म और हर जाति के लोगों को एक इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स में उद्योग लगाने की व्यवस्था की जाय। अभी विकेन्द्रीकरण के बारे में मा0 नेता विरोधी दल ने कहा था मैं बड़ी गम्भीरता से उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मा0 विधायकों और दूसरे लोगों को इस सचिवालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शायद उन्होंने मा0 मुख्य मंत्री जी को नहीं सुना। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मण्डलीय स्तर पर यह व्यवस्था की जा रही है कि मण्डल में मण्डलायुक्त या विभागाध्यक्ष स्थानान्तरण कर लें। मा0 नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि मंत्री लोग चपरासी से लेकर बड़े अधिकारियों तक के ट्रांसफर में रुचि लेते हैं। उनको भी ढाई वर्ष का अनुभव है कि कितने लोगों के स्थानान्तरण उन्होंने किये हैं। कभी यदि ऐसी समस्या आती है और मंत्री को यह लगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ जिला स्तर पर या मण्डल स्तर पर न्याय नहीं हो रहा है तो यदि उसमें मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो कोई अनुचित बात सर्वथा नहीं होगी।

मैंने माननीय नेता, विरोधी दल को बड़े गौर से सुना। मुझे विश्वास था कि निश्चित रूप से उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में कुछ गम्भीरता की झलक आयेगी और कुछ ऐसा दिखायी पड़ेगा जिससे हम लोग भी कुछ उनसे सीख सकें, किन्तु जिस तरह से शब्दों का प्रयोग वे कर रहे थे, मैं कह सकता हूं कि वह उनके वरिष्ठ नेता के लिये शोभा नहीं देता। वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि इस सदन के अन्दर, तो मैं माननीय विरोधी दलों के नेताओं से ही जानना चाहूंगा कि क्या यह उचित है? आपने कहा कि सी0 आर0 पी0 लगायी गयी और अघोषित आपात्काल जैसी स्थिति हो गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था रही कि नहीं, जिस तरह का तनावपूर्ण वातावरण पैदा किया जा रहा है, और जिस तरह की आशंका थी लोगों के मन में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और वह गलत साबित हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के प्रशासन को कि समय रहते पूरी चुस्ती के साथ उसने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। अभी 3 महीने के अन्दर हर तीसरे महीने अनुश्रवण की बात कही गयी, वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गत होने की बात की गयी कि हर तीसरे महीने निर्गत की जायेंगी। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार जागरूक है कि जो विकास के काम हैं समय के अन्दर पूरे किये जायं। साम्प्रदायिक वातावरण की बात है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मुझे बड़ी तकलीफ है कि एक तरफ तो हम भाषण देते हैं साम्प्रदायिकता नष्ट करने के लिये और दूसरी तरफ साम्प्रदायिक भावना को फैलाना चाहते हैं, जिसके लिये हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी, अपना सब कुछ त्यागा। आज मुझे अफसोस है इस बात का,

आवश्यकता इस बात की थी कि चाहे वह नेता, विरोधी दल हों या इस पक्ष या उस पक्ष के कोई माननीय सदस्य हों, वह नकारते इस बात को और कहते इस बात को कि साम्प्रदायिकता का विष बोने वालों के दांत तोड़े जायेंगे। आपने हरिजनों की दुहाई दी। यह दुहाई अक्सर आप चुनाव के समय देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह चुनाव का समय नहीं है, चुनाव के समय भी जब यह घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उसका कोई भी प्रभाव जनता में नहीं पड़ा है। यही वजह है कि हरिजन और अल्पसंख्यक वर्ग आज हमारे साथ है और इसी से दुखी होकर ये ऐसी चीजें सामने रखते हैं चाहे वह पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 का झगड़ा हो या धार्मिक और जातीय बात हो जैसे उन्हें लग रहा हो कि अभी कल ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव अभी बहुत दूर हैं।

गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी कार्य-कलाप निवारण विधेयक, जो अभी इस सदन ने पास है, उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जो चर्चा सदन में, विरोध पक्ष के किसी भी नेता ने इस विधेयक की कोई भी बुराई नहीं की, केवल इतना ही कहा कि इसका कार्यान्वियन ठीक नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यान्वियन ठीक न होने के आधार पर आप आई0 पी0 सी0 की दफा 302, 304 और 307 को समाप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते।

आखिरी सुझाव है अधिकारियों की संख्या पुलिस में तो बढ़ी है लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी संख्या भी उस अनुपात में और बढ़ाई जाय। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमती विमला राकेश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मान्यवर, देश के प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने और प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह ने इस देश की जनता के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ एक वायदा किया था, एक आश्वासन दिया था गरीबी को दूर करने का, बेरोजगारी को दूर करने का, भ्रष्टाचार दूर करने का, पूंजीवादी व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक शक्तियों के चंगुल से इस देश की जनता को मुक्त रखने का। मान्यवर, वायदा किया था जनता को रोटी देने का, रोजी देने का, मकान देने का और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज देश में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, रिश्वतखोरी बढ़ी, चोरबाजारी बढ़ी और साम्प्रदायिक शक्तियां तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। पुलिस की बर्बरता और स्वार्थपरता बढ़ी, अधिकारी वर्ग असामाजिक तत्वों एवं पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं।

(कई सदस्यों द्वारा शोर करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

देखिये जब कोई महिला सदस्य बोल रही हो तो आप लोग शान्ति बनाये रखें और शान्ति से सुनें।

देश में रहने वाले लाखों मुसलमान भाई जुल्म के शिकार हो रहे हैं, हरिजनों का नरसंहार किया जा रहा है। हरिजनों की दुहाई देने वाली यह कांग्रेस सरकार हरिजनों के नाम पर लाखों, करोड़ों रुपया बटोरने में लगी है।

आजादी के 38 वर्षों बाद भी हमारी माताओं तथा बहनों को अपना तथा अपने बच्चों का पेट भरने के लिये अपने शरीर तक का सौदा करना पड़ता है। दहेज के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है। मान्यवर,

"गले में हार डाला था गला अपना सजाने को,

वही अब नाग बन बैठा हमी को काट खाने को"

आज हमारे मुख्य मंत्री जी एक नाग की भांति इस प्रदेश की कुर्सी को जकड़े हुए हैं और उनके सत्ता पक्ष के लोग पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं। धिक्कार है आज के इन राजनेताओं को जो देश तथा प्रदेश की सीधी-सादी जनता को अपने झूठे आश्वासनों में बहका कर वोट रूपी विजयश्री हासिल करने के उपरान्त भ्रष्टाचार की जय-जय-कार में सुर मिलाने लग जाते हैं।

मान्यवर,

"परदाफरोशों की दुनियां की क्या चर्चा करूं?

रिश्वतखोरों ने जाने जिगर ले लिया है।

कत्ल होने से हम भी कहां तक डरें, कातिलों के मुहल्ले में घर ले लिया है।।"

मान्यवर, यह कातिल सरकार जो अपने ही देश को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकी, यह कातिल सरकार जो हिंसक घटनाओं को नहीं रोक सकी, यह कांग्रेस सरकार जो लाखों निर्दोष नागरिकों, मासूम बच्चों और सुकोमल ललनाओं की रक्षा नहीं कर सकी। यह कांग्रेस सरकार जो समाजवाद राजनेताओं एवं पत्रकारों की हत्याओं को नहीं रोक सकी। यह सरकार जो अधिवक्ताओं, विधायकों और महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित नहीं रख सकी। देश के वह प्रधान मंत्री, राजीव गांधी जो अपने ही भाई की विधवा मेनका गांधी को संरक्षण नहीं दे सके और अपने ही लावारिश भतीजे, वरूण को नहीं अपना सके। मैं जानना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों से कि क्या वह इस देश में रहने वाले लाखों करोड़ों माताओं बहनों तथा बच्चों को क्या संरक्षण प्रदान कर सकेंगे, कदापि नहीं। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अराजकता को समाप्त करने की बात करते हैं प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन लाने की बात करते हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि-

"किसने हमें लूटा है, किसने हमें मारा है।

हालात बताते हैं रहबर का इशारा है।"

मान्यवर, यह कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि गांवों का विकास हो, यह सरकार नहीं चाहती कि गरीब की झोपड़ी में प्रकाश हो। मुख्य मंत्री नहीं चाहते कि इस देश के गरीब हरिजन और उनके बच्चे पढ़ लिखकर उच्च पदों पर जायें हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते कि प्रदेश का विकास हो। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कटौती चाहूंगी कि–

"आप तो हर रोज हमें मौत का पैगाम दिये जाते हैं।

यह सजा कम तो नहीं कि हम जिये जाते हैं।"

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सामान्य बजट पर आपने जो विचार रखने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मान्यवर, हमने आस्था और विश्वास मतदान के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से पाया था और यही प्रतीक है कि आज सत्ता पक्ष में इतना बहुमत है। मान्यवर, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब सत्तापक्ष और विपक्ष इस सदन में एक दूसरे को देता है। मान्यवर, अगर सामाजिक संरचना पर गौर किया जाये तो विधायिका में बैठने वाले विधायकों का उसके निर्माण में बड़ा भार रहता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जहां एक ओर विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं, वहीं मैं बताना चाहता हूं कि सत्तापक्ष ने साम्प्रदायिकता की ज्वाला में गंगा जल छिड़कने का प्रयास किया है। मेरठ, मुरादाबाद, बाबरी मस्जिद और राम कृष्ण जन्म भूमि का नारा देकर इन्होंने मजहबी सियासत को जनता के सामने रखा है। क्या यह समाज को जला देना चाहते हैं अपनी हिंसा की अनुभूति को हिंसात्मक उन्माद से। हमारे शासन ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने एक सफल और सक्षम प्रयास किया है, इस साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने का और इसके लिए प्रदेश के शासन को हमें बधाई देना चाहिए। मान्यवर, एक दूसरा पक्ष उठता है, मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय नेता विरोधी दल का बौद्धिक रूप से, मैं उनको विचारक समझता रहा लेकिन मान्यवर, जब-जब माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विचारों को इस सदन में रखा है उनके बौद्धिक दिवालियेपन का सबूत इस सदन को मिल गया। मान्यवर, जहां प्रदेश के सदन में विपक्ष में जहां एक तरफ शिवानन्द नौटियाल, रवीन्द्र नाथ तिवारी, कल्याण सिंह और शतरुद्र प्रकाश जैसे प्रखर वक्ता हैं वहीं विरोधपक्ष के नेतृत्वकर्ता अपने बौद्धिक दिवालियेपन को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का इतिहास उठाकर 1952 से आज तक, देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी सरकार थी जिसने हरिजनों को गिरिजनों को, समाज के पिछड़े हुए कुचले हुए और दबे हुए लोगों को जीने का रास्ता दिखाया था वह कांग्रेस की सरकार ही है। मान्यवर, आज यहां उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव एक हरिजन हैं लेकिन माननीय नेता विरोधी दल की निगाह एक सब इन्स्पेक्टर पर रुकती है, एक कांस्टेबिल पर रुकती है। आज हमने समाज के कुचले और दबे हुए लोगों को जीने का रास्ता दिखाने का प्रयास किया है तो हमारा विरोध क्यों? मान्यवर, मैं एक सवाल पूंछना चाहता हूं हम सृजन और निर्माण में विश्वास रखते हैं, हम समाज को नयी धारा देने में विश्वास रखते हैं, हम अपनी मान्यताओं को जिन्दा रखने में विश्वास रखते हैं और जो कमियां आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि निरंकुश अफसरशाही, इस प्रदेश में हावी होती जा रही है मान्यवर, कुछ प्रतिशत में इससे सहमत हूं। देश में जिस दर में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है उस दर से समाज के सभी वर्गों को बराबर-बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्ति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 इस प्रदेश की कार्यपालिका को बल देने के लिए आते हैं तो उनको यह नहीं समझना चाहिए कि हम समाज के किस वर्ग से उठाकर आये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस निरंकुश अफसर शाही को अंकुश लगाने का प्रयास करें। जिससे कि वह अपने कर्तव्यों को न भूल जायं और विधायिका के सदस्यों की अवमानना सड़कों और चौराहों पर न हों। मान्यवर, एक सवाल उठता है हमारे और आपके जिले में प्रदेश के शासन में, अक्सर राजेन्द्र गुप्त जी भी कहते हैं कि क्षेत्रीय समिति की बैठक में अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। मान्यवर, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि क्षेत्रीय समितियां विकास का आधार होती हैं इनमें अगर अधिकारी शामिल नहीं होते हैं तो सम्बन्धित सदस्यों को कुंठा जागृत होती है। दूसरा सवाल मान्यवर, उठता है जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यरत हैं इन पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को यह जानना चाहिये कि वह जनता के सेवक हैं हम अगर जनता की शिकायतों के प्रति बात करने के लिए उनके दरवाजे पर जाते हैं तो उनको समय निकाल कर हमारी बात को सुनना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जमुना प्रसाद बोस–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे बीच में जो सत्ता पक्ष के एक सदस्य बोल रहे थे तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। वे बोल रहे थे कि निरंकुश नौकरशाही पर यह सरकार कंट्रोल करे। इसका मतलब यह हुआ कि यह वे स्वयं महसूस करते हैं कि यह शासन नौकरशाही का है, सरकार का नहीं है। अभी यहां पर जो पुस्तिका उत्तर प्रदेश पुलिस के क्रिया-कलापों की बांटी गई है उसमें कुछ प्रमुख मुठभेड़ें दिखाई गई हैं। अभी काशी से एक सर्वोदय संस्थान की बुन्देलखण्ड के बांदा जनपद में गई थी। उसने एक सर्वेक्षण किया था और रिपोर्ट दी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बांदा जनपद में दो सौ निरीह हरिजनों की हत्यायें मुठभेड़ दिखकर की गई। वह मुठभेड़ नहीं हुई बल्कि निरीह और कमजोर वर्ग के लोगों को अपने-अपने घरों से पकड़कर ले जाये गये और मुठभेड़ दिखाकर उन्हें मार दिया गया। मान्यवर, यह किसी राजनीतिक दल की रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक सर्वोदय संस्थान की रिपोर्ट है जो निष्पक्ष तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुठभेड़ें होनी चाहिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो दधुवा गैंगी है जो कितने ही लोगों की हत्या कर चुका है और कितने ही लोगों को पकड़कर फिरौती के लिये ले गया। वहां पी0 ए0 सी0 पड़ी हुई है, उसने

बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। आप कहते हैं कि पुलिस का मोरेल ठीक करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी चले जायं, किसी भी रेल गाड़ी में जायं अगर वह पुलिस का आदमी होगा तो वह बिना टिकट के आपको मिलेगा। बसों को और प्राइवेट बसों को वह अपनी निजी जायदाद समझते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून को तोड़ना इनका प्रथम नियम है। जो कानून चौबीसों घन्टे तोड़ते रहते हों, उनसे आप क्या आशा कर सकते हैं। अभी एक गिरोहबन्दी कानून बनाया गया है। यह आप लिख लीजिये कि यह कानून कांग्रेस सरकार के लिये अशुभ साबित होगा। जिस तरह से कांग्रेस ने इमरजेंसी एवं मीसा लगाकर सारे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार स्वयं समाप्त हो गई थी उसी प्रकार उत्तर प्रदेश निर्दोष और निरीह जनता के लिये यह गिरोहबन्दी कानून बनाकर यह कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार समाप्त हो जायेगी। इस सरकार के अंदर मानवता नाम की, इन्सानियत के नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। गान्धवर, अलीगढ़ में अतरौली में एक विद्यार्थी को पुलिस ने मारा। गोली मारकर उसको इस तरह से घसीटा कि उसकी आंतें निकल आयी थीं और पुलिस वालों ने अपने जुतों से उसकी आंतों को अंदर किया और इस प्रकार उसकी जान चली गई। अभी एक मामला कानपुर का यहां पर उठाया गया था कि वहां पर कोई लोहा सिंह है। वह करीब-करीब दो-तीन महीने में हर थाने से हटा दिये जाते हैं। वह एक कुत्ता छोड़ देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसे आप बोर्डर सेक्यूरिटी फोर्स में क्यों नहीं भेज देते। उसकी स्थिति यह है कि वह दो-तीन महीने से ज्यादा कहीं पर टिक नहीं सकते। वह पुलिस प्रशासन में रहने लायक नहीं हैं। बांदा जनपद में एक एस0 पी0 थे। उनका बुलन्दशहर में ट्रांसफर हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार कैसे आदमियों को रखती है। वह आदमी ऐसा है कि हर मोटर के पहिये को पंचर कर देता था। कोई ट्रक, बस या मोटर जाती थी उसके पहिये में स्वयं कील ठोक देता था। जो सिपाही है

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

उनसे यह काम कराती, स्वयं क्यों इस काम को करते हैं? बांदा एक छोटा जिला है लेकिन इनका प्रमोशन बड़े जिले में बुलन्दशहर के लिए कर दिया लेकिन वहां पर इनके कांग्रेसी ही उनके पल्ले पड़ गये और वहां से उनको हटा दिया गया। जहां विरोधी पक्ष के लोग पीड़ित होते हैं वहां से ऐसे लोगों को नहीं हटाते हैं लेकिन जहां कांग्रेसी सताये जाते हैं वहां पर सजा मिल जाती है। आज विधायकों का सड़कों पर अपमान हो रहा है विपक्ष को छोड़ दीजिये सत्ता पक्ष के विधायकों का अपमान हो रहा है। जो शासन विधायकों की रक्षा नहीं कर सकता, वह इस देश और प्रदेश की निरीह जनता की रक्षा क्या करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस निरंकुश हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बोस साहब, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जमुना प्रसाद बोस–

यहां पुलिस को हटा कर सैंट्रल रिजर्व पुलिस को यह काम दे दीजिये तो प्रदेश

का ज्यादा हित होगा । एक आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस प्रदेश के हित के लिये, शासन के हित के लिये, जनता हित के लिये सतर्कता विभाग को पुलिस से अलग कर दिया जाय । इन शब्दों के साथ, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इसी पर बहस कल भी जारी रहेगी इसलिए अगली मदों पर आ रहा हूं ।

नियम 51 के अंतर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अंतर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई थी उसमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना सुल्तानपुर में बल्दीग्राम में असामाजिक तत्वों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो है उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है शेष को अस्वीकार किया गया है ।

श्री ओम प्रकाश ब्लाक प्रमुख तथा श्री राम वृक्ष खण्ड-विकास अधिकारी, चरगांवा, गोरखपुर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कातिलाना हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 27-2-86 को रात्रि 8.45 बजे श्री ओम प्रकाश ब्लाक प्रमुख व श्री रामवृक्ष, खण्ड विकास अधिकारी, चरगांवा जिला गोरखपुर क्षेत्रीय दौरा करके वापस आ रहे थे तो थाना चिलुवाताल के अन्तर्गत फतेहपुर गांव के सामने एफ0 सी0 आई0 से मेडिकल कालेज की ओर जाने वाली सड़क खड़ंजा पर पानी की टंकी के पास अभियुक्त जैनुद्दीन वकील निवासी ग्राम नौतन, साबिर अली निवासी ग्राम फतेहपुर तथा श्रीराम यादव निवासी ग्राम हरसेवकपुर टोला दहला ने उनके ऊपर बम से प्राणघातक हमला किया था । श्री ओम प्रकाश ने उक्त घटना की लिखित नामजद सूचना थाना गुलरिहा पर दिया जिसमें प्रतिवादियों के रूप में सर्वश्री जैनुद्दीन वकील, साबिर अली तथा श्रीराम को नामित किया गया जिस पर अपराध संख्या शून्य धारा 307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । श्री ओम प्रकाश ब्लाक प्रमुख तथा श्री रामवृक्ष खण्ड विकास अधिकारी को तुरन्त उपचार हेतु मेडिकल कालेज गोरखपुर भिजवाया गया । घटनास्थल चिलुवाताल थाने के अन्तर्गत होने के कारण उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को तुरंत चिलुवाताल थाने भेज दिया गया और वायरलेस से भी सूचना दी गई । फलस्वरूप थाना चिलुवाताल पर दिनांक 27-2-86 को ही मुकदमा अपराध संख्या 34/86 अन्तर्गत धारा 307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष गुलरिहा, थानाध्यक्ष चिलुवाताल और क्षेत्राधिकारी कैन्ट तुरन्त मौके पर मय पुलिस बल के पहुंच गए और अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश आरम्भ की गई । उसी रात्रि में उनके घरों पर भी दबिश दी गई परन्तु अभियुक्तगण नहीं मिल पाए ।

दिनांक 2-3-86 को इस घटना के मुख्य अभियुक्त जैनुद्दीन वकील, निवासी ग्राम नौतन को गिरफ्तार करके जेल भेजा

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया । अन्य अभियुक्त साबिर अली और श्रीराम यादव अदालत में हाजिर हुए और उन्हें दिनांक 4-3-86 को जेल भेजा गया ।

श्री ओम प्रकाश, ब्लाक प्रमुख व श्री रामवृक्ष, खण्ड विकास अधिकारी की हालत अब ठीक है खण्ड विकास अधिकारी को चोट लगने का कारण उस दिन उनका संयोग-वश ब्लाक प्रमुख के साथ चलना था । श्री रामवृक्ष को मेडिकल कालेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है । परन्तु श्री ओम प्रकाश अभी मेडिकल कालेज के अस्पताल में ही हैं ।

श्री ओम प्रकाश की सर्वश्री जैनुल आब्दीन (जैनुद्दीन वकील), साबिर अली व श्री राम के गुट से पुरानी रंजिश है । ठेके व अन्य मुद्दों को लेकर आपस में संघर्ष पहले भी हुआ है । दोनों पक्षों का अपराधिक इतिहास भी है । यह घटना भी पुरानी दुश्मनी व अपराधिक इतिहास की एक कड़ी है । श्री ओम प्रकाश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध रह चुके हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि इस घटना को लेकर पूरे जनपद गोरखपुर में सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों में अपनी सुरक्षा के लिए भय व आतंक का वातावरण व्याप्त है । जनता व जिला प्रशासन दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश से अवगत है । स्थिति सामान्य एवं पूर्ण नियंत्रण में है ।]

श्री राम सागर–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो घटनास्थल है उससे थाना 100-150 मीटर की दूरी पर है । इस हल्ले को सुनकर तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए। लेकिन पुलिस जो थाने में मौजूद थी वह वहां नहीं पहुंची, वे थाने में बैठे रहे। अगर पुलिस वहां पर पहुंच गई होती तो अपराधी पकड़ लिए जाते । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

किस बात की ?

श्री राम सागर–

पुलिस इतनी नजदीक थी, थाना वहां से 100 मीटर दूरी पर था । तो क्या इस बात की जांच करायेंगे कि क्यों वहां नहीं गई, जब इतना हल्ला हुआ लोग वहां पहुंच गए । तो उन लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं इस प्रकार का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य का कहना है कि घटना-स्थल से थाना थोड़ी दूर पर था, तो इसमें पुलिस को पहुंचने में विलम्ब क्यों हुआ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं है चूंकि इस प्रकार का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, ब्लाक प्रमुख श्री ओम प्रकाश की हालत चिन्ताजनक है, वह अस्पताल में हैं, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो यह सामाजिक कार्य करने वालों पर हमला हुआ है और मैं कहना चाहता हूं कि वह अब भी असुरक्षित हैं, इसलिए इसको देखते हुए क्या मंत्री जी उनकी जान की सुरक्षा की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।

इटावा में लोकदल कार्यकर्ता श्रीमती कमला देवी की हत्या किए जाने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय । (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 2-10-85 को श्रीमती कमला देवी गंगासागर जाने की बात बताकर गांव से गई हैं और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं । श्रीमती कमला देवी की हत्या या अपहरण आदि के संबंध में उनके किसी रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति ने कोई प्रथम सूचना दर्ज नहीं कराया है । श्रीमती कमला देवी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की समस्या नहीं थी अतः किसी अधिकारी के नाराज होने का प्रश्न ही नहीं उठता । अब सूचना प्राप्त होने पर उनके गायब होने के संबंध में जांच की जा रही है ।]

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जांच किस अधिकारी ने किया और वह किस रैंक के हैं? उनका नाम क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

रिपोर्ट ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा भेजी गयी है और जांच सी0 ओ0 ने किया था।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, गंगा सागर मेले में जाने की बात कही गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि गंगा सागर मेला किस तारीख को शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, 2-10-85 को श्रीमती कमला देवी गंगासागर गयी थीं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मंत्री जी तारीख नही बता पा रहे हैं, मैं बताता हूं कि मेला 14 जनवरी को लगा था और दो अक्टूबर को बता रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जांच करा देंगे ।

जांच अधिकारी, सी0 ओ0 का नाम चरणपाल सिंह है।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
18 मार्च, 1986

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 29(4) के ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर]

मु0 अप0 सं0–135 ए/85 धारा 302 भा0 द0 वि0 थाना खण्डासा, फैजाबाद।
चिक संख्या–507 कैन्ट जिला फैजाबाद।
दिनांक घटना–22-12-85 से 23-12 85 के बीच अदम तहरीर।
ता0 सूचना–24-12-85 समय 16.00
घटना स्थल–ग्राम आखा थाना खण्डासा

वादी–श्री कृष्ण बिहारी मिश्र पुत्र मनीक दत्त मिश्र मौजा कयामपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी।

बनाम–पुलिस थाना खण्डासा, फैजाबाद।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

समक्ष श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, फैजाबाद कृष्ण बिहारी मिश्र पुत्र मनीक दत्त मिश्रा मौजा कयामपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी प्रार्थी महोदय प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है। धारा 1 यह कि प्रार्थी मौजा कयामपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी का निवासी है और उसके चतुर्थ पुत्र सुरेश कुमार उर्फ टुनटुन था। धारा 2 यह कि उक्त सुरेश कुमार उर्फ टुनटुन कल दिनांक 22-12-85 को सुबह 8 बजे घर से अपनी रिश्तेदारी मौजा आखा थाना खण्डासा जिला फैजाबाद एक आवश्यक कार्य से घर से साइकिल द्वारा चला और उसके पास एक बैग में पहिनने के कपड़े हाथ में टाइमस्टार घड़ी व 1200/-रुपये नगद थे। धारा 3 यह कि प्रार्थी को आज घर सूचना मिली कि उसके लड़के सुरेश कुमार को अमानीगंज थाना खण्डासा की पुलिस अकारण पकड़कर और दोनों हाथ बांध कर नामालूम क्यों जला दिया उक्त सुरेश कुमार की कोई अपराधिक इतिहास भी नहीं है। धारा 4 यह कि उक्त सूचना पाने पर प्रार्थी घर से फैजाबाद आया और जिला अस्पताल में जांच किया तो ज्ञात हुआ कि उक्त सुरेश कुमार जिला अस्पताल, फैजाबाद में भर्ती था और उसकी मृत्यु आज सुबह हो गयी। प्रार्थी ने लाश की तलाश किया तो पता चला कि लाश पुलिस वाले ले गये हैं। तत्पश्चात् प्रार्थी चीरघर गया वहां भी लाश का पता नहीं चला अब तक प्रार्थी को जो तथ्य ज्ञात हो चुका है वह ऊपर अंकित कर दिया है। अपराधियों के नाम तथा घटना के कारण का पता अभी तक प्रार्थी को नहीं मिल पा रहा है। घटना का पूर्ण विवरण ज्ञात होने पर प्रार्थी श्रीमान् जी को पुनः सूचित करूंगा। अतएव श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराके घटना क्रम की जांच की जावे और अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तुरन्त अमल में लायी जावे प्रार्थी ह0– कृष्ण बिहारी मिश्र, उर्फ मुनीक दत्त मिश्रा मौजा कयामपुर थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी दिनांक 23-12-85 थानाध्यक्ष, कैन्ट कृपया मुकदमा कायम और कायम कर थाना खण्डासा को विवेचना के लिए भेजें। ह0– एस0 एस0 पी0 24-12-85, लेखक एफ0 आई0 आर0 बृजेश सिंह थाना खण्डासा।

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

उभय पक्ष के व्यक्तियों के नाम

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1. रमेश सिंह	1. शमशुद्दीन उर्फ बब्बू
2. चन्द्र भूषण सिंह	2. अनीस
3. शैलेन्द्र उर्फ पप्पू	3. नफीस
4. शैलेन्द्र सिंह	
5. राणा प्रताप	
6. भगवान पहलवान	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

उत्तर प्रदेश प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियम, 1978 (संशोधित 1981) के मान्यता नियम के अनुसार जिला स्तरीय पत्रकारों को मान्यता देने का मानक निम्न प्रकार है :

जिला मुख्यालय तथा जिले के प्रमुख स्थानों में मान्यता के नियम

25—यह नियम राज्य के समाचार-पत्रों अथवा समाचार एजेंसियों के जिला मुख्यालयों अथवा प्रमुख स्थानों में स्थित पत्र-प्रतिनिधि के लिए लागू होंगे।

26—समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी का सम्पादक या पत्र-प्रतिनिधि जिले में मान्यता के लिए प्रस्तावित पत्र-प्रतिनिधियों के नाम निर्धारित फार्म (परिशिष्ट-2) पर पासपोर्ट आकार की फोटो सहित निदेशक को भेजेंगे। निदेशक पत्र-प्रतिनिधियों की सूची अपनी टिप्पणी और जिलाधिकारियों से उपलब्ध सूचनाओं को मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्पादक जिला पत्र-प्रतिनिधियों की सूची के साथ उनके पत्रकारिता सम्बन्धी अनुभव आदि का उल्लेख करेंगे। मान्यता-पत्र निदेशक जारी करेंगे।

27—जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त करने के लिए समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेन्सी के पत्र-प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं :—

1. सामान्यत: मान्यता प्राप्ति के समय पत्र-प्रतिनिधियों का निवास जिला मुख्यालय में ही होना चाहिये।

2. उसे सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।

3. सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों और अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों का उसे कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

28—समाचार एजेन्सियों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायगा :—

1. वितरण प्रणाली और सेवाएं तथा

2. न्यूनतम दस समाचार-पत्रों का उल्लेख जिन्हें नि:शुल्क समाचार भेजे जाते हैं।

29—समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार किया जायगा :—

1. प्रकाशन की अवधि और नियमितता।

2. समाचार-पत्र का स्तर और उसकी ग्राहक संख्या—1 मान्यता देने के लिए दैनिक पत्र की प्रमाणित ग्राहक संख्या कम से कम दो हजार

तथा साप्ताहिक पत्र की ग्राहक संख्या कम से कम एक हजार होनी चाहिए। प्रमाण-पत्र यथासम्भव चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का होना चाहिए। नियमितता कम से कम 80 प्रतिशत प्रकाशन पर मानी जायगी ।

30—दैनिक या साप्ताहिक पत्र का सम्पादक नियमानुसार यदि अन्य शर्तें पूरी करता है तो उसे भी मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

31—(क) प्रदेश के बाहर प्रकाशित दैनिक पत्र जिनकी प्रदेश में प्रसार संख्या कम से कम 10,000 हो, के प्रतिनिधियों के मंडलों के मुख्यालयों तथा कानपुर में ही मान्यता दी जा सकती है । विशेष परिस्थितियों में सम्पादक द्वारा औचित्य बताने पर अन्य स्थान पर मान्यता दी जा सकती है।

(ख) प्रदेश के बाहर प्रकाशित साप्ताहिक पत्रों, जिनकी प्रदेश में कम से कम 5,000 प्रसार संख्या हो शासन के मुख्यालय लखनऊ के अतिरिक्त प्रदेश के किन्हीं अन्य दो जिलों में उनके प्रतिनिधि को मान्यता दी जा सकती है।

(ग) प्रदेश में प्रकाशित बड़े दैनिक समाचार-पत्र जिनका प्रसार 10,000 से अधिक हो, के अधिकतम चार प्रतिनिधियों को उसके प्रकाशन के जिले में तथा केवल एक प्रतिनिधि को जिला मुख्यालयों पर ही मान्यता दी जायेगी ।

(घ) प्रदेश के अन्य दैनिक समाचार-पत्रों, जिनकी प्रसार संख्या 10,000 तक हो, उनके एक-एक प्रतिनिधि को केवल उनसे सम्बन्धित कमिश्नरी के जिलों में मान्यता दी जा सकती है।

(ङ) प्रदेश के ऐसे सप्ताहिक पत्र जिनका प्रसार 5,000 से अधिक हो, के एक प्रतिनिधि को मंडलों के मुख्यालय तथा कानपुर में ही मान्यता दी जा सकती है।

(च) 5,000 से कम प्रसार वाले प्रदेश के साप्ताहिक पत्रों के एक प्रतिनिधि को पत्र के प्रकाशन के जिले के मुख्यालय में तथा सम्बन्धित मण्डल के मुख्यालय में मान्यता दी जा सकती है।

32—स्थायी समिति पत्र-प्रतिनिधि के अनुरोध पर अस्थायी मान्यता प्रदान कर सकती है। इसकी पुष्टि मान्यता समिति की अगली बैठक में की जायेगी।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

वर्ष 1984 में राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ में व्याप्त विवादों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच का संक्षिप्त ब्योरा

जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 9-8-1984 जो तत्कालीन सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित किया गया है, यह सूचित किया है कि राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ में कुछ समय से विवाद की स्थिति चल रही थी और कुछ समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हो रहे थे जिससे विद्यालय की छबि धूमिल हो रही थी, इस सम्बन्ध में तत्कालीन प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ ने भी जिलाधिकारी से इस प्रकार की शिकायत की थी कि उन्हें कुछ शिक्षकों से सहयोग नहीं मिल रहा है और प्रधानाचार्य ने यह संस्तुति की कि ऐसे अध्यापकों के स्थानान्तरण कर दिये जायं।

2—उपरोक्त के प्रकाश में जिलाधिकारी, लखनऊ ने स्वयं अपने स्तर से अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से जांच कराई थी। जांच से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आये :—

(1) प्रधानाचार्या द्वारा जिला प्रशासन को गलत शिकायत की गई है।

(2) प्रधानाचार्या द्वारा एक छोटे से वर्ग को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे गुटबंदी व्याप्त होती है।

(3) प्रधानाचार्या द्वारा अपने विरोधी गुट के विरुद्ध छात्रों को उकसाने आदि की कार्यवाही की जा रही है।

3—अन्त में जिलाधिकारी, लखनऊ ने यह संस्तुति की कि जनहित में राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ की प्रधानाचार्या को स्थानान्तरित कर दिया जाय। प्राप्त तथ्यों के आधार पर तत्कालीन प्रधानाचार्या का राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर।)

नियुक्तियों से सम्बन्धित विवरण—दिसम्बर, 1983 से 30-6-85, नगरपालिका सण्डीला, हरदोई)

क्रम-सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	दैनिक वेतन/नियमित	नियुक्ति की तिथि	किस अधिकारी के आदेश से नियुक्ति की गयी	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एस0पी0 सिंह	मांग लिपिक	नियमित	1-3-84	प्रभारी अधिकारी	मांग लिपिक श्री अरविन्द मिश्रा के लम्बे अवकाश पर जाने के कारण तथा काय पर न आने के कारण नियुक्ति की गयी।
2	श्री राज पाल	पौण्ड मोहर्रिर	. .	23-5-84	चयन समिति की संस्तुति के आधार पर।	मोहम्मद बली पौण्ड मोहर्रिर के सेवा निवृत्त होने पर नियुक्ति की गयी।
3	श्री परवेज खान	. .	दैनिक वेतन	18-6-85 से 24-8-85 तक	प्रभारी अधिकारी	लेखा लिपिक के निलम्बित किए जाने के कारण तथा प्रधान लिपिक के पास कार्य अधिक होने के कारण।
4	श्री अरविन्द मिश्रा	चुंगी मोहर्रिर	नियमित	22-5-84	चयन समिति की संस्तुति के आधार पर।	श्री जाहिद अली के सेवा निवृत्त होने के कारण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
5	श्री सईद अहमद	,,	,,	25-2-85	प्रभारी अधिकारी	इनके पिता श्री फारुक अली, मोहर्रिर की सेवा काल में कार से दुर्घटना होने पर मृत्यु के कारण ।
6	श्री फयौजाबली	इलेक्ट्रिशियन	दैनिक वेतन	16-9-84 31-5-85 तक	प्रशासक की स्वीकृत पर	स्ट्रीट लाइट व्यवस्था हेतु
7	तदैव	पम्पअटेंडेण्ट	,,	1-6-85 से	तदैव	नवमिर्मित पम्प पर पम्प चलाने हेतु ।
8	श्री अशोक कुमार	,,	,,	7-10-85 से 3-2-84	प्रभारी अधिकारी प्रशासक की स्वीकृति पर ।	
9	श्री आनन्द कुमार	श्रमिक	,,	16-12-83 से 3-7-84 तक	प्रभारी अधिकारी ।	
10	श्री ओम प्रकाश	श्रमिक	दैनिक वेतन	1-8-84 से 31-8-84	प्रभारी अधिकारी	
11	श्री हीरालाल	,,	,,	1-11-84 से 30-11-85 तक	तदैव	
12	श्री प्रभू दयाल	,,	,,	14-3-85 से 15-4-85	तदैव	
13	श्री सुरेन्द्र कुमार	,,	,,	16-12-83 से 31-12-83	तदैव	
14	श्री बनारसी	,,	,,	1-1-84 29-1-84	तदैव	सफाई गैंग नाला बादि हेतु ।
				29-1-84	तदैव	17-9-84 से 19-9-84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15	श्री दिलीप	,,		17-9-84		1-10-84 से 6-10-8क। 22-10-84 22-10-84 से 27-10-84।
16	श्री ओम प्रकाश	,,	,,	,,	तदैव	तदैव
17	श्री राम प्रकाश	,,	,,	,,	तदैव	तदैव
17	श्री अशोक	,,	,,	17-9-84	प्रभारी अधिकारी	17-9-84 से 22-9-84। 23-9-84 से 30-9-84। 1-10-84 से 6-10-84। 15-10-84 से 20-10-84। 22-10-84 से 27-10-84।
18	श्री बांके लाल	,,	,,	17-9-84 से 22-9-84 तक	तदैव	तदैव
19	श्री सुन्दर	,,	,,	17-9-84	तदैव	तदैव
20	श्री भगवानादास	,,	,,	17-9-84	तदैव	तदैव
21	श्री राम प्रसाद	,,	,,	,,	तदैव	तदैव
22	श्री कैलाश	,,	,,	,,	तदैव	17-9-84 से 22-9-84 23-9-84 से, 29-9-84।
23	श्री नरेश	,,	,,	,,		1-10-84 से 6-10-84, 15-10-84 से 20-10-84 17-9-84 से 22-9-84 23-9-84 से 29-9-84। 1-10-84 से 6-10-84 15-10-84 से 20-10-84 22-10-84 से 27-10-84
24	श्री गोपाल	,,	,,	23-9-84	तदैव	
25	श्री विनोद	,,	,,	28-9-84 से 29-9-84 तक	तदैव	28-9-84 से 29-9-84। 1-10-84 से 6-10-84। 15-10-84 से 20-10-84 22-10-84 से 27-10-84
26	श्री मो0 शरीफ	ले0लाइटर	नियमित	30-12-84	तदैव	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नगरपालिका, साण्डी से सम्बन्धित विवरण दिसम्बर, 83 से 30–6–85 तक

क्रम-स0	नाम कर्मचारी	पदनाम	दैनिक वेतन नियमित	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति किसने की
1	2	3	4	5	6
1	श्री अरविन्द कुमार मिश्रा	लिपिक	दैनिक वेतन (रु0 10 प्रतिदिन)	15–6–85	प्रशासक द्वारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0–159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, संख्या पाँच, लखनऊ

श्री के0के0 बख्शी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सदस्य,
श्री राजेश्वर सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा, न्यायिक सदस्य
के समक्ष
दावा संख्या 801/(टी)/वी/80

श्री चन्द्रपति राय —याची
बनाम
विरोधी पक्षकार

निर्णय

22–11–83

(श्री राजेश्वर सिंह, न्यायिक सदस्य द्वारा परिदत्त निर्णय)

कांस्टेबिल चन्द्रपति राय ने यह याचिका उनको उनके पद से हटाए जाने के सम्बन्ध में श्रीभगवान सिंह प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा दिए गये आदेश दिनांक 3–7–79 (अनुलग्नक–8) के विरुद्ध दाखिल की है। याची ने यह अनुरोध किया है कि उनको उनके पद से हटाए जाने के उक्त आदेश को अभिखण्डित किया जाय।

2—अधिकरण ने विरोधी पक्षकारों से याची की नियुक्ति का आदेश दाखिल करने के लिए कहा। विरोधी पक्षकारों ने दिनांक 19–11–83 के अपने आवेदन के साथ उसे दाखिल किया। इस आदेश के पृष्ठ भाग के निचले भाग से यह स्पष्ट है कि याची को नियुक्ति कमान्डेंट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी थी। अतः यह स्पष्ट है कि पद से हटाए जाने का आदेश उप पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उप पुलिस अधीक्षक श्रेणी (रैंक) में पुलिस अधीक्षक अथवा कमान्डेंटके अधीनस्थ होता है। इस प्रकार की कार्यवाही से संविधान के अनुच्छेद–311 का उल्लंघन होता है।

3—विरोधी पक्षकारों ने इस आपत्ति को यह कहकर दूर करने का प्रयास किया कि इस सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक के पक्ष में शक्ति का प्रत्यायोजन था। इस प्रत्यायोजन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दिनांक 19–11–83 के अपने आवेदन के साथ दिनांक 20 जून, 1960 की एक अधिसूचना प्रस्तुत की। इस अधिसूचना से प्रदर्शित होता है कि तीन व्यक्तियों अर्थात् श्री आर0पी0 पैनोली, श्री के0बी0 सिंहल तथा श्री एल0पी0 पाण्डेय को उप पुलिस अधीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य विनिहित किए गए थे। यह अधिसूचना श्री भगवान सिंह पर, जिन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत वाद में आक्षेपित आदेश पारित किया था लागू नहीं हो सकती है।

4—इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करने वाला कोई भी प्रत्यायोजन विधिमान्य नहीं हो सकता है। जब संविधान में यह उपबन्धित है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा जो पद श्रेणी में नियुक्ति प्राधिकारी का अधीनस्थ हो, किसी पद से हटाया नहीं जायगा। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पद से उठाए जाने की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है। ऐसा करना न केवल संविधान के इस अनुच्छेद के प्रतिकूल है वरन् राज्य विधान मण्डल भी ऐसी कोई विधि पारित नहीं कर सकती है।

5——इसका परिणाम यह है कि अभिकथित प्रत्यायोजन अर्थहीन है तथा पद से हटाए जाने का आदेश अविधिमान्य है, क्योंकि यह नियुक्ति प्राधिकारी से श्रेणी में अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है,परिणामस्वरूप याची की याचिका स्वीकार की जाती है, किन्तु वाद की परिस्थितियों तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि याची पूर्णतया निर्दोष था, अतः यह उपयुक्त होगा कि दोनों पक्षों को यह आदेश दिया जाय कि वे अपने-अपने वाद-व्यय को स्वयं वहन करें।

आदेश

6——सेवा से हटाए जाने का आदेश दिनांक 3-7-79 (अनुलग्नक-8) अभिखण्डित किया जाता है। याची सेवा में लगातार बना रहेगा। विरोधी पक्षकार याची को दिनांक 3-7-79 से इस निर्णय के दिनांक तक के समस्त वेतन और भत्तों का भुगतान करेंगे। सदेय धनराशि का संगणना करते समय सामान्य वेतन वृद्धियों की गणना की जायगी किन्तु सक्षम प्राधिकारी के किसी विनिर्दिष्ट आदेश के अभाव में यह नहीं समझा जायगा कि याची ने दक्षतारोक, यदि कोई हो, पार कर लिया है।

7——दोनों पक्षकार इस याचिका का अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

हस्ताक्षरित
(के0के0 बख्शी),
प्रशासनिक सदस्य
22-11-83

राजेश्वर सिंह
न्यायिक सदस्य,
22-11-83

हस्ताक्षरित
द्वारा मिलान किया गया।

मुहर

सत्य प्रतिलिपि
हस्ताक्षरित/मुन्सरिम
दिनांक: 23-11-83
मुहर मुन्सरिम।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अभिकरण।

विधान परिषद सचिवालय